पंचम माला, खंड 55, अंक 9 सोमवार, 19 जनवरी, 1976/29 पौष, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LV, No. 9 Monday, January 19, 1976/ Pausa 20, 1897(Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र / Fifteen Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

CONTENTS

अंक 9, सोमवार, 19 जनवरी, 1976/29 पौष 1897 (शक)

No. 9, Monday January 19, 1976/Pausa 29, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सम्बधी उल्लेख	Obituary Reference	I
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 161, 163, 165 से 167, 169 और 172 से 176	Starred Questions Nos. 161, 163, 165 to 167, 169 and 172 to 176 . . .	2—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 162, 164, 168, 171 और 177 से 184	Starred Questions Nos. 162, 164, 168, 171 and 177 to 184	18—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 742 से 850, 852, 854 और 855	Unstarred Questions Nos. 742 to 850, 852, 854 and 855	25—93
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	94—90
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	96
मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	Payment of Wages (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha—Laid .	97
प्राक्कलन समिति :	Estimates Committee :	
86वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Eighty-sixth Report presented . . .	97
लोक लेखा समिति :	Public Accounts Committee :	
177वां प्रतिवेदन	Hundred and Seventy-seventh Report presented	97
आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रेक्टरी संयत्र का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—पुर:स्थापित	Assam Sillimanite Limited (Acquisition and Transfer of Refractory Plant) Bill—Introduced	97
विनियोग विधेयक, 1976 :	Appropriation Bill, 1976 :	
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to Consider :	

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	98
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	99
पारित करने का प्रस्ताव :	Motion to Pass :	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	99
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 :	Appropriation (No. 2) Bill, 1976 :	
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to consider : . ..	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	99
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	99
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass :	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	256
विनियोग (रेलवे) विधेयक, 1976	Appropriation (Railways) Bill, 1976 :	
विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to Consider :	
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi . .	100
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	100
पारित करने का प्रस्ताव :	Motion to pass :	
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi. . . .	100
आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश 1975 तथा और आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प :	Statutory Resolutions Re. Disapproval of Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinances, 1975 and Voluntary disclosure of income and Wealth Bill :	
संकल्पों तथा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव :	Motion to consider the Resolutions and Bill :	
श्री सी०के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	102—03
श्री इराज्मु द सेकैंरा	Shri Erasmo de sequira . . .	103—04
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	104—05
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	105—06
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salve	106—09
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	109—11
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	111
श्री बसंत साठे	Shri Vasant Sathe	112—13
श्री बयालार रबि	Shri Vayalar Ravi	113
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	113—14

श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	114
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia . .	114
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . . .	114
खंड 2 से 22 और 1	Clauses 2 to 22 and 1	119—24
पारित करने का प्रस्ताव :	Motion to pass :	
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	124
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	124
श्री प्रबणकुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	125

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेड्डापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)

परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)

पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)

पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)

पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)

पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)

पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)

पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)

पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)

पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)

पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)

पाग्रोकाई, हाग्रोकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)

पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)

पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)

पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)

पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)

पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)

पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)

पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)

पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)

प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)

बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)

बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)

बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)

बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)

बरूग्रा, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)

बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)

बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)

बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)

बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)

बाबूनाथ सिह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)

बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)

बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)

बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)

वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)

बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)

ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)

ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)

ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)

भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)

भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रतन (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (आकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ़्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 19 जनवरी, 1976/29 पौष, 1897 (शक)

Monday, January 19, 1976/Pausa 29, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर के, जिनकी कल सुबह नई दिल्ली में 77 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, दुःखद निधन की सूचना देनी है।

वयोबृद्ध संसदविद्, मुसाफिर जी ने 1947 में संविधान सभा के सदस्य के रूप में केन्द्रीय विधान मण्डल में प्रवेश किया और बाद में वह अस्थायी संसद, पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के लिये चुने गये। पृथक पंजाबी भाषी राज्य बनने पर उन्होंने उस राज्य का मुख्य मंत्री पद संभालने के लिये 1966 में लोक सभा से त्यागपत्र दिया तथा 1966–67 में उस पद परे रहे। 1966–68 के दौरान वह पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1968 में उन्हें राज्य सभा का सदस्य चुना गया तथा 1974 में वह पुनः वहां के सदस्य बने। मृत्यु के समय वह राज्य सभा के सदस्य थे। वह एक महान देशभक्त और अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे कई बार जेल गये। उन्होंने अपना जीवन एक पत्रकार के रूप में आरम्भ किया तथा अनेकों पुस्तकें लिखीं। उन्होंने अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और साहित्य सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे तथा एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह संसद की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे और उनके भाषण उन के प्रिय आदर्शों के प्रति उत्साह और निष्ठा से ओतप्रोत थे। उनकी मृत्यु से देश ने निर्धनों और पिछड़े लोगों का हितचिन्तक और महान साहित्यकार खो दिया है।

हम इस मित्र के निधन पर अत्यन्त दुःखी हैं और मैं सभा की ओर से सन्तप्त परिवार के प्रति अपना गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

Oral Answers to Questions

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

***161. श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बाते क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख) प्राप्त रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Shashi Bhushan Is the report of High power Committee not ready by now ? If it has been prepared, when will it be placed before Parliament ?

How many unauthorised colonies are there in Delhi and how many of them have been regularised ? On 10th April, 1972 The Hon'ble Minister had made an announcement in the House for the regularisation of certain colonies. Have all those colonies been regularised by DDA and Corporation and if not, where the matter stands in regard thereto and what is the number of those colonies ? How much expenditure has been incurred in providing aminities like water, electricity and roads etc. In these colonies and how many people live in them ?

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा मैंनें बताया, समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और सरकार उस पर विचार कर रही है । सरकार के इस पर विचार कर लेने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि यह प्रतिवेदन संसद के समक्ष कब रखा जायेगा ।

इन बस्तियों के सम्बन्ध में 1966-67 में और फिर 1972 में सर्वेक्षण किये गये थे । इनमे से कुछ एक बस्तियां नियमित की जा चुकी हैं। इन दोनों सर्वेक्षणों के अनुसार इन अनधिकृत बस्तियों की संख्या 359 है । किन्तु इन सर्वेक्षणों के बाद भी कुछ अनधिकृत बस्तियां अस्तित्व में आई हैं । इनमें से 1966–67 में 171 बस्तियों को नियमित किया गया था ।

इन बस्तियों में कितने लोग रहते है, यह जानने के लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया और इन बस्तियो में रहने वाले लोगों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है । किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इन बस्तियों में कुछ लाख लोग रहते हैं ।

इन बस्तियों में कुछ सुविधायें प्रदान की गई हैं लेकिन उन पर कितना धन खर्च हुआ, यह मैं नहीं बता सकता ।

Shri Shashi Bhushan : I have with me the details of the announcement made on the 10th April, 1972. The Corporation and DDA were to regularise certain trans Jamuna Colonies. High Power Committee has taken a decision. There are thousands of employees in your office, DDA and Corporation. Then, why could not you collect figurs about Delhi so far ? The residents of these colonies were assured by Prime Minister as well as by then Hon'ble Minister that their colonies would not be demolished. About 15 to 20 lakh people are worried about the fate of their houses. you have spent crores of rupees still you have not replied to any of my questions. You have a good number of personnel. You should have come out with the replies to my questions.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं बता चुका हूं कि 171 बस्तियों को नियमित किया जा चुका है । इनमें से कुछ बस्तियां यमुना पार हैं । सरकार इस प्रश्न पर समग्र रूप से विचार कर रही है । सरकार

लोगों को बसाना चाहती है, उजाड़ना नहीं । यह कहना गलत है कि अनधिकृत बस्तियों में मकानों को अनावश्यक रूप से गिराया जा रहा है । ये मकान विकास प्रयोजनों के लिये, कुछ योजनाओं को पूरा करने, सड़कें, स्कूल आदि बनाने के लिये गिराये जा रहे हैं । यह सब लोक हित को ध्यान में रख कर किया जा रहा है और लोगों के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की गई है ।

Shri T. Sohan Lal In the meetings of Regional Committee, it was agreed that the houses in the unauthorised colonies constructed on D.D.A. or private lands would not be demolished like a final decision is taken in the regard as the areas in which these houses were constructed have been shown as residential areas in the Master plan. Why did D. D. A. take action in respect of these houses ?

Shri H. K. L. Bhagat Under the Development scheme in Delhi, we have launched operation resettlement which should not be confused with operation demolition People are being shifted not only from the unauthorised colonies but from other places also and are being resettled on permanent basis and public amenities are also being provided there. It is not that we have launched a war of demolition against unauthorised colonies. Government has free sympathy with the people.

I have no information about the meetings of the Committee referred to by the Hon'ble Minister had called a meeting to ascertain the views of the M. Ps from Delhi.

Shri Dalip Singh : Soon after assuming his office, The Hon'ble Minister had prepared note and he was of the view that no colony should be demolished. An announcement had been made in the House that the colonies constructed till June, 1972 would not be demolished. Does the Hon'ble Minister till hold the same view or he has changed his mind ?

Mr. Speaker This need not be replied.

नारियल में रोग

+

***163. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में नारियल के वृक्ष रोग से प्रभावित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग की रोक-थाम के लिये कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केरल, तमिल नाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नारियल के वृक्ष जड़ मुरझान, क्ली विगलन, पत्ती विगलन, तना रस–स्रवण, गेनीडर्मा मूल विगलन, तथिपक्का, जीवाणू अंगमारी और पेस्टालोशि-या पर्ण रोग, आदि एक या अधिक रोगों से प्रभावित होते हैं ।

(ख) राज्य सरकारें इन रोगों की रोक–थाम के लिये सघन क्षेत्र छिड़काव, व्यापक छिड़काव, रोगग्रस्त वृष वृक्षों का उपचार, रासायनिकों एवं कीटनाशी औषधियों की व्यवस्था, व्यापक नियंत्रण कार्य एवं विस्तार सम्बन्धी प्रयास कर रही हैं । भारत सरकार रोगग्रस्त वृक्षों के उपचार, संकर नारियल की पौध के उत्पादन एवं वितरण और नारियल की नर्सरी लगाने सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है । इनके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नारियल के रोगों एवं रोगों से कम प्रभावित होने वाली किस्मों का पता लगाने के लिये अनुसंधान एवं अन्वेषण कर रही है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विवरण में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि नारियल के वृक्ष बहुत से रोगों से प्रभावित हैं जिनके कारण विभिन्न राज्यों में नारियल का उत्पादन कम हो रहा है। क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा इन रोगों की रोकथाम के लिये किये गये अनुसंधान आदि के कुछ परिणाम नहीं निकले हैं और केरल के पांच जिलों में नारियल का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि केरल में नारियल का लगभग एक तिहाई क्षेत्र रोगग्रस्त है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि अनुसंधान से नारियल वृक्षों की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ निकाला गया है किन्तु हमने काफ़ी प्रगति की है और ऐसी नई किस्मों का पता लगा लिया गया है जो रोग से कम प्रभावित होती हैं। मेरे विचार में जिस ढंग से हम नई किस्मों का विस्तार कर रहे हैं उससे अन्ततः हल ढूंढ़ लिया जायेगा। कई अन्य उपाय किये गये हैं और राज्य सरकार और भारत सरकार को इस मामले की जानकारी है और अनुसंधान संगठनों को कमियों और खूबियों को पता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : सरकार ने बताया है कि कसारकोड़े और कायमकूलम में अनुसंधान संस्थान में नारियल की कुछ ऐसी किस्मों का पता लगाया गया हैं जिन पर रोगों का प्रभाव नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखकर क्या सरकार केरल में योजना वृद्ध और क्रमबद्ध ढंग से रोगग्रस्त वृक्षों की जगह दूसरे वृक्ष लगायेगी ? क्या केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की उस के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केरल सरकार ने कई पत्र उठाये हैं। उन्होंने हमारे पास एक योजना भी भेजी है लेकिन उसमें काफ़ी धन की सहायता अन्तर्ग्रस्त है। इसलिये हमने राज्य सरकार से इस योजना को फ़िर से तैयार करने के लिये कहा है। हम सहायता के विरुद्ध नहीं हैं क्योंकि केरल में और अन्य तटीय राज्यों में नारियल एक महत्वपूर्ण फ़सल है। हम केरल सरकार की पुनरीक्षित योजना की इन्तजार कर रहे हैं और फ़िर हम योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से बातचीत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि हम एक अच्छी योजना बना सकेंगे।

उर्वरकों के मूल्य तथा उनकी पर्याप्त सप्लाई

***165. श्री शशि भूषण :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के मूल्य कम करने और उनकी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार किस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : उर्वरकों के मूल्य अभी हाल में कम किए गए थे। खपत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर निगाह रखी जा रही है।

देश में उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों में पर्याप्त आयात, उर्वरकों का देशी उत्पादन बढाना, ऋण के वितरण की सुचारु रुप देना और उर्वरकों की खपत केन्द्रों के निकटतम स्थानों को ले जाना शामिल है।

Shri Shashi Bhushan : I would like to know the quantity of fertilizers being imported by us vis-a-vis demand thereof and also the estimated increase in the production likely to be achieved in the country.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उत्पादन पहले की अपेक्षा बढ रहा है और इस वर्ष नाइट्रोजी ?स उर्वरक और फ़ासफ़ोरस पेन्टोक्साइड का कुल उत्पादन क्रमशः 15 लाख मीट्रिक टन और 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की सम्भावना है। किन्तु मंत्रालय के अनुसार इसकी मांग लगभग 32 लाख मीट्रिक टन है। हमारे पास इनका पिछला स्टाक भी काफ़ी है और बाकी के लिये हम आयात करेंगे। इसलिये उर्वरकों की कमी की कोई समस्या नहीं होगी।

Shri Shashi Bhushan : How many new factories are being licensed for this purpose ? Some companies indulge in adultration in fertilizers. A case of adultrated fertilizers having been distributed by D.C.M. Chemicals has come to light I would like to know the steps being contemplated by Government to check adulteration and price rise in fertilizers and also punish those who indulge in adultration thereof.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उर्वरक कारखानों को लाइसेंस दिये जाने के बारे में माननीय सदस्य यह प्रश्न रसायन और उर्वरक मन्त्रालय से पूछें उर्वरकों के बारे में नियन्त्रण आदेश है और राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं और अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करती हैं। पंजाब में कुछ लोगों ने कदाचार किया है और उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। परन्तु यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मामला है तो उसके बारे में नहीं जानता।

श्री नवल किशोर शर्मा : मांननीय मंत्री ने उर्वरक मूल्य में कमी का उल्लेख किया है। इस कमी के कारण विपणन एजेन्सियों को होने वाली हानि विशेषत: सहकारी एजेन्सियों की हानि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उसे पूरा करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जी नहीं। इस समय सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। वस्तुत: जब मूल्यों में वृद्धि की गई थी तो कुछ सहकार समितियों को बहुत लाभ हुआ था। अब वह बराबर हो गया है। अत: इस समय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know whether Government propose to reduce the prices of articles of use of farmers, which includes fertilizers also to the level of prices of items which they produce.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमन् हमने पहले ही नाइट्रोजन और फ़ास्फ़ोटिक उर्वरकों के मूल्यों में कमी कर रही है। मेरे मंत्रालय का यही अनुमान है। राज्यों से भी एसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है और सरकार का इनके मूल्यों में कमी करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। हम स्थिति पर ध्यान रखते हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Hon. Minister has stated that they have reduced the prices of nitroginous fertilizer recently. when the prices of this fertilizer were freduced by Rs. 150 per ton last year, the price of grow more fertilizer, which is mixture of urea and potash, was Rs. 153 per bag. Now in this year the price of nitroginous fertiliezr have been reduced, the price. of grow more fertilzer have risen to Rs. 164/- per bag. What are the reasons for this ? The Government has reduced the price at a time when the farmers have already made use of the fertilizer No relief will be afforded to the farmers in this way.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमन् नाइट्रोजन खाद के मूल्य जुलाई के महीने में कम किये गये थे। चाहे यह कहा जा सकता है कि खरीफ़ सीजन के लिये यह विलम्ब से हुआ है परन्तु फ़िर भी किसानों ने इस से लाभ उठाया है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The farmers had already purchased it at higher price.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक इस उर्वरक का सम्बन्ध है किसी भी समय यह कठिनाई हो सकती है। परन्तु दामों में कमी कर दी गई है।

बिजली के उपभोग के लिए कृषि प्रशुल्क में वृद्धि

*166. **श्री ो० नरसिम्हा रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिजली के उपयोग के लिए कृषि-प्रशुल्क में भारी वृद्धि होने से, विशेष-कर छोटे तथा सीमान्त फार्मों तथा गहन-कूप सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं। बिजली के लिए कृषि प्रशुल्क में वृद्धि से कृषि उत्पादन तथा अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जिस प्रश्न का नोटिस मैंने दिया था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इस कारण हमें अपेक्षित जानकारी विशेषतः कृषि टरिफ सम्बन्धी नहीं मिल रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री एक वक्तव्य देंगे। मंत्री महोदय ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि इस कारण से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु हमारे व्यवहारिक अनुभव से यह पूर्णतः विपरीत है। आंध्र प्रदेश में, जहां पर कृषि टैरिफ मीटर व्यय और सेवा व्यय के नाम से शत प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, वहां हजारों की संख्या में किसान लोग सुरक्षा के लिये न्यायालयों की शरण ले रहे हैं। क्या कृषि टैरिफ में वृद्धि से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? हम जानते हैं कि कृषि साधनों के मूल्यों में वृद्धि से लागत वृद्धि हो जायेगी। यह आप कैसे कह सकते हैं कि इस से देश के कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। परन्तु माननीय सदस्य के प्रश्न कि क्या बिजली टैरिफ में वृद्धि से कृषि उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे मंत्रालय और भारत सरकार का यह विचार है कि इससे कृषि उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सब जानते हैं कि माननीय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की अच्छी जानकारी है। देश में लगभग सभी बिजली बोर्ड कृषि के लिये देहाती क्षेत्रों को बिजली सप्लाई करने में हानि उठा रहे हैं।

योजना आयोग और भारत सरकार राज्य सरकारों से कहते रहे कि बिजली बोर्ड अपना व्यय पूरा करने के समर्थ होने चाहियें। अन्यथा विस्तार कार्यक्रम अर्थात उन किसानों को कनेक्शन देने जिनको ये नहीं मिले हुए हैं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और केवल थोड़े से किसानों को ही बिजली की सुविधा मिल पायेगी।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मुझे इस बात पर खेद है कि बिजली बोर्डों की अदक्षता और उनको होने वाले घाटे को किसानो को पूरा करना पड़ रहा है। यदि यह किया जाता है तो इसका कहां पर अन्त होगा। बिजली के उत्पादन, वितरण और अन्य सम्बन्धित मामलों में ये घाटे उपभोक्ता लोग बताते रहते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना है, कैसे मेल खाती है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं आपका सहारा चाहता हूं। मुख्य प्रश्न बिजली टैरिफ के बारे में है और वह मूल्य नीति की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्या बिजली की दर में वृद्धि के कारण किसान लोग अपने फार्म छोड़ रहे हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बड़ी संख्या में किसान अभी भी डीजल इंजिन का प्रयोग करते हैं, जिसकी संचलन लागत बढ़े बिजली दरों से दो या तीन गुना हैं । अतः यह कहना ठीक नहीं कि वर्तमान दर लाभप्रद नहीं है ।

भूमि सम्बन्धी आँकड़े

*167. **श्री पी० नरसिम्हा** :

श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में एकत्र किये गये भूमि सम्बन्धी आंकड़ों से किन महत्वपूर्ण बातों का पता लगा ;

(ख) उन प्रवृत्तियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कृषि संगणना 1970–71 की कुछ प्रमुख बातें नीचे दी गई हैं ।

1. भारत में 705 लाख संक्रियागत जोतों में खेती की जाती है जिनका कुल क्षेत्र 1620 लाख हैक्टर है । इन जोतों का औसत आकार 2.30 हैक्टर है जिसमें से 2.06 हैक्टर निबल क्षेत्र में खेती की जाती है ।

2. कुल 705* लाख जोतों में ये जोतें आती हैं ।

—121 लाख हैक्टर क्षेत्र में 124 लाख पूरी तरह सिंचित जोतें ;

—कुल 460 लाख हैक्टर क्षेत्र में 170 लाख आंशिक रूप से सिंचित जोतें । इसमें से 170 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित हैं , और

—कुल 770 लाख हैक्टर क्षेत्र में 410 लाख पूरी तरह से असिंचित जोतें जिनमें वर्षा से खेती होती है ।

3. कुल 705 लाख संक्रियागत जोतों में 587 लाख वैयक्तिक जोतें (83.3 प्रतिशत) जिसके अन्तर्गत 1290 लाख हैक्टर भूमि है, और 118 लाख संयुक्त जोतें (16.7 प्रतिशत) जिसके अन्तर्गत 330 लाख हैक्टर भूमि है, शामिल हैं ।

4. भारत में सीमांत जोतों (1 हैक्टर से नीचे) की अधिकता संक्रियागत जोतों की एक मुख्य बात है । आधी संक्रियागत जोतें, सीमांत जोतें हैं, यद्यपि वह कुल क्षेत्र का केवल 9 प्रतिशत हैं ।

---

* 1 लाख जोतों के 'वर्तमान परती' के अन्तर्गत होने के कारण इनका वर्गीकरण उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं किया गया है ।

19 प्रतिशत जोत छोटी जोत हैं (1–2 हैक्टर) और यह कुल क्षेत्र का 12 प्रतिशत हैं। अर्द्ध मध्यम जोतों (2–4 हैक्टर) के अन्तर्गत कुल जोतों का लगभग 15 प्रतिशत और कुल क्षेत्र का 19 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है। दूसरी ओर मध्यम (4–10 हैक्टर) तथा बड़ी जोतों (10 हैक्टर और इससे अधिक) के अन्तर्गत मोटे तौर पर क्षेत्र का दो तिहाई भाग है। 11 प्रतिशत जोतें मध्यम जोतें हैं और 4 प्रतिशत बड़ी जोतें हैं। सही शब्दों में 10 हैक्टर और उससे अधिक की 28 लाख जोतों के अन्तर्गत 500 लाख हैक्टर भूमि है। बड़ी जोत का औसत आकार लगभग 18 हैक्टर है।

5. देश में कुल सिंचित क्षेत्र के दो-तिहाई भाग में (67.6 प्रतिशत) मध्यम वर्ग अर्थात् छोटी तथा अर्द्ध मध्यम जोत (39 प्रतिशत) और मध्यम जोत (28.6 प्रतिशत) शामिल हैं।

6. देश में नलकूपों से सिंचाई किए जाने वाले कुल क्षेत्र के 2/5 भाग में छोटी तथा अर्ध मध्यम जोत हैं। सब आकार की जोतों में नहरी सिंचाई के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का 2/5 से कुछ अधिक भाग है। देश में चावल की खेती के कुल क्षेत्र का प्राय: 2/3 भाग असिंचित है।

7. सिंचित तथा असिंचित (क्रमश: 43.6 प्रतिशत तथा 44.1 प्रतिशत) दोनों क्षेत्रों में की जाने वाली चावल की खेती का अधिकांश भाग छोटी तथा अर्ध मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टर) का है। यद्यपि, देश में सीमांत तथा उप सीमांत जोतों (1 हैक्टर से कम) के अन्तर्गत संक्रियागत जोतों की कुल संख्या का 1/2 भाग है, लेकिन इन जोतों के अन्तर्गत चावल की खेती के कुल क्षेत्र का 1/5 से कम भाग है।

8. देश में चावल के उत्पादन में छोटे तथा अर्ध मध्यम जोतों को महत्वपूर्ण भूमिका एवं इस फसल की खेती के लिये इस वर्ग में इन जोतों की तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता को देखते हुए, यदि इस वर्ग की जोतों को काफी सुविधाएं प्रदान की जायें तो यह लाभकारी होगा।

9. चावल की खेती की परिस्थितियों के विपरीत देश में गेहूं की खेती का अधिकांश भाग (गेहूं के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 55.9 प्रतिशत) सिंचाई के अन्तर्गत है। गेहूं की खेती का अधिकांश भाग (सिंचित क्षेत्र का 38.2 प्रतिशत और असिंचित क्षेत्र का 30 प्रतिशत) छोटी तथा अर्ध मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टर) के अन्तर्गत है। चावल की खेती के सम्बन्ध में भी यही देखा गया है। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये छोटी तथा अर्ध मध्यम जोतों को (जो गेहूं के अन्तर्गत सब से बड़ा क्षेत्र है) अधिक सुविधाएं प्रदान करने और पूरक (लघु) सिंचाई की सुविधाओं के माध्यम से असिंचित खेती को सुदृढ बनाने से अर्थ व्यवस्था को काफी लाभ होगा।

10. सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में मक्का के क्षेत्र का अधिकांश भाग (लगभग 2/5 भाग) छोटी तथा अर्ध मध्यम जोतों (1 से 4 हैक्टर) का है। यही स्थिति जौ के सम्बन्ध में भी है।

11. सीमांत तथा उप सीमांत परिस्थितियों के अन्तर्गत लगभग 70 लाख संक्रियागत जोतों में ज्वार तथा बाजरा की खेती होती है, जो इन फसलों की कुल संक्रियागत जोतों का 72 प्रतिशत है।

12. सीमांत और उप सीमांत जोतें, जो कुल संक्रियागत जोतों का 1/2 भाग है, दालों के अन्तर्गत की जा रही खेती के कुल क्षेत्र का केवल 8 प्रतिशत है।

13. बड़ी जोतों (10 हैक्टर और उस से अधिक) सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में गन्ना के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत है।

14. मध्यम तथा बड़ी दोनों जोतें तिलहनों के अन्तर्गत की जा रही खेती के कुल क्षेत्र का 63 प्रतिशत हैं।

15. देश में कपास की अधिकांश खेती 4 हैक्टर या उससे अधिक के आकार की संक्रियागत जोतों में की जाती है, जो कपास के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का 77 प्रतिशत है।

16. देश में पटसन की खेती प्रायः अर्ध मध्यम, छोटी तथा सीमांत जोतों में की जाती है।

17. उन संक्रियागत जोतों के अन्तर्गत कुल भूमि जिस पर खेती नहीं की जा रही है, 124 लाख हैक्टार है। इस भूमि का 1/2 भाग बड़ी जोतों (10 हैक्टर तथा उससे अधिक) का है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जिस भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, उसका 80 प्रतिशत से अधिक भाग 4 हैक्टर तथा इससे बड़ी जोतों का है।

(ख) ये आंकड़े सरकार के लिए उपयोगी हैं और कृषि विकास योजनाओं को तैयार करते, उनकी समीक्षा और क्रियान्वयन करते समय संगणना की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखा जाएगा।

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यापक, विश्वसनीय और समय पर कृषि आंकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली का सुधार करने के प्रयास किए गए हैं। पांचवीं योजना में आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली और कृषि आंकड़ों की क्वालिटी तथा मात्रा में और सुधार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : हर्ष की बात है कि 1970—71 की कृषि संगणना, यद्यपि विलम्ब से प्रकाशित हुई है, तथापि बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि सम्बन्धी नीतियों के निर्माण के लिए यह मार्ग-दर्शन करती है। विवरण में यह देखा गया है कि जोतों के निम्न स्तर पर सीमान्त जोतें बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। कृषि साधनों की लागत में वृद्धि होने तथा सीमान्त जोतों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण किसान कृषि कार्य को अधिकाधिक रूप में त्याग रहे हैं और बड़ी संख्या में शहरों की ओर आ रहे हैं। संगणना आंकड़ों तथा विवरण में इस प्रवृत्ति को विशेषरूप से दिखाया गया है। सरकार की इस प्रवृत्ति के प्रति क्या प्रतिक्रिया है जो कि कृषि साधनों की लागत में हुई वृद्धि, सम्पत्ति आदि के बंटवारे द्वारा हुए विखंडन के फलस्वरूप सीमान्त और छोटे किसानों के हितों के विरुद्ध है और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कृषि सम्बन्धी संगणना प्रतिवेदन में बहुत ही रुचिकर आंकड़े सामने आये हैं और सरकार नीति निर्माण के दृष्टिकोण से अभी इसकी जटिलताओं पर विचार कर रही है। यह सभी को ज्ञात है कि इस देश में बड़ी संख्या में संक्रियागत जोतें बहुत छोटी हैं। 700 लाख कुल भूमि जोतों में से आधी जोतें सीमान्त हैं। उत्तराधिकार के कानून तथा अन्य कारणों द्वारा इनका और अधिक विखंडन हुआ है। चूंकि रोजगार के अन्य अवसर सीमित हैं, अतः लोग इन जोतों पर कार्यरत हैं। सरकार ने सीमान्त और छोटे किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। कमजोर वर्गों तथा भूमिहीन श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार पर्याप्त रूप से निवेश कर रही है। समस्या को हल करने का एक तरीका यह है। वैसे मैं जोतों के अत्यधिक विखंडन को उचित नहीं ठहराता।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : विवरण में कहा गया है :—

"संक्रियागत जोतों में कुल अप्रयुक्त भूमि 1240 लाख हेक्टर है। इस भूमि का आधा भाग बड़ी जोतों में स्थित है (10 हेक्टर और इससे अधिक)"

सरकार की भूमि सुधार नीति के संदर्भ में, जिसका उद्देश्य कृषि कार्य के लिए अधिक भूमि उपलब्ध करना है, इतनी अधिक भूमि अप्रयुक्त होने की बात समझ में नहीं आती। क्या सरकार का इरादा उन कारणों पर विचार करना है जिनके फलस्वरूप इतनी अधिक कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है और कृषि उत्पादन के हित में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक उपयोग में न लाई गई भूमि का सम्बन्ध है, इसका अधिकांश भाग बहुत ही घटिया है। यद्यपि तकनीकी दृष्टि से इसे कृषि योग्य भूमि के वर्ग में रखा गया है, तथापि यह बहु त ही घटिया किस्म की भूमि है और इसे कृषि योग्य बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। किन्तु कोई व्यक्ति यदि खेती करने की उपेक्षा करता है तो मेरा विचार है कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं और किसी को ऐसा करने का अधिकार नहीं होनी चाहिए। हमारा यही दृष्टिकोण है। जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा मंत्रालय इस पर पुर्नविचार करेगा और राज्य सरकारों को सलाह देगा कि जिस व्यक्ति के पास भूमि हो और यदि वह उस पर खेती न करे तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जब हाल ही में हमने प्रगतिशील भूमि नीति को लागू किया तो क्या हमारी कार्यवाही 1961–62 की कृषि संगणना पर आधारित थी और 1971-72 की कृषि संगणना मंत्रालय के लिए कोई नई बात थी ? क्या इस कृषि संगणना से यह सिद्ध नहीं हो गया कि छोटे जोतों की संख्या में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का अधिक संख्या में शहरों में आना तथा कई समस्याओं का उत्पन्न होना, जिनमें से उत्पादन में गिरावट एक है, आंशिक रूप से सरकार की अपनी ही नीति के कारण नहीं हुआ जिनका कि सरकार गत तीन या चार वर्षों से अनुसरण करती आई है ? क्या मंत्री जी बताएंगे कि आने वाले समय में परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि से भविष्य में भारत की क्या स्थिति होगी जिसके बारे में हम आज गर्व से बातें करते हैं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि संगणना के परिणाम मेरे मंत्रालय के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेषकर क्योंकि सभा के सदस्यों तथा सभा से बाहर लोगों को इस स्थिति का पता था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिवेदन संसद पुस्तकालय में हैं और माननीय सदस्य प्रतिवेदन को देख सकते हैं। मैं इस बात की पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानून पूर्णतया स्पष्ट हैं। इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गए हैं जो कृषि उत्पादन में सहायक होंगे। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कृषि उत्पादन में गिरावट आई है बल्कि हम यह गर्व से कह सकते हैं कि इन उपायों के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री जी के उत्तरों से उत्पन्न एक बात को मैं स्पष्ट करवाना चाहता हूं। सीमान्त जोतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मंत्री जी का यही उत्तर है। ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जोतों के विखंडन तथा उत्तराधिकार कानून के कारण सीमान्त जोतों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। क्या सरकार भूमि के उत्तराधिकार कानून में किसी तरह का परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? दूसरी बात यह है कि क्या भूमिहीन व्यक्तियों को सरकार अधिक से

अधिक इतनी भूमि देगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जोत लाभप्रद हों और वे सीमान्त या उससे कम न हों ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं यह सही है कि इस देश में सीमान्त जोतें बहुत अधिक संख्या में हैं। संक्रियागत जोतों की लगभग 50 प्रतिशत जोतें एक हेक्टर से कम की हैं। यही स्थिति अतीत में भी थी। किन्तु उत्तराधिकार कानून के परिणामस्वरूप इनकी संख्या में अभी भी वृद्धि हो रही है। किन्तु उत्तराधिकार कानून में परिवर्तन करने के लिए किसी तरह का विधान पेश करना बहुत कठिन है। यदि किसी परिवार में दो या तीन भाई हों तो उन्हें भूमि का हिस्सा न देने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं। किन्तु सरकार को इस स्थिति का ज्ञान है।

Expert Committee on Maintenance of Ajanta Caves

*169. **Shri M. C. DAGA:** Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Department of Archaeology has set up any experts' committee for the maintenance of Ajanta Caves and the Mural paintings there ;

(b) if so, the expenditure incurred so far on this Committee, and

(c) the suggestions made by the Committee and whether they were implementsd ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क), (ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) :–जी हां, अजन्ता के भित्ति चित्रों के सुरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के बारे में अब तक 2712 रु० व्यय हुआ है।

समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

1. यदि भित्ति चित्रों के सुरक्षण के लिए गुफाओं को वातानुकूलित बनाना आवश्यक है तो यह तय करने के लिए प्लास्टर की आर्द्रता, तापक्रम और सीलन के आंकड़े एकत्र करना।
2. धूल से होने वाली गड़बड़ी को कम करने के लिए चित्रित गुफाओं के फर्शों को रबर की चटाई से ढकना।
3. नये टाइप के बिजली के लैम्पों का प्रबन्ध करना, जो ताप उत्पन्न न करें अथवा भित्ति चित्रों को हानि न पहुंचायें।
4. प्रेक्षकों को चित्रित सतह से दूर रखने के लिए और भित्ति चित्रों के स्वरूपको किसी भी हानि से बचाने के लिए दीवालों के साथ-साथ कम ऊंची रेलिंग का प्रबन्ध करना।
5. बरसात के पानी के छींटों से भित्ति चित्रों की सुरक्षा करने के लिए बरंडों में चित्रित गुफाओं के सामने परदों का प्रबन्ध करना।
6. भीतर चमगादड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए चित्रित गुफाओं की सभी खुली जगहों को जालीदार तारों के चौखटों से ढकना।
7. 17वीं गुफा के बरंडे की छत में टपकने वाली सभी जगहों को बंद करना।

8. भित्ति चित्रों की सतह से खड़ियायन को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के समाधानों और रसायनों का प्रयोग करना ।

9. अनुभव के आधार पर गुफा 11 को, कीड़े-मकौड़ों की गतिविधि का सामना करने के लिए धूमित करना ।

इन सभी सुझावों को कार्यान्वित कर दिया गया है । सं० 8 और 9 के विषय में निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

Shri M. C. Daga: Mr Speaker, the Hon. Minister has not answered my question. He has given irrelevant reply. सरकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों पर व्यय क्यों करे ? प्रश्न के भाग (ख) में यह पूछा गया कि "यदि हां तो अब तक इस समिति पर कितना व्यय हुआ है ।" (**व्यवधान**)

I asked as to how much expenditure was incurred on the members of the Committee and your reply is that so much expenditure was incurred on the non-official members of the Committee. This is my question.

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस समिति में कुछ सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी सदस्य हैं । जहां तक सरकारी अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे पूर्ण-कालिक रूप में सरकार की सेवा में कार्यरत हैं और वे कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं । वे वहां जा कर तकनीकी सलाह देते हैं । कभी वे अपने सामान्य कार्य को करते हैं । वे 2 या 3 स्थानों पर भी जा सकते हैं । और वे यहां भी आ सकते हैं । यह बताना मेरे लिए कठिन है कि वहां कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । किन्तु यदि माननीय सदस्य प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जानकारी जानने में रुचि रखते हैं तो मैं उन्हें एक सुझाव दूंगा । उस प्रश्न का उत्तर देने की बजाय यदि वह यह जानना चाहते हैं कि गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय हुई है तो उसे मैं बता सकता हूं ।

Shri M. C. Daga: A Committee was set up in 1971. My question is this who are the members of that Committee. How many meetings of the said Committee were held. At what places the meetings took place and what is the total amount of expenditure incurred thereon ?. I want to know whether the Committee has completed its work or the work is still incomplete ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरे प्रश्न का भाग है ।

श्री मूलचन्द डागा : यदि मंत्री जी (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय करना अध्यक्ष का काम है कि वह मंत्री को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहें । कृपया प्रश्न पूछिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री डागा का प्रश्न स्पष्ट है । . . . . (**व्यवधान**) . . . ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सारी स्थिति बता दी है । मैंने मंत्री जी से प्रश्न के भाग (ख) के बारे में पूछा है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । मंत्री जी ने बताया कि गैर-सरकारी सदस्यों पर इतना व्यय हुआ है और अन्य लोगों पर हमें व्यय के बारे में बताना कठिन है । मैं माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि यदि उन्होंने कुछ और प्रश्न पूछने हों तो वे पूछ लें और मंत्री जी द्वारा दिए गये उत्तर पर न जायें ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या आप मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (ख) के बारे में दिए गए उत्तर से मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं ।

Shri M. C. Daga: I want to know whether the Committee has completed its work or not ?

The hon. Minister has stated that the work relating to removal of bats has been Completed but the work relating to removal of insects is yet to be completed. I want to know how much time it will take to remove insects from there.

Prof. S. Nurul Hasan: Most of the work to remove bats from there has been completed and the recommendation of the Committee regarding removal of insects has been implemented to some extent. Thereafter we invited some foreign experts to give suggestions. They made some suggestions and if we translate their suggestions into action by making some minor changes therein the results will be more fruitful.

Mr. Speaker: He is asking the time by which this work will be over.

Prof. S. Nurul Hasan: The work is still going on.

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह समिति 1971 में स्थापित की गई थी । क्या मैं इसे यह समझूं कि किसी बहुत ही विशिष्ट कार्य के लिये किसी समिति की नियुक्ती की जाये, जो देश की पुरानी कला को सुरक्षित रखने के लिये सुझाव दे और वह समिति कार्य करती रहे या कार्य पूरा कर ले फिर मंत्री जी यह बताने की स्थिति में न हों कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रो० एस० नूरुल हसन : हर्ष की बात है कि माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । विशेष समिति का गठन पहली बार 1971 में हुआ था और फिर 1973 में इसमें कुछ और अधिक सदस्य सम्मिलित किये गये थे । समिति ने इस समूचे मामले की जांच की और फिर कुछ सुझाव दिये । सरकार ने ये सुझाव स्वीकार कर लिये थे और सात सिफारिशों पर कार्यवाही पूरी कर ली गई है । अन्य दो सिफारिशों में अभी कुछ कार्यवाही और है । अतः इसमें काफ़ी समय लगेगा । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि वहां गुफ़ायें बड़ी संख्या मे है और वहां कीड़े-मकोड़ों को मारने तथा खड़ियायन को हटाने का ऐसा काम है जिस पर अधिक समय लगेगा । अतः यह कार्य चल रहा है । किन्तु इस तरह के मामले में हम किसी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते और केवल अपने ही विशेषज्ञों की राय पर नहीं चल सकते क्योंकि ये तो विश्व की पैत्रिक सम्पत्ति है । अतः मार्च, 1975 में हमने एक विदेशी विशेषज्ञ बुलाया । उस विशेषज्ञ ने निष्पादित कार्य का समर्थन किया किन्तु भित्ति चित्रों की सफ़ाई तथा निकले हुये छेदों पर निगरानी रखने के बारे में कुछ और सुझाव दिये । उसने यह भी सुझाव दिया कि तापमान, आर्द्रता आदि पर हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, वह ठीक हैं और ऐसा करते रहना चाहिये । अतः गत वर्ष दिसम्बर, मे भारत सरकार के नियंत्रण पर युनेस्को द्वारा दो विशेषज्ञ यहां भेजे गये जो यहां एक सप्ताह रहे और उन्होंने सामान्य रूप से इन सिफ़ारिशो का समर्थन किया किन्तु कुछ भित्ति चित्रों के सतह की सफ़ाई का काम बहुत लम्बा काम है और अब निरन्तर रूप से यह अनुमान लगाने के लिये निगरानी रखी जायेगी कि क्या वहां पर हो रहा काम सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं । साथ ही यह बात भी घ्यान में रखी जायेगी कि नई तकनीकी तरीकों को घ्यान में रख कर किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें इस बात का गर्व है कि हमारी गुफ़ाओं में इस तरह के भित्ति-चित्र हैं किन्तु यह बड़े खेद की बात है कि कुछ भित्ति-चित्र खराब हो रहे हैं । मैं जानना चाहता

हूं कि क्या इन गुफाओं की मरम्मत करने के लिये सुझाव देने हेतु इस समिति में कोई विदेशी या इसी देश के चित्रकार सम्मिलित किये हैं। विशेषकर उन भीत्ति चित्रों की मरम्मत के लिये जो कि हल्के पड़ गये हैं ताकि उन्हें पहले जैसा रूप दिया जा सके।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि भीत्ति चित्र मिटे नहीं हैं। मैं उनके बारे में सन्तुष्ट हूं। मैंने सूक्ष्मदर्शी उपकरण से स्वयं उनकी जांच की है। ये रंग-द्रव्य अकार्बोनिक वस्तु मुख्यत: पत्थर जैसी वस्तु के बने हुये हैं और इसलिये प्रकाश आर्द्रता के होते हुये भी अधिकांश भीत्ति चित्र अक्षत हैं। कई शताब्दियां बीत गई हैं, अतः कहीं-कहीं कुछ टुकड़े लुप्त हो गये हैं। किन्तु सामान्य रूप से भीत्ति चित्र मिटे नहीं हैं। हाल ही में यूनेस्को के एक दल ने सुझाव दिया है कि उन्हें चित्रों का कुछ नहीं करना केवल भीत्ति चित्रों के किनारों की कुछ मरम्मत की जानी है जिससे भीति-चित्रों की सुन्दरता तथा महत्व बढ़े। यह एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश है और इस कार्य को आरम्भ करने का आदेश देने से पूर्व इस सम्बन्ध में और अधिक अच्छी राय लूंगा।

ग्रामीण परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

*172. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश की ग्रामीण परियोजनाओं के लिये धन देगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा विचार था कि मंत्री महोदय मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुछ भारतीय डेरी परियोजनाओं को विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध मे हाल ही में प्रकाशित प्रतिवेदन के बारे में कुछ बतायेंगे। मेरा प्रश्न इसी सम्बन्ध में था।

हाल ही में प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिन कृषि ऋण परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता दी गई है उन पर बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है सरकार को उनके क्रियान्वयन के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिये और एक निश्चत तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने न विशिष्ट परि-योजनाओं तथा विश्व बैंक की सहायता से चल रही अन्य अनेक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई कार्यवाही करने पर विचार किया है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अधिकांश परियोजनाओं के लिये कुछ समय सीमा निर्धा-रित की जाती है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि जब हम विकास इत्यादि के लिये इतना अधिक ऋण लेते हैं तो हमें उसका उपयोग भी जितना जल्दी हो सके करना चाहिये। मेरा मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि इन परियोजनाओं पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप कार्य हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विश्व बैंक दल के इस कथन को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों के गांवों की तरह हमारे गांव भी, यदि उन्हें अवसर दिया जाये, स्वयं अपनी सहायता करने के लिये उत्सुक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की विश्व बैंक परियोजनाओं के बारे में क्या पद्धति अपनाई जाती है। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति उनकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति हमारे गांवों द्वारा वास्तविक कार्यवाही किये जाने में किस प्रकार बाधक है। इसके निष्पादन में विश्व बैंक का क्या हाथ है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। एक श्रेणी में भूमिगत जल निकालना तथा ट्यूबवेल लगाना इत्यादि है और इसके लिये हम प्रत्येक किसान को ऋण देते हैं इसके अतिरिक्त बीज परियोजनाएं बिजली परियोजनायें तथा डेरी और पशु परियोजनायें भी हैं जहां तक इन परियोजनाओं के आन्तरिक कार्यचालन का सम्बन्ध है विश्व बैंक का इसमें कोई हाथ नहीं। वह केवल ऋण देता है और समय-समय पर इस बात की जांच करा लेता है कि जिस उद्देश्य के लिये ऋण दिया गया है उसका उस हेतु प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं लेकिन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और किसानों के लिये पहल करने की काफ़ी गुंजाइश है। जब तक किसानों को शामिल न किया जाये हम ऐसे वृहद् कार्यक्रम के बारे में सोच भी नहीं सकते अतः उनको शामिल किया जाना बहुत जरूरी है।

गोआ में निष्क्रान्त सम्पत्ति का निपटान

***173. श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गोआ प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में निष्क्रांत सम्पत्ति का निपटारा करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Yamuna Prasad Mandal: Mr. Speaker, sir the country is aware of the fact that many freedom fighters were forced to flee goa due to the atrocities of the Portuguese. I would like to know the number of such persons whether they had left any property or they were living below the poverty line ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkat swami): This question does not arise out of the main question. A separate notice should be given for it.

बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण की योजना

***174. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1975 में बिहार में बाढ़ आने के बाद केन्द्र ने भविष्य में बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी नहीं, बाढ़ नियंत्रण राज्य योजनाओं का एक भाग होता है और इस प्रकार बाढ़ सुरक्षा उपायों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार के अंतर्गत आता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को बाढ़ से हुई क्षति के कारण बाढ़ नियंत्रण हेतु 2.5 करोड़ रुपए की सहायता दी है और बिहार सरकार ने बाढ़ नियंत्रण हेतु बनाई गई योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता का अनुरोध किया है ।

श्री केदार नाथ सिंह : बिहार सरकार ने सहायता का अनुरोध किया है केन्द्र सरकार ने 9.75 करोड़ रुपए की राशि की योजनाबद्ध सहायता देना मंजूर किया है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या हाल ही में बिहार का कोई प्रतिनिधि मंडल बाढ़ नियंत्रण सहायता हेतु कृषि मंत्री से मिला है और क्या सरकार द्वारा उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है कि जो भी वह मांगेगा उन्हें मिलेगा ।

श्री केदार नाथ सिंह : एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया था जिसमें कुछ विधान सभा के सदस्य थे और कुछ अन्य लोग थे । यह प्रतिनिधि मंडल कई मंत्रालयों से मिला, स्वास्थ्य और सिचाई मंत्रालय के पास भी गया तथा उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया ।

Shri K. M. Madhukar: The Hon'ble Minister has stated that flood control forms part of the state plans and flood protection oncasures come within the purview of the state Government. I would like to know wehether any suggestion was made in the talks held in this regard for drawing up a comprehensive scheme to contral the recurring floods in Bihar in future.

Shri Kedar Nath Singh. Ganga Flood Control Commission, a department of the Central Government, has drawn up a Master Plan and Bihar Government has also drawn up a plan which is being scrutinized.

Shri Jagannath Mishra : There is plenty of land in Bihar and if it is properly contracted, the produce will not only be sufficient for the state but it will also cater to the needs of other states. Due to floods and droughts there is scarcity of foodgrains in Bihar. Has the State Government forwared any plan to Central Government for flood Control ? In this context I would also like to know whether it is not the duty of the Central Government to send its experts and find ont the reasons for these recurring floods.

Shri Kedar Nath Singh . Our experts are also working with Bihar Govenrment. Hon. Members are aware that the floods of Bihar, particularly north Bihar have some connection with Nepal. Talks are being held in this regard and if we succeed in it we will be able to control floods in North Bihar.

अयोध्या में खुदाई

***175. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में उन अन्य स्थानों पर जो सीधे भगवान राम तथा राजा दशरथ से संबंद्ध हैं; खुदाई करने का प्रस्ताव सरकार के विचराधीन है :

(ख) अब तक कितने स्थानों पर खुदाई की जा चुकी है ; और

(ग) अयोध्या में अब तक की गई खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण श्रौर संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) पांच

(ग) उपलब्ध साक्ष्यों से पुरातात्विक क्रम, मोटे, धुसरित-मृदुभांडों के प्रयोग से, जो कहीं-कहीं पर चित्रित भी है, लगभग 7 वीं ईसा पूर्व से आरम्भ हुआ लगता है और वह क्रम उत्तरी काली चमकदार मृदुभांड कला में होकर कुषाण और उसके उत्तर काल तक चलता है ।

श्री श्रार०के० सिन्हा : मंत्री महोदय का उत्तर पूर्णतया संतोषजनक नहीं है । ऐसा लगता है कि रामायण के आकार के मामले में मंत्रालय द्वारा की गई उपेक्षा को छुपाने के लिए इस काम को अब महत्व दिया जा रहा है । मंत्री महोदय ने फैंजाबाद तथा अयोध्या का दौरा किया था जो उनका वशांनुगत शहर भी है तथा वहां बड़े उत्साह से कार्य शुरु किया गया था । जहां तक मुझे पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ग्वालियर विश्वविद्यालय के सहयोग से एक परियोजना शुरु की है मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कुछ समय पूर्व बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने परियोजना शुरु की थी श्रौर कुछ चीजें मिली थी । लेकिन धनाभाव के कारण आगे कार्य नहीं किया जा सका ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व निदेशक श्री बी० बी० लाल के अभिभाषण की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसमें उन्होंने कहा था कि रामायण के आकार की खोज करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय पुरातत्व सवक्षण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक गहन योजना है । अध्योध्या की खोज मनु इच्छवाकु द्वारा की गई थी । अयोध्या एक ऐसा स्थान है जो 6 बार नष्ट हुआ । इसकी पुन : स्थापना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य द्वारा की गई ।

मंत्री महोदय की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वीर बाबू के वद्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था । अयोध्या, ऋषभ देव जिनका उल्लेख ऋगवेद में प्रथम जैन तीर्थाकार में के रूप होता है, का स्थायी निवास था । पावस ऋतु के दौरान भगवान बुद्ध ने अपने चरण कमलों से इस स्थान को पवित्र किया था । इस स्थान की इस प्रकार उपेक्षा नही की जानी चाहिए । रामायण हिन्दुओं की अन्य कथाओं के पूर्व रची गई थी । अब जो चीजे मिली हैं वे 700 ई० पूर्व की है । यह कहा गया है कि रामायण इसके कुछ समय बाद रची गयी थी । इस विवाद को हल किया जाना चाहिए । मंत्री महोदय को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए अब जबकि इनका विभाग सक्रिय कार्य कर रहा है, उन्हें भी ऐसा करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने की अपेक्षा जानकारी अधिक दी है । क्या मंत्री महोदय कुछ और अधिक जानकारी दे सकेंगे ।

श्री आर० के० सिन्हा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाना चाहता था

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों तथा इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के बीच हुई बैठक

***176. श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिए गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों तथा इंडियन शुगर मिल्स ऐसोसिएशन के बीच 21 दिसम्बर, 1975 को एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाये गए हैं और इस समय ऐसी बकाया राशि कितनी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क): जी हां; उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ना मूल्य के बारे में ।

(ख) कोई करार नहीं हो पाया था । तथापि, उद्योग और गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने यह मान लिया था कि चालू पिराई मौसम के लिए गन्ने के जो मूल्य अन्ततः देय होंगे, वे सारे मौसम के लिए लागू होंगे ।

(ग) और (घ) जी हां । जिला मैजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे चीनी फक्ट्रियों को बैंकों से चालू मौसम के चीनी के उत्पादन पर उपलब्ध की गई पेशगियों का उपयुक्त प्रतिशत अलग रखें ताकि गन्ने के मूल्य के पिछले वर्ष के बकाया और चालू वर्ष के गन्नेके मूल्य का भुगतान किया जा सके । राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि विलंब से भुगतान करने के लिए दंड-ब्याजको बढ़ा दिया जाए 15 सिदम्बर, 1975 को बकाया की राशि 22.54 करोड़ रुपए थी जिसमें से 7.40 करोड़ रुपए चालू मौसम से सम्बन्धित हैं ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Last year the price of the sugarcane was fixed on 7th December but this year prices have not so far been fixed for U. P. with the result that sugarcane growers are compelled to sell sugarcane at seven or eight rupees per quintal to Khandsari Mills. On the other hand the Indian Sugar Mills Association are not making payments. Has the Hon'ble Minister considered the question of fixing Sugarcane price for U. P. ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने स्वयं सरकार द्वारा आयोजित उस बैठक में भाग लिया था जिसमें उद्योग और गन्ना उत्पादको के प्रतिनिधि उपस्थित थे । चूंकि अब लोक प्रिय सरकार सत्ता में आ गई है मैं आशा करता हूं इस ओर ध्यान दिया जाएगा । किसान और उत्पादक ऊंची कीमत चाहते हैं । मुझे आशा है कि शीघ्र ही कुछ समझौता हो जाएगा ।

Shri Ram Chandra Vikal : It is an important question and it should be considered. It is a matter of regret that the prices of sugarcane have not so far been fixed. Discussion should be held in this regard.

Mr. Speaker : If notice is given we will consider it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

रबी फसल के अन्तर्गत क्षेत्र

***162. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल खाद्य उत्पादन में रबी फसल में होते वाले उत्पादन में कुछ समय से वृद्धि हो रही है; और

(ख) क्या आगामी वर्षों में रबी उत्पादन की प्रतिशितता में और वृद्धि करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, वर्ष 1972–73 और 1973–74, जबकि रबी के उत्पादन में कुछ कमी आ आई थी, सिवाय, गत कुछ वर्षों के दौरान रबी के खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का रुख रहा है।

(ख) रबी का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेषकर पूर्वी राज्यों में, जहां कि वर्तमान फसलों की पद्धति के अंतर्गत खरीफ को फसलों पर विशेष बल दिया जाता है, लघु सिंचाई की सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

चीनी के निर्यात से होने वाले लाभ में चीनी उद्योग का भाग

*164. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने पर्याप्त मात्रा में चीनी के निर्यात से रुपया मुद्रा में होने वाले लाभ में अपना भाग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) : जी हां।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई है।

फरक्का बांध को क्षति

*168. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या मई के अन्तिम सप्ताह में फरक्का बांध को क्षति पहुंची थी; और

(ख) यदि हां, तो क्षति के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह):(क) और (ख): मुख्य फरक्का बराज संरचना को कोई क्षति नहीं पहुंची है।

1974 और 1975 की मानसून के पश्चात बराज के कंक्रीट तेल के लचीले पट्ट की कुछ कक्षों के अनुप्रभाव में कुछ कटाव दिखाई दिए थे। भारी बाढ़ों के पश्चात् ऐसे कटावा होना असाधारण नहीं है।

कारखानों में और स्टाकिस्टों के पास उर्वरकों का जमा होना

*171. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री हरि सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में और स्टाकिस्टों के पास उर्वरकों की भारी मात्रा जमा हो गई है; और

(ख)यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आयात सहित कुल कितनी मात्रा में उर्वरक रुके पड़े हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खासतौर पर कुछ मिश्रित और फास्फेटयुक्त विनिर्माताओं के कारखानों में उर्वरकों का कुछ स्टाक जमा हो गया है। तथापि, पर्याप्त मार्गस्थ और बफर स्टाक की व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए इस समय उपलब्ध स्टाक बहुत अधिक नहीं है।

(ख) 1975-76 (फरवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक) में कुल उपलब्ध उर्वरक नीचे दिया गया है।

(लाख मीटरी टनों में)

	एन	पी	के
1 फरवरी, 1975 की स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक स्टाक .	2.05	1.21	0.37
जनवरी से दिसम्बर, 1975 तक वास्तविक देशी उत्पादन .	14.23	3.15	—
वास्तविक आयात	11.02	4.31	2.90
कुल उपलब्धि	27.30	8.67	3.27

Major and Medium Irrigation Schemes of Bihar pending with Central Government

*177. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state.

(a) whether several major and medium irrigation schemes of Bihar are pending with the Government;

(b) if so, particulars thereof ; and

(c) the time by which Government propose to clear them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedarnath Singh) : (a) and (b)- Sixteen major and thirty-two medium irrigation schemes of Bihar are at present under various stages of technical scrutiny. The details of these schemes are given in the Annexed Statement.

(c) Approval of these schemes will depend upon their being found technically feasible and economically viable and the funds being available with the State for financing them. [Placed in Library *See* L.T. No. 10148/76]

उर्वरकों का आयात

*178. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 के दौरान कुल कितने उर्वरकों का आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) इनका आयात किन देशों से किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). इस सूचना को देना सार्वजनिक हित में नहीं है। देशी उत्पादन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

तिलहनों और तेलों की खरीद, बिक्री तथा विधायन आदि कार्यों के लिए अभिकरण

*179. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने तिलहनों और तेलों की खरीद, बिक्री तथा विधायन (प्रोसेसिंग) आदि कार्यों के लिए एक एकीकृत अभिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने "कपास, पटसन, मूंगफली और तम्बाकू के विपणन और मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण पहलू" पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में तिलहनों और तेलों की खरीद, बिक्री और परिसंस्करण का काम शुरू करने के लिए एक एकीकृत एजेंसी की स्थापना करने के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। भारत सरकार द्वारा गठित एक कार्यकारी दल इस समय आयोग की इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। इस कार्यकारी दल की सिफारिशों और उस पर सरकार के अन्तिम निर्णय के अनुसार ऐसी एजेंसी स्थापित करने का प्रश्न उचित समय पर हाथ में लिया जाएगा।

गाँवों में संसाधन जुटाने को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही

*180. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी ऋण समितियों ने गांवों में संसाधन जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को इस बात का प्रलोभन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि गांव में साहूकारों से सीधे मिलने वाले ब्याज की तुलना में वे सहकारी ऋण समितियों में राशि जमा करा कर अधिक दर से ब्याज लें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जून, 1974 के अन्त में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की कुल जमा राशियां 89.28 करोड़ थीं जबकि चौथी योजना के अन्त तक 70 करोड़ रुपये का अनुमान था। चौथी योजना में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की जमा राशियों में बढ़ोतरी की औसत वार्षिक दर 11.4 प्रतिशत थी। इन प्राथमिक ऋण सोसायटियों के अलावा, केन्द्रीय सहकारी बैंक भी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से जमा राशियां एकत्र करते हैं। चौथी योजना अवधि के अन्त में 600 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की जमा राशियां जुटाने में उपलब्धि 718.60 करोड़ रुपये है। चौथी योजना में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में जमा राशियों में बढ़ोतरी की औसत वार्षिक दर 20.9 प्रतिशत थी। इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि सहकारी ऋण सोसायटियों ने लक्ष्यों की पूर्ति की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह पता नहीं है कि क्या किसान जमा राशियों पर ऊंची दर पर ब्याज लेने के विचार से ऋण सोसायटियों के बजाय साहूकारों के पास अपनी फालतू पूंजी जमा कर रहे हैं।

डेरी फार्मों के लिए विश्व बैंक से ऋण सहायता

*181. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में डेरी फार्मों की स्थापना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख). विश्व बैंक डेरी फार्म की स्थापना नहीं कर रहा है । परन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, इस देश के विभिन्न भागों में 6 समेकित पशु-तथा डेरी विकास परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है, ताकि 5 लाख और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों के पृष्ठ प्रदेश में विभिन्न उपायों से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और इन शहरों में उपभोक्ताओं को दूध उपलब्ध करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मानव और आर्थिक संसाधनों के उपयोग में सहायता की जा सके । विश्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक में ऐसी तीन परियोजनाओं के स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं और इन राज्यों में एक-एक डेरी विकास निगम भी पंजीकृत किया गया है ।

गन्ने के मूल्यों में कमी

*182. **श्री सरजू पाँडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने इकतरफा ही गन्ने के मूल्यों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे गन्ना उत्पादकों पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग). बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चालू मौसम में गन्ने के अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्य दे रही हैं लेकिन पिछले वर्ष में वास्तव में दिए गए मूल्य से कम मूल्य दे रही है । ये मौजूदा समय के लिए अस्थायी भुगतान हैं लेकिन यह विश्वास दिलाया गया है कि गन्ने के वास्तव में दिए जाने वाले मूल्यों के बारे में जो भी अन्ततः निर्णय किया जाएगा, वही मूल्य सारे मौसम के लिए दे दिए जाएंगे ।

चूहे आदि के नियंत्रण सम्बन्धी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की योजना

*183. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चूहे आदि के नियन्त्रण के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कोई राष्ट्रीय योजना बनाई है ?

(ख) यदि हां, तो उससे सम्बन्धित प्रमुख बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) चूहे आदि के नियन्त्रण व प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गयी है । योजना के विभिन्न पहलुओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्,

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य विभागों को शामिल किया गया है । इस राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत कार्मिकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा और विस्तार एजेंसियों जैसे आल इण्डिया रेडियो, टेलीविजन (साइट) और समाचार पत्रों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को इसके लिए तैयार किया जाएगा । खेतों, खलिहानों और घरों में विषाक्त चुग्गों के प्रयोग और चमड़े जैसे उपजात पदार्थों से चूहों आदि का नियन्त्रण किया जाएगा । योजना के प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना का सुझाव दिया गया है ।

राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद-बीज आदि की सप्लाई

*184. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को खेती के लिये खाद-बीज आदि राजसहायता प्राप्त दरों पर देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना से आम तौर से पिछड़े और पहुंच के बाहर के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों और छोटे किसानों, सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों और बारानी क्षेत्रों के किसानों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रमों एवं कुछ सीमा तक, कुछ निर्यातोमुखी फ़सलों को ही राज सहायता देने की सामान्य नीति है । कृषि आदानों के लिए किसानों को दी गई राज सहायता की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं ।

उर्वरक

उर्वरकों के मामले में राज सहायता इसके जरिए दी जा रही है--

(1) आर्थिक दृष्टि से लागत से कम मूल्य पर पूल उर्वरकों की बिक्री, (2) जम्मू तथा कश्मीर, असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ पर्वतीय और आम्य क्षेत्रों को परिवहन की राज सहायता प्रदान करना, और (3) दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे कुछ पिछड़े हुए संघ राज्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त दरों पर उर्वरकों का वितरण ।

पानी की दरें तथा बिजली के लिए प्रशुल्क

कृषि प्रयोजनों के लिए पानी की दरें तथा बिजली की खपत के प्रशुल्क इन मदों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं । वस्तुतः यह किसानों को दिए जाने वाले पानी और बिजली पर राज सहायता देने की ही बात है ।

वसूली के लिए बोनस योजना

केन्द्रीय पूल में कुछ न्यूनतम योगदान देने के विचार से बाजार में बेचने योग्य फ़ालतू चावल के कुछ बड़े भाग की वसूली करने के लिए उत्पादक बोनस योजना के अन्तर्गत पंजाब, हरियाणा और आंध्र

प्रदेश को बोनस दिया गया है जोकि केवल फ़ास्फ़ेट युक्त उर्वरक को ही राज सहायता देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार को गेहूं देने के लिए एक बोनस योजना के अन्तर्गत भी राज्य सरकारों द्वारा अर्जित बोनस मुख्यत: किसानों के लाभ के लिए विकास कार्यों पर पूंजी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार उचित समझे तो वह रियायती दरों पर किसानों को कुछ कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकती है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

(1) आदानों, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों अथवा नई फ़सलों को अपनाने, फ़ास्फ़ेट युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं और उन्नत कृषि उपकरणों की लागत पर केवल छोटे और सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

(2) व्यापक प्रदर्शनों के लिए कृषि अनुदानों की लागत का 50 प्रतिशत तक अथवा 200 रु० (इनमें से जो भी कम हो) राज सहायता मिल सकती है। ये प्रदर्शन बहुधा छोटे किसानों के खेतों पर किए जाते हैं।

(3) सिंचित क्षेत्रों में केवल नई फ़सलों या कम पानी से उगने वाली फ़सलों को शुरू करने के लिये ही कृषि आदानों पर राज सहायता दी जाती है।

आदिवासी विकास एजेंन्सियाँ

(1) कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनों के लिए आदानों की सप्लाई पर 100 प्रतिशत राज सहायता।

(2) नई सुधारी गई भूमि में भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिये एक जोड़ी हल के लिये बैल और कृषि उपकरणों के एक सैट की सप्लाई के लिये 100 प्रतिशत राज सहायता।

(3) अभिजात योग्य आदिवासी कृषकों को अधिक उपज वाली किस्मों के बीज, उर्वरकों, कीटनाशी औषधि, आदि आदानों की सप्लाई के लिये सामान्यत: 50 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है, परन्तु यह राज सहायता तीन कृषि मौसमों के लिये प्रति परिवार प्रति एकड़ अधिक से अधिक 150 रुपये है।

पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाएं

(1) कृषि प्रदर्शनों के लिये आदानो की सप्लाई करने पर 100 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है।

(2) अन्य कृषि प्रयोजनो के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशी औषधियों, आदि आदानों की सप्लाई के लिये सामान्यत: तीन कृषि मौसमों के लिये राज सहायता की दर 50 प्रतिशत है।

फसल विकास कार्यक्रम

(1) सघन कपास जिला कार्यक्रम, (2) गन्ना, (3) चुकन्दर, (4) पटसन और मेस्ता, (5) तम्बाकू की निर्यात योग्य किस्मों, (6) दालों, (7) समेकित बारानी कृषि विकास और (8) चावल, गेहूं और मिलेट के मिनिकीट कार्यक्रमों की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत बीजों, कीटनाशी औषधियों, आदि विभिन्न मदों के लिये भिन्न-भिन्न दरों पर राज सहायता दी जा रही है।

बड़े नगरों में बेघर व्यक्ति

742. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वृहत बम्बई, वृहत कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में बेघर व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1972–73, 1973–74 तथा 1974-75 की अवधि में सरकार तथा निजी कम्पनियों ने कितने मकानों/फ्लैटों का निर्माण किया ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के नगरीय क्षेत्रों में घरों में न रहने वाले परन्तु पथों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित है :—

वृहत्त बम्बई	59,169
कलकत्ता	48,802
दिल्ली (संघ राज्य)	15,728
मद्रास	7,049

(ख) अपेक्षित सूचना मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

विद्यार्थियों में व्याप्त अशान्ति संबंधी समिति

743. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त विद्यार्थियों में व्याप्त अशान्ति सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशों में स्तरों का सुधार, अध्यापकों और छात्रों के बीच समुचित संबंध को बनाए रखना, छात्रों को भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, छात्र संघों का सही रूप में विकास करना और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूत बनाना सम्मिलित है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि छात्रों को राष्ट्रीय विकास के सार्थक कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए और उन की सेवाओं को सांप्रदायिकता, जातिवाद, प्रादेशिकता और भाषावाद की शक्तियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की अगली बैठक में उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसी बीच, राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं का अनुवाद

744. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने 'शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय' की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनकी रचनाओं का सब राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद करवाने के बारे में कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग ने हाल ही में एक समारोह समिति का गठन किया है जो उस की जन्म शताब्दी की उपयुक्त तरीके से मनाने के सम्बन्ध में सलाह देगी।

WORK ON RAJASTHAN CANAL

745. **Dr. Laxminarayan Pandey :**

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(*a*) the extent to which work on Rajasthan Canal has been completed ;

(*b*) time by which the remaining work is expected to be completed ; and

(*c*) total expenditure incurred so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agrioulture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh):

(*a*) The Rajasthan Canal Project is being constructed in two stages, stage I consisting of the canal length of about 400 kms. (of which the first 204 Kms. acts as a feeder canal) and stage II a canal length of about 256 Kms. alongwith their distribution systems. In Stage I, the work on Rajasthan Feeder in its entire length of 204 Kms. and Rajasthan Main canal upto a length of about 199 Kms. alongwith distribution system for a command of 3·66 lakh ha is complete. In the remaining portion of Stage I, work is in an advanced stage of completion. The work on Stage II of the Project have just been taken up.

(*b*) Stage I of Rajasthan Canal Project would be substantially completed by 1976-77 except for lining of distribution system which would continue for the next three years. The schedule for completion of Stage II is yet to be drawn up by the State Government. The Project is likely to be completed in the Sixth Plan subject to availability of funds.

(*c*) Upto the end of 1974-75, an amount of about Rs. 120 crores had been spent on this Project. The outlay during the current year is Rs. 22·5 crores.

उड़ीसा में बड़ानाला सिंचाई परियोजना

746. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले के वुनुपुर सब-डिवीजन में बड़ानाला सिंचाई परियोजना को उड़ीसा सरकार द्वारा उस प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है जो विश्व बैंक को दिया गया है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में बड़ानाला सिंचाई परियोजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

इंडिया गेट, नई दिल्ली पर महात्मा गाँधी की मूर्ति की स्थापना

747. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग). प्रतिमा समिति ने इस पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना से यह विषय उन के कार्य क्षेत्र के अधीन आ गया। यह मामला उन्हें भेजा गया था। उन्होंने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। यह विचाराधीन है।

देश में नगरीय क्षेत्रों का विकास

748. **श्री वसंत साठे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण नागरिक क्षेत्रों के विकास के लिये एक समेकित योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रूप रेखा क्या है;

(ग) कार्यक्रम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कार्यक्रम के अन्तर्गत आमतौर पर और विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में कौन-सी भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां होने का पता चला है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के मसौदे में राष्ट्रीय महत्व के नगरीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एक केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रम की व्यवस्था है।

(ख) महानगरीय क्षेत्र मध्यम और छोटे नगर तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आते हैं। योजना का उद्देश्य मानव-वास के लिये एक स्वास्थ्यप्रद पद्धति की खोज करना है। परि-योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतया कार्यान्वियन करने वाले प्राधिकारियों के आन्तरिक साधनों

से और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किये गये साधनों से की जानी उदिष्ट है । केन्द्रीय सहायता ऐसे साधनों के अनुपूरक के रूप में की जाती है।

(ग) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे, उन द्वारा सहायता के लिये प्रस्तावित नगर या उप-नगर के विकासार्थ समेकित प्लान तैयार करें, विस्तृत नगर तथा ग्राम आयोजना अधिनियम पारित करें और आयोजना तथा विकास प्राधिकरण स्थापित करें जिन्हें योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, निधियों की व्यवस्था और कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिये पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहियें।

(घ) योजना केवल 1974–75 में आरम्भ की गई है तथा इस के परिणाम प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा ।

जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, 1974–75 में बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर तथा औद्योगिक विकास निगम तथा ग्रेटर बम्बई के लिये समेकित जल पूर्ति तथा मल व्ययन परियोजना के कार्यक्रमों के लिये 3.87 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध की गई थी।

'कमांड' क्षेत्र के विकास की योजनाएं आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता

749. **श्री शंकर राव सावन्त :**
श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुनींदा सिंचाई परियोजनाओं के 'कमाड' क्षेत्र के विकास की योजना आरम्भ करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता देती है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 'कमाड' क्षेत्र के विकास की योजनाओं के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) पंचम पंचवर्षीय योजना के कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के केन्द्रीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचों के लिये राज्यों को सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल चौथी योजना की अवधि के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए सड़कों तथा मंडियों के शेष बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिये ही सहायता देने की व्यवस्था है।

तथापि, राज्य सरकारों को अन्य केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, अर्थात् कमांड क्षेत्र में नई मंडियों की विकास संबंधी योजना से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत क्या कमांड क्षेत्र में शोलापुर में एक मंडी स्थापित करने के लिये दिसम्बर, 1975 में स्वीकृति दी गई । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध धनराशि में से इस के लिये सहायता की पहली किश्त के रूप में 2.5 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और शेष 2.5 लाख रुपये राज्य सरकार से उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर स्वीकृत किये जायेंगे ।

PRICE OF SUGARCANE

750. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the price of sugarcane has fallen considerably during the period from 25th June to December, 1975 ;

(b) whether the price of sugarcane varies considerably from State to State ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b) : Sugar year is from October to September. Thus the period 25th June to 31st December falls within two sugar years *i.e.*, 1974-75 and 1975-76. A statement giving State-wise the range of minimum notified sugarcane prices and those actually paid or being paid by sugar factories during these two years is attached. The notified prices during 1975-76 season are slightly higher while the actual prices being paid are comparatively lower than the preceeding season. [Placed in Library *see* L.T. No. 10149/76].

(c). The actual cane prices being paid during 1975-76 are undr stood to be by and large provisional.

ऋण से राहत

751. **श्री एस० एस० सिद्द्या** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण से राहत के विषय पर एक आदर्श कानून तैयार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को निदेश दिया गया था कि वे आदर्श कानून के आधार पर अध्यादेश जारी करें; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने हाल ही में ऋण से राहत सम्बन्धी अध्यादेश जारी किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारत सरकार ने इस विषय में कोई आदर्श कानून तैयार नहीं किया है, किन्तु भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे और सीमान्त किसानों से ऋण की वसूली करने पर ऋण स्थगन लागू करने और तत्पश्चात् ऐसे ऋणों को सोपानवार तरीके से परिसमाप्त करने हेतु वैधानिक कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकारों को कुछेक मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गुजरात-मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने छोटे किसानों तथा अन्य से ऋण की वसूली करने पर ऋण स्थगन लागू करने के लिए कार्यवाही की है। इन राज्यों में से, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी कमजोर श्रेणियों के ऋण के पूण छुटकारे के लिये कार्यवाही की है। तमिल नाडु विधान में कुछेक शर्तों के होते हुए कृषकों तथा दूसरों दोनों से ऋण की वसूली पर ऋण स्थगन का प्रावधान है। बिहार ऋण राहत अध्यादेश, 1975 में

केवल कुछेक श्रेणियों के लोगों के ऋण के कुल छुटकारे का प्रावधान है। हरियाणा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल विधानों में भी ऋण को घटाने का प्रावधान है।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र

752. **श्री के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लघु सिंचाई' के अन्तर्गत नलकूपों, तालाबों तथा अन्य साधनों से कितने क्षेत्र की सिंचाई होती है;

(ख) सूखे के वर्षों में नलकूपों के अतिरिक्त तालाबों तथा अन्य लघु सिंचाई साधनों से कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई है ; और

(ग) क्या सूखे नलकूपों के कारण सिंचाई में हुई कमी को पूरा करने के लिये कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष 1974-75 के अन्त में देश में लघु सिंचाई के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र का अनुमान नीचे दिया गया है :—

(लाख हैक्टार में)

नलकूपों और खोदे गये कुंओं सहित भूमिगत जल योजनाएं	166
जलाशयों और अन्य स्रोतों सहित सतही जल योजनाएं	77

(ख) सूखे के वर्षों के दौरान जलाशयों और अन्य लघु सिंचाई के कार्यों से फसलों की नमी की कमी को पूरा करने में सहायता मिलती है। परन्तु उन की क्षमता सीमित हो जाती है, यदि इन कार्यों के आपेक्षिक छोटे सत्रण क्षेत्रों में भी वर्षा न हो।

(ग) सूखे नलकूपों से सिंचाई की जो कमी होगी है वह नये लघु सिंचाई कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों की प्रणाली से पूरी की जाती है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि

753. **श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों की 10 करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी हां।

साऊथ मद्रास में टाइप I और II के क्वार्टरों का निर्माण

754. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साऊथ मद्रास में भारत सरकार के कब्जे में कुछ खाली प्लाट हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्लाटों पर टाइप I और II के क्वार्टर तथा कार्यालय भवन बनाने का है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) टाईप I तथा टाईप II के क्वार्टरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव है परन्तु इनका निर्माण तभी किया जा सकता है जब निधियां उपलब्ध होंगी। कार्यालय वास का निर्माण करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Expansion of Department of Archaeology of Allahabad University

755. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the University Grants Commission has any special scheme for the expansion of the Department of Archaeology of Allahabad University ;

(b) whether any Committee was set up to implement this scheme ; and

(c) if so, the main recommendations of the Committee ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan):

(a) to (c) : A Committee of Experts appointed by the University Grants Commission visited the Department of Ancient History, Culture and Archaeology of Allahabad University in December 1975 to examine its developmental proposals under the schemes of Centres of Advanced Study and Special Assistance to Selected Departments. The Committee has not yet submitted its report.

दिल्ली में झुग्गियाँ और झोंपड़ियां

756. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में 25 जून, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक झुग्गियों और झौंपड़ियों से कितने व्यक्ति विस्थापित किये गये ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : लगभग 25,000 परिवार।

नई सिंचाई योजना

757. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी नई सिंचाई योजनाएं आरम्भ की गई हैं अथवा किये जाने का विचार है; और

(ख) कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में परिकल्पित 5 मिलियन हैक्टेयर की शक्यता अधिकांशत: सतत् वृहत और मध्यम सिचाई स्कीमों के द्वारा सिंचित की जानी हैं तथा नई स्कीमों से केवल थोड़े ही भाग का सृजन किया जाना है।

राज्यों ने पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए बहुत सी नई स्कीमों को निर्धारित कर लिया है। इन में से 16 वृहत तथा 92 मध्यम स्कीमों को अभी तक स्वीकृत किया गया है तथा अधिकांश स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग में जांच की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं।

Expenditure incurred on Narmada Valley scheme in Madhya Pradesh

758. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the estimates of the expenditure to be incurred on Narmada Valley Scheme in Madhya Pradesh, and

(b) the acreage of land estimated to be irrigated under Narmada Valley Scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) and (b) : The two major irrigation projects in Madhya Pradesh in the Narmada Basin whch have been approved and are under construction are Tawa and Barna. The details with regard to estimated cost expenditure incurred etc. on these two schemes is given below :

Name of the Project	Estimated cost Rs. crores	Anticipated expenditure by March 76 Rs. crores	Ultimate benefits thousand ha. of irrigation
Tawa	69·47	40·71	332·0
Barna . . .	12·97	10·99	63·2

अनाज का बफर स्टाक

759. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अच्छी फसल होने के फलस्वरूप देश में कितने अनाज का बफर स्टाक बनाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : नवम्बर, 1975 के अन्त में सरकारों (केन्द्रीय और राज्य) के पास खाद्यान्नों का कुल प्रत्यक्ष, स्टाक (परिचालन-स्टाक सहित) 65 लाख मीटरी टन था जब कि नवम्बर, 1974 के अन्त में 22 लाख मीटरी टन था ।

आर्थिक कार्यक्रम में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

760. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम में प्रस्तावित 50 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने परिव्यय की आवश्यकता होगी; और

(ख) केन्द्र से राज्यों को पर्याप्त धनराशि तथा अपेक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम में पांचवीं योजना के अन्तिम चार वर्षों के दौरान वृहत्त और मध्यम सिंचाई स्कीमों के द्वारा 5 मिलियन हैक्टेयर क्षमता के सृजन परिकल्पित हैं। इस के लिए पांचवीं योजना के

मसौदा में 2016 करोड़ रुपये की परिव्यय के स्थान पर लगभग 2730 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। इस का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1975–76	481
1976–77	725
1977–78	760
1978–79	764
कुल :	2730

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों के लिये परिव्यय राज्यों द्वारा राज्य-योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है। तथा यह विकास के किसी शीर्ष अथवा विशिष्ट स्कीम से जुड़ी नहीं होती। चूंकि लक्षित लाभों के एक बड़े भाग को सतत् स्कीमों से प्राप्त करना है, राज्यों से इस के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है।

कुछ चुनी हुई सिंचाई स्कीमों के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को 56.65 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम योजना सहायता के रूप में व्यवस्था करने का प्रश्रस्ताव है ताकि इन के लाभों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकें।

मयूराक्षी परियोजना, पश्चिम बंगाल

761. **श्री ए० के० किस्कू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूराक्षी परियोजना (पश्चिमी बंगाल) जो कि कार्य 1946 में आरम्भ हुआ था, शीघ्र ही पूरी हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना संभवत: किस तारीख तक पूरा हो जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : मूलत: आयोजित मयूराक्षी परियोजना, पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। बहरहाल, नहर प्रणाली का विस्तार तथा सुधार कार्य जिस में अतिरिक्त वितरण नहरों और लघु नहरों, जलमार्गों, पुलों आदि का कार्य शामिल है, प्रगति पर है। 1974–75 के दौरान 247,000 है की कुल अन्तिम शक्यता की तुलना में 240,000 हैक्टेयर की वास्तविक सिंचाई की गई थी। यह परियोजना पूरी तरह से पांचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी।

Land Distribution in Bhinga, Uttar Pradesh

762. **Shri B. R, Shukla :** Will the Minister of **Agriculture and & Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of persons among whom Tangia land of Bhinga forest in Uttar Pradesh has been distributed this year ; and

(b) the number of persons out of recepients of land, who have been shown as landless or landless Harijans in the land records of Revenue Department ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel):

(a) and (b) : The information is being collected and would be placed on the Table of the Sabha when recieved.

भुवनेश्वर में हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्मेलन में की गई सिफारिशें

763. **श्री राजदेव सिह : क्या शिक्षा, समाज, कल्याण और सांस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में मुख्यत: क्या सिफारिशें की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

I. सभी माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा शिक्षा की नयी प्रणाली को अपनाना तथा स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार प्रत्येक बोर्ड द्वारा पाठ्यचर्या का पुनर्गठन करना । दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या में कार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समाज सेवा तथा कलाओं जैसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना । पुस्तक जगत तथा कार्य जगत के बीच की खाई को पाटने के लिए मौलिक आधार कार्यानुभव होना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

II. सभी बोर्डों को अपेक्षित कदम उटाने चाहिएं ताकि विद्यमान अध्यापक नए विचारों को अपना सकें और उन्हें विषयों तथा प्राविधियों दोनों के सम्बन्ध में व्यवासायिक परूप से योग्य बनाया जा सके ।

III. वांछित सामाजिक सुधार लाने के लिए जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । संसाधानों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और यथा सम्भव स्वत: रोजगार तथा व्यावसायिक दक्षता के लिए अपेक्षित अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं । जहां कहीं भी सम्भव हो व्यावसायिक विषयों तथा सम्पर्क (ब्रिज) पाठ्क्रमों की संख्या और स्वरूप की भी व्यवस्था की जानी चाहिए ।

IV. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करते समय, कृषि, पशु-पालन, सहकारिता आदि विभागों जैसी क्षेत्र एजेन्सियों की सहायता ली जानी चाहिए । । व्यावसायिक शिक्षा, में सामग्रियों के उपलब्ध करने, उत्पादन वस्तुओं के विपणन, विपणन करने की प्रवृत्ति, बैंक ऋणों आदि की सुविधाओं के सम्बन्ध में मार्गदर्शन शामिल होना चाहिए ।

V बोर्डों द्वारा–अंक प्रदान करने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर ग्रेड देना, प्रश्न–पत्रों की कोटि में सुधार, प्रश्न–बैंक की स्थापना और विभिन्न विषयों में सतत आन्तरिक मूल्याकंन सहित विभिन्न परीक्षा सुधार आरम्भ किए जाने चाहिएं ।

VI नई शिक्षा पद्धति में निहित परिवर्तन की चुनौती का सामाना करने के लिए, विचराशील गम्भीर तैयारी और अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए और शैक्षिक परिवर्तन के तीनों प्रमुख संयोजकों (समन्वयनकों) को अर्थात पाठ्यचर्या, शैक्षिक सामाग्री और अध्यापक प्रशिक्षण को प्रत्येक बोर्ड का उचित मनोयोग मिलना चाहिए ।

VII प्रत्येक बोर्ड को राज्य के विश्वविद्ययालयों से बातचीत आरम्भ करनी चाहिए तथा बोर्ड और विश्वविद्यालययों की शैक्षिक परिषदों की एक समान समिति होनी चाहिए और उन्हें अपनी समान समस्याओं को मालूम करना चहिए ताकि उपयुक्त संयोजन को सुनिश्चित किया जा सके ।

VIII प्रत्येक बोर्ड की प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम विशेषकर पुस्तकों की सस्ते दरों पर मुहैय्या करने और अन्य छात्र कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने अपने पाठयक्रम तथा पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण आरम्भ करना चाहिए ।

खेलकूद के लिए अखिल भारतीय संगठन निकाय

764. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाकी, फुटबाल, वालीवाल जैसे अनेक खेलों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय संगठन हैं और एक ही खेल के लिए ये संगठन एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार ने विभिन्न खेलों सम्बन्धी विभिन्न अखिल भारतीय संगठनों/निकायों को 1975–76 में कितनी धनराशि दी और उसे उनमें किस स्वरुप का और कितना प्रतिनिधित्व मिला तथा इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान हुई अन्य सभी संगत बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, केवल भारतीय वालीबाल संघ के कुछ झगड़े हैं जो अब उच्च न्यायालय में कानूनी कार्रवाई के विषय हैं ।

(ख) 1975–76 (31 दिसम्बर, 1975 तक) के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को कुल 14,79,069.45 रुपये के अनुदान दिये गये हैं ।

क्योंकि ये संघ/संस्थाएं स्वायत्त निकाय हैं, इसलिए इनमें से किसी में भी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है ।

संसदीय सौध, नई दिल्ली पर हुआ खर्च

765. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसदीय सौध, नयी दिल्ली, का निर्माण–कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) इस निर्माण कार्य पर कितना धन खर्च हुआ है ;

(ग) उस पर अनुमानित खर्च कितना होना था और वास्तव में उस पर कितना खर्च हुआ है ; और

(घ) उक्त सौध को किस प्रयोजन के लिए काम में लाया जायेगा ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) भवन पूर्ण हो चुका है और दखल में हैं, लेकिन आन्तरिक कार्य का कुछ संशोधन किया जा रहा है ।

(ख) दिसम्बर, 1975 तक 3,51,19,758.00 रुपये—तथापि, कुछ बिलों का अभी भुगतान किया जाना है ।

(ग) (i) कुल अनुमानित लागत 2,24,80,602.00 रुपये थी ।

(ii) अन्ततः किया जाने वाला सम्भावित खर्च 3,70,00,000.00 रुपये हो जाने की आशा है ।

(घ) इस भवन का निर्माण संसद् की बढ़ रही गतिविधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये किया गया है, नामतः संसदीय समितियों की बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार आदि, इसके अतिरिक्त संसद् के सचिवालयों के कार्यालय भी इसी में स्थित हैं ।

रावी नहर परियोजना की संशोधित लागत

766. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रावी नहर परियोजना की लागत का पुनरीक्षण करना है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के दौरान परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) यह स्कीम, 29.84 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मई, 1973 में स्वीकृति की गई थी । बहरहाल राज्य सरकार ने 1976–77 के लिए अपनी वार्षिक योजना-पत्र में यह बताया है कि इस परियोजना की लागत 36 करोड़ रुपये होने की संभावना है । तथापि, अभी तक राज्य सरकार से संशोधित प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) राज्य सरकार ने अपनी योजना में इस स्कीम के लिए 1975–76 के दौरान 15 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की है । इस स्कीम को तेजी के साथ पूरी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1975–76 के दौरान 75 लाख रुपये की विशेष अग्रिम योजना सहायता की स्वीकृति दी है ।

महानगरों में गन्दी बस्तियों को हटाना

767. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली महानगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में वर्ष 1974 तथा वर्ष 1975 में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) इन नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि मन्जूर की थी; और

(ग) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों ने उक्त धनराशि का समुचित और पर्याप्त उपयोग किया था।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :(क) से (ग) : गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है तथा राज्य सरकारें, राज्य प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता, जो उनको समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रुप में दी जाती है, का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार, करने में स्वतंत्र हैं। 1974-75 वर्ष के दौरान दिल्ली में इस योजना के अधीन 1376 टेनामेन्टों का निर्माण किया गया था, तथा 1975-76 के दौरान 832 टेनामेन्टों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था और यह प्रगति पर है। शेष तीन महान नगरों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

धमारा, उड़ीसा में मत्स्य बन्दरगाह

768. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में धमारा में एक मत्स्य बन्दरगाह की मंजूरी दी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जाने वाले उड़ीसा के अन्य मत्स्य बन्दरगाहों के नाम क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) जी हां।

(ख) पारादीप की प्रमुख पतन पर एक मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। फिर भी धन की कमी के कारण कुछ समय के लिए इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है।

केरल में एक लाख मकानों के निर्माण का कार्यक्रम

769. **श्री जनार्दनन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देशपर्यन्त ग्रामीण निर्धनों के लिये आवास योजना के अन्तर्गत राज्यों में कितने व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं;

(ख) क्या केरल सरकार की निर्धनों के लिये एक लाख मकानों की योजना अन्तिम चरण में है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना पूरी करने के लिए केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :(क) 1957 में, जब से, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम आरम्भ हुई है उस के अधीन देश में अब तक 61,680 मकानों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की एक अन्य योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी। यह सरकार की न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम में से एक योजना है और इसे प्रधान मंत्री द्वारा घोषित किये गये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर, 1975 तक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, भूमिहीन मजदूरों को 58.35 लाख से अधिक आवास स्थल (जिस में अविकसित आवास स्थल शामिल हैं) आवंटित किये जा चुके हैं।

(ख) केरल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना के अन्तर्गत उनद्वारा विकसित किये जा रहे आवास स्थलों पर एक लाख मकान निर्माण करने का कार्यक्रम बनाया था। उन्होंने पहले ही 33,010 मकान लाभ भोगियों को दे दिये हैं। इस के अतिरिक्त, 32,887 आवास स्थलों का वितरण किया गया है क्योंकि संबंधित पंचायतों द्वारा उन पर मकानों का निर्माण नहीं किया जा सका। यद्यपि, योजना 2-10-75 को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया था, जो अधूरे मकान थे उन्हें 31 मार्च, 1976 तक पूरे कर दिये जाने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) योजना के अधीन, केरल सरकार को 96,000 आवास स्थलों के विकास के लिये 505.10 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है। योजना में अवास स्थलों पर मकानों का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं है।

शरत चन्द्र चटर्जी की जन्म शताब्दी

770. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय, विशेषत: संस्कृति विभाग ने महान उपन्यासकार एंव राष्ट्रवादी नेता शरत चन्द्र चटर्जी की जन्म शताब्दी को उपयुक्त ढंग से मनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इन समारोहों के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख). निम्नलिखित कदम पहले से ही उठाए जा चुके हैं :—

(i) संस्कृति विभाग की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने सदस्य देशों द्वारा महान नेताओं की वर्षगांठ मनाने के अपने वर्तमान कैलेण्डर में शरत चन्द्र चटर्जी की जन्म शताब्दी शामिल कर ली है।

(ii) साहित्य अकादमी ने सुबोध चन्द्र सेनगुप्त द्वारा अंग्रेजी में लिखित 'शरत् चन्द्र : मैन एण्ड आर्टिस्ट' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है।

(iii) साहित्य अकादमी शीघ्र ही कलकत्ता में शरत् चन्द्र चटर्जी पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रही है।

(iii) राष्ट्रीय पुस्तकालय ने शरत चन्द्र चटर्जी के जीवन तथा कृतियों पर कलकत्ता में सितम्बर, 1975 में एक प्रदर्शनी आयोजित की।

(v) संस्कृति विभाग ने, निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन तथा शरत् चन्द्र जन्म शताब्दी भागलपुर के 48 वें वार्षिक सत्र की स्वागत समिति को 10,000 रुपये स्वीकृत किए हैं।

(vi) विभाग ने बंगला एसोसिएशन, नई दिल्ली को शरत् चन्द्र पर, सेमिनार आयोजित करने तथा स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए 5,000/- रुपये का अनुदान दिया है।

संस्कृति विभाग ने जन्म शताब्दी को उपयुक्त रूप से सामने के लिए सलाह देनेहेतु हाल ही में एक समारोह समिति गठित की है। उसकी सलाह को ध्यान में रखते हुए, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महाराष्ट्र में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

771. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में खाद्यान्न तथा चीनी जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य अभी भी अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में चावल, ज्वार, बाजरा और चीनी के चल रहे मूल्य एक साल पहले के मूल्य की तुलना में काफी कम हैं लेकिन कम आमद के मौसम की वजह से आमद में कमी होने के कारण गेहूं के मूल्य मामूली अधिक चल रहे हैं।

गेहूं की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

772. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं की खती के अंतर्गत राज्यवार, कितना क्षेत्र था; और

(ख) 1975 में प्रति हैक्टेयर क्षेत्र में, राज्यवार गेहूं की कितनी उपज हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). 1974-75 में प्रमुख राज्यों में गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र और इसकी प्रति हैक्टयर उपज के अनुमान इस प्रकार है :-

राज्य	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	प्रति हैक्टेयर उपज (किलोग्राम)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश .	0.3	714
असम .	0.6	1273
बिहार . .	14.8	1353
गुजरात . . .	4.1	1808
हरियाणा	11.2	1748
हिमाचल प्रदेश . . .	3.2	1116
जम्मु तथा कश्मीर . .	1.9	1013
कर्नाटक . .	3.9	707
मध्य प्रदेश .	28.8 (पी)	844(पी)
महाराष्ट्र .	9.4	841
उड़ीसा . .	0.5	1156
पंजाब	23.5 (पी)	2360 (पी)
राजस्थान	14.2	1280
उत्तर प्रदेश .	60.0	1174
पश्चिम बंगाल	4.2	1984
दिल्ली	0.5	2006
अखिल भारत	181.1	1338

(पी)-अस्थायी

वर्तमान विद्यार्थी यूनियनों का पुनर्गठन

773. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**

श्री जनेश्वर मिश्र : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में हाल ही में हुई उपकुलपतियों की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान विद्यार्थी यूनियनों का विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्णतया पुनर्गठन किया जाना चाहिये और उनका शैक्षिक नवीकरण किया जाना चाहिये ;

(ख) सर्वोत्तम शैक्षिक रिकार्ड वाले विद्यार्थियों को उक्त पदों के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन लखनऊ में 23 और 24 दिसम्बर 1975 को हुआ था। कुलपतियों का यह विचार था कि विषय संस्थाओं की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए जिनकी कार्यकारी समिति में शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त छात्र तथा सह पाठ्यचर्या संबंधी क्रियाकलापों में सर्वोत्तम छात्र शामिल होने चाहिये। कार्यकारी समितियों को विषय संस्थाओं के पदाधिकारियों का चुनाव करना चाहिये जो बाद में विश्वविद्यालय / कालेज संघ की कार्यकारी समिति का गठन करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कुलपतियों को कुछ छात्रों से उपयुक्त परामर्श करने के पश्चात् प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी है।

Prices of Foodgrains

774. **Shri B. S. Chowhan :**
Shri Ramavatar Shashtri :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the prices of wheat, barley, gram and other grains have come down in the open market this year as compared to previous years; and

(b) if so, the facilities being given by Government to the grain producing farmers in order to provide relief to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) (a) and (b). Yes Sir. The policy of Government is to all the quantities offered for sale at procurement prices. The Food Corporation of India and the other public agencies have adequate arrangements to implement this policy.

विकलाँग व्यक्तियों के लिये नौकरियों का आरक्षण

775. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किन्हीं प्रकार की नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों के लिये कुछ पदों का आरक्षण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या किन्ही चक्षुहीन व्यक्तियों को देहरादून में प्रशिक्षण लेने के बाद भी नौकरियां नहीं दी गई; और

(ग) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों के लिये नौकरियां आरक्षित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ग). उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ परामर्श से इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय नेत्रहीन केन्द्र प्रशिक्षण देता है तथा इस पर रोजगार दिलाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो भी, सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयत्नों के कारण कुछ प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है। सभी के लिए रोजगार प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा उड़ीसा के लिए मंजूर की गई आवास योजनाएं

776. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने उड़ीसा के लिये कोई आवस योजनाएं मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी उक्त योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ;

(ग) उनकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) क्या ये योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) चार।

(ग) 361.13 लाख रुपये।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	योजना	ऋण लेने वाला अभिकरण	स्वीकृति की तारीख	प्रगति की मौजूदा स्थिति
1	शिकारपुर रिहायशी आवास योजना, कटक	ग्रेटर कटक सुधार न्यास	21-3-1973	इस योजना की लागत का मूल अनुमान 332.65 लाख रुपये था। इसके विपरीत, 287.16 लाख पये का ऋण स्वीकृत किया गया था। इसमें से, ऋण लेने वाले अभिकरण ने 14–1–76 तक हुडको से केवल 52.62 लाख रुपये की राशि ली थी। अभिकरण ने अब 233.17 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक संशोधित योजना प्रस्तुत की है और 167.70 लाख पये के ऋण का अनुरोध किया है। 30 सितम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये ऋण लेने वाले अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई आधुनिकतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक किया गया व्यय 52.36 लाख रुपये है। योजना निर्धारित समय से काफ़ी पीछे है।
2	तुलसीपुर आवास योजना, कटक	ग्रेटर कटक सुधार न्यास	18-3-1974	योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है ; अभिकरण ने हुडको से लिये गये ऋण की जमानत के लिये अभी रेहन नामा निष्पादित करना है।
3	बसन्ती आवास योजना, राउरकेला	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	25-11-1975	ऋण करारनामा अभी निष्पादित किया जाना है।
4	सैनिक स्कूल क्षेत्र भुवनेश्वर में आवास योजना।	उड़ीसा राज्य आवास बोर्ड	25-11-75	ऋण करारनामा अभी निष्पादित किया जाना है।

2404 LS—4

नये रणजीत नगर में सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत निर्माण और कब्जे हटाया जाना

777. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत कब्जों के बारे में 17 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नये रणजीत नगर में सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत निर्माण और कब्जे हटाने तथा प्लान के अनुसार सार्वजनिक पार्कों का विकास करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख) : यह मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

बालिराजगढ़ स्थल का उत्खनन

778. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार के मधुबनी जिले में बाबू बरही ब्लाक में बालिराजगढ़ स्थल के उत्खनन के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान उत्खनन के क्या निष्कर्ष निकले

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख). बिहार सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने 1974–75 में बालिराजगढ़ में उत्खनन कराया है। खातों में से एक खात का उत्खनन पानी की निचली तह तक किया गया और उससे आगे खुदाई सम्भव न थी। फिर भी पिछले मौसम तक उत्खनन से दो सांस्कृतिक कालों का पता चला है। उनमें से पहला शुंगकाल और दूसरा कुषाण और गुप्त काल है। प्रारम्भिक स्तरों पर उत्तरी-काले-ओपदार मृदभांडों के टुकड़े दिखाई पड़े हैं ।

New Sugar Mills in U. P.

77. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of new sugar mills set up by Government in Uttar Pradesh ; and

(b) the number of those mills which have started production ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). Government have not set up by themselves any sugar mill in Uttar Pradesh. However, three new sugar mills in the co-operative sector, assisted by the State and Central Governments, have gone into production during the current sugar year, 1975-76.

वायु और जल दूषण

780. श्री रानेन सेन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वायु तथा जल दूषण में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां, कुछ सीमा तक।

(ख) जल प्रदूषण पर रोक और नियन्त्रण के कानून का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये जल (प्रदूषण पर रोक तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन, एक केन्द्रीय और कुछ राज्य बोर्ड स्थापित किये गये हैं ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रण कानून बनाने पर कार्यवाही की जा रही है ।

उर्वरकों का मूल्य

781. श्री विभूति मिश्र : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया का मूल्य 50 रुपये से बढ़ा कर 101 रुपये प्रति बोरी और सुफाला का मूल्य 115 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है ;

(ख) क्या कृषि उत्पादनों के मूल्य काफी गिर गये हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार उर्वरकों का समेकित मूल्य निर्धारित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) जी नहीं । दिनांक 18 जुलाई, 1975 से यूरिया का खुदरा मूल्य प्रति बोरी 100 रुपये से घटा कर प्रति बोरी 92.50 रुपये और सुफाला (15–15–15) का मूल्य दिनांक 21 जुलाई, 1975 से प्रति बोरी 90 रुपये से घटाकर प्रति बोरी 82.5 रुपये कर दिया गया था ।

(ख) जी हां । अधिकांश कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी आई है ।

(ग) कृषि जिंसों के अधिकतम सहाय्य मूल्यों / अधि प्राप्ति मूल्यों को निर्धारित करते समय उर्वरकों के मूल्यों के परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है ।

दुकानें गिराने के परिणाम स्वरूप दुकानदारों को भूमि का आवंटन

782. श्री शशि भूषण : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही के सफाई अभियान में जिन व्यक्तियों के मकान गिराये गये हैं, उन्हें मकान बनाने के लिये भूमि का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) क्या जिन दुकानदारों की दुकानें गिराई गई हैं, उन्हें कोई जमीन नहीं दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) वास्तविक और पात्र सभी दुकानदारों को वैकल्पिक आवंटन कर दिये गये हैं / की पेशकश की गई है ।

(ग) उन व्यक्तियों को जो किसी पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे या उन्मूलन अभियान के तुरन्त पूर्व बैठे थे, कोई भूमि आवंटित नहीं की गई क्योंकि वे पात्र नहीं थे ।

खाद्यान्न का उत्पादन और वसूली

783. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में देश में खाद्यान्न, अनाज और दालों का वास्तव में कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1975-76 में कितने उत्पादन का अनुमान है ;

(ग) 1973–74 और 1974–75 में वसूली के राज्यवार लक्ष्य क्या थे और इसकी वास्तविक वसूली के आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) 1975–76 में वसूली के राज्यवार लक्ष्य क्या हैं और आज तक वास्तविक वसूली के आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में 1973–74 और 1974–75 के दौरान खाद्यान्नों, अनाजों और दालों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :—

मद	कुल उत्पादन (दस लाख मीटरी टन में)	
	1973–74	1974–75
खाद्यान्न (अनाजों और दालों सहित) . .	1046.6	1010.7
अनाज . . .	946.5	906.7
दालें	100.1	104.0

(ख) वर्ष 1975–76 के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी राज्यों द्वारा देय नहीं हुए हैं ।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखे गये । देखिये—संख्या एल० टी० 10150/76]

हिन्दी में उच्च अध्ययन के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को सुविधाएं

784. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में उच्च अध्ययन के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को कोई सुविधायें दी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ग) उन छात्रों की संख्या क्या है जिन्हें चालू वर्ष के दौरान ये सुविधायें दी गई हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). "हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां" नामक योजना के अन्तर्गत हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । 1975-76 वर्ष के लिए ऐसी दो हजार छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उत्तर स्नातक/अनुसंधान स्तर पर हिन्दी अध्ययन को सुकर बनाने के लिए विश्वविद्यालयों के परामर्श से हिन्दी अनुसंधान अध्येताओं को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा 350 रुपये के हिसाब से 20 यात्रा अनुदान प्रदान किये जाते हैं ताकि वे हिन्दी भाषी क्षेत्रों का दौरा कर सकें, अध्येताओं से मिल सकें और हिन्दी पुस्तकालयों और उच्च अध्ययन संस्थाओं का दौरा कर सकें । इन यात्रा अनुदानों के लिए 1975-76 के दौरान अब तक 9 छात्रों का चयन किया गया है ।

कलिगा के पुरातत्वीय खण्डहर और अवशेष

785. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के पुरातत्व विभागों ने कलिंग के पुरातत्वीय खण्डहरों और अवशेषों का पता लगाने के लिये जिला कोरापुट, गंजम, फूलबनी और कालाहांडी का सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक ज्ञात हुये मंदिरों, मठों आदि के नाम क्या हैं; और

(ग) इन पुरातन स्मारकों की सुरक्षा और देखभाल के लिये उक्त विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) अब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कुछ चुने हुए स्थलों और स्मारकों का सर्वेक्षण किया गया है । राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण किये गये स्मारकों और स्थलों के संबंध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) कई वर्षों के बाद सर्वेक्षण के ध्यान में आये मंदिरों और पुरावशेषों के नाम निम्नलिखित हैं :—

जिला कालाहाँडी

1. धवलेश्वर मंदिर, मोहनगिरि
2. नीलकंठेश्वर मंदिर, दादपुर
3. बूदराज मंदिर, भीमकेला
4. प्राचीन मंदिरों के अवशेष, अमथगढ़
5. खंडित मंदिर, विश्वनाथ पुर (तोपी ग्राम)
6. चंडी और दूसरे खंडित मंदिर, बेलखंडी-राजापदर
7. लंकेश्वरी और दधिवामन मंदिर और खंडित किला, जूनागढ

8. बालभद्रेश्वर मंदिर, नारला
9. खंडित मंदिर, देहाली
10. किला असुरगढ़
11. शिला चित्र, गूडाहांडी

जिला फूलबनी

1. सिद्धेश्वर मंदिर, गंधराड़ी
2. नीलमाधव मंदिर, गंधराड़ी
3. पश्चिम सोमनाथ मंदिर, बौध टाऊन
4. कपिलेश्वर मंदिर, बौध टाउन
5. भूवनेश्वर मंदिर, बौध टाउन
6. बिहारों के खंडहर, बौध टाउन

जिला गंजाम

1. किला गंजाम
2. गंगाधर स्वामी मंदिर, कोटटा कोल्ला
3. जगदीश्वर स्वामी मंदिर, कोट्टा कोल्ला
4. भीम मंदिर, महेन्द्रगिरि
5. कुंती मंदिर, महेन्द्र गिरि
6. यूधिष्ठर मंदिर, महेन्द्रगिरि
7. किला और अशोक शिला-लेख, जोगड़

ज़िला कोरापुट

1. शिव मंदिर, बेरम सिगपुर
2. प्राचीन स्थल और सवेश्वर मंदिर, नंदपुर
3. गूप्तेश्वर गूफ़ा, जेयपुर
4. मल्लिकेश्वर और नील कंठेश्वर मंदिर, पदुमपुर के पास योगमुंडा पहाड़ी पर
5. पतालेश्वर और दूसरे मंदिर, पकापदा (थरुवेली)

(ग) इन स्मारकों में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित स्मारक राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण सुरक्षित किये गये हैं :–

1. सिद्धेश्वर मंदिर, गंधराड़ी (जिला फ़ूलबनी)
2. नील माधव मंदिर, गंधराड़ी (जिला फ़ूलबनी)

3. पश्चिम सोमनाथ मंदिर, बौध टाउन (जिला फ़ूलबनी)
4. कपिलेश्वर मंदिर, बौध टाउन (जिला फ़ूलबनी)
5. भूवनेश्वर मंदिर, बौध टाउन (जिला फ़ूलबनी)
6. गंगाधर स्वामी मंदिर, कोट्टा कोल्ला (जिला गंजाम)
7. जगदीश्वर स्वामी मंदिर, कोट्टा कोल्ला (जिला गंजाम)
8. भीम मंदिर, महेन्द्र गिरि (जिला गंजाम)
9. कुंती मंदिर, महेन्द्र गिरि (जिला गंजाम)
10. यूधिष्ठर मंदिर, महेन्द्रगिरि (जिला गंजाम)
11. अशोक शिला लेख, जौगड़ (जिला गंजाम)

असुरगढ़ (जिला कालाहांडी) के स्थल को भी सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बाकी बचे जो स्मारक प्रान्तीय महत्व के हैं। उनकी सुरक्षण करने के लिए राज्य सरकार से पूछा गया हैं। अपेक्षा के अनुसार स्मारकों के सुरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है।

कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मकान देने के लिये नई आवास नीति

786. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मकान देने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या नई नीति अपनाई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख). इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक आवास योजनाएं कम आय वर्गों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिये उद्दिष्ट हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को बिना मूल्य आवास स्थल देने की एक नई योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थीं। यह योजना अब प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल की गई है। इस प्रकार दिये गये आवास स्थलों पर भूमिहीन मजदूरों से यह आशा की जाती हैं कि वे अपने साधनों से या ऐसी सहायता से जो राज्य सरकारों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है, उन पर मकान/झोंपड़ी बनायें। दिसम्बर, 1975 के अन्त तक राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनूसार राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को 58.35 लाख से अधिक आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त भाण्डागारण क्षमता बनाना

787. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर 436,000 टन की अतिरिक्त भाण्डागारण क्षमता बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर 4.36 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। यह निर्माण-कार्य मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा अंशतः केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा किया जाएगा।

पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

788. **श्री समर गुह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के कुल कितने शरणार्थियों को अभी पुनः बसाया जाना है ;

(ख) विभिन्न-शिविरों में ऐसे कितने-कितने शरणार्थी हैं;

(ग) ऐसे शिविरों में वे कितनी-कितनी अवधि से हैं ;

(घ) क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए निर्धारित समय क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). 31-12-1975 को मार्गस्थ शिविरों, कर्मी शिविरों तथा कार्य स्थलों पर पुनर्वास की प्रतीक्षा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासी परिवारों की संख्या 17,329 है जिनमें 78440 व्यक्ति हैं। इन आंकड़ों का विभाजन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पुनर्वास की प्रतीक्षा करने वाले नए प्रवासी परिवार अधिकतर 1970 में आए हुए परिवार हैं।

(घ) और (ङ). 21,300 परिवारों को पांचवीं योजना की अवधि में बसाने के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इनमें से 15,600 परिवारों को कृषि भूमियों तथा 5,700 परिवारों को गैर-कृषि व्यवसायों में बसाने की योजना है जो कि उपयुक्त भूमि तथा पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

31–12–1975 को विभिन्न मार्गस्थ शिविरों, कर्मी शिविरों तथा कार्य-स्थलों पर पुनर्वास की प्रतीक्षा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नये प्रवासियों के विभाजन को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य / शिविर का नाम	कृषक परिवार	गैर-कृषक परिवार	कुल	
			परिवार	व्यक्ति
बिहार				
भरंगा . . .	166	7	173	865
बेंतिया . .	..		..	..
महाराष्ट्र				
चन्द्रपुर . .	12	48	60	260
राजस्थान				
देवली . .	524	..	524	2821
त्रिपुरा				
अरुंधती नगर .	..	321	321	1163
पबियाचेरा . .	..	46	46	127
उत्तर प्रदेश				
रूद्रपुर .	497	15	512	2105
योग .	1199	437	1636	7341
केन्द्रीय शिविर				
माना .	4954	2400	7354	32645
शिविर आबादी का कुल योग	6153	2837	8990	39986

राज्य / शिविर का नाम	कृषक परिवार	गैर-कृषक परिवार	कुल	
			परिवार	व्यक्ति
कर्मी शिविर				
दण्डकारण्य . .	2657	23	2680	12372
आन्ध्र-प्रदेश . .	495	..	495	2280
मध्य प्रदेश .	361	..	361	1711
योग . .	3513	23	3536	16363
कार्यस्थलों में लौटने वाले परिवार				
तावा . .	3845	..	3845	17728
दुलरिया . .	834	8	842	4030
योग . .	4479	8	4687	21758
स्थायी दायित्व गृहों में पुनर्वास योग्य परिवार				
अमताली . .	..	116	116	333
कुल योज .	14345	2984	17329	78440

नदियों का उपयोग

789. **श्री वसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की मुख्य नदियों के जल का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही योजना तैयार की गई है और उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : देश में समुपयोज्य तलवर्ती तथा भूगत जल के क्रमशः 666 हजार मिलियन घन मीटर और 275 हजार मिलियन घनमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। इससे 107 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस में तलबर्ती जल द्वारा 72 मिलियन हैक्टेयर और भू-गत जल संसाधनों द्वारा 35 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। 1974–75 के अन्त तक 46 मिलियन हैक्टेयर की शक्यता पहले ही सृजित की जा चुकी है। पांचवीं योजना के अन्त तक इस शक्यता को लगभग 56 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह कुल अंतिम शक्यता का लगभग 52 प्रतिशत हो जाएगी।

उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकाधिक समुपयोजन के लिए उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) बृहत्, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों के बड़े कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा सिंचाई के विकास की गति में तेजी लाना ।

(2) सिंचाई परियोजनाओं के कमान में तलवर्ती एवं-भू-गत जल का समेकित रूप में समुपयोजन ।

(3) सृजित सिंचाई शक्यता के अधिकतम समुपयोजन की सुनिश्चित करने के लिए कमान क्षेत्र विकास का कार्यक्रम ।

(4) वर्तमान नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण जिसमें चैनलों को पक्की करना भी शामिल है ।

(5) जल के प्रयोग में किफायत करने तथा सुचारू प्रवन्ध एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध जल के अधिकतम प्रयोग करने के लिए उपाय करना ।

अपनी ड्यूटी के स्थान पर निजी मकानों वाले कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर खाली किया जाना

790. **श्री वसन्त साठे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि जिन कर्मचारियों के पास अपनी ड्यूटी के स्थान पर अपने निजी मकान/फ्लैट हैं वे सरकारी क्वार्टर खाली कर दें ;

(ख) यदि हां, तो देश के प्रमुख नगरों में उक्त आदेशों का क्रियान्विति की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों से फ्लैट खाली कराने के लिए कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है और कौन-सी श्रेणी के कर्मचारियों को इन आदेशों से छूट दी गई है; और

(घ) इन आदेशों की क्रियान्विति कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां । या तो मकान खाली करें अथवा यदि वे सरकारी मकानों में रहना जारी रखना चाहें तो बाजार दर पर लाइसेंस फीस दें ।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय उनके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी मकानों के मामले में निर्णय लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं । जहां तक सामान्य पूल का सम्बन्ध है, विभिन्न

नगरों में अपना मकान रखने वाले अधिकारियों की संख्या, जिन्होंने/सरकारी वास खाली किया है, निम्नलिखित है :—

नगर का नाम	खाली किए गए मकानों की संख्या
दिल्ली / नई दिल्ली . .	810
कलकत्ता . . .	2
बम्बई . . .	28
नागपुर . . .	12
बंगलौर . . .	1
शिमला . . .	2
फरीदाबाद . . .	48
जोड़ :	903

(ग) तथा (घ) :

अपना मकान रखने वाले अधिकारियों को 31-12-1975 तक सरकारी मकान खाली करना अपेक्षित था अन्यथा उन्हें 1-1-1976 से बाजार दर पर लाइसेंस फीस देनी अपेक्षित होगी। अधिकारियों के निम्नलिखित वर्गों को इन आदेशों से छूट दी गई है :—

(1) सरकारी कर्मचारी, जब वह या उसके परिवार का कोई सदस्य हिन्दू अविभाजित परिवारिक मकान में या संयुक्त स्वामित्व के मकान में केवल हिस्सेदार है, परन्तु यह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा, नामत :—

(i) हिन्दू अविभाजित परिवार में या संयुक्त स्वामित्व में सरकारी कर्मचारी और/या उसकी पत्नी और/या उसके वयस्क या अवयस्क बच्चे ही केवल शामिल नहीं हैं;

(ii) उस मकान के मामले में जिसे हिन्दू अविभाजित पारिवारिक मकान या संयुक्त स्वामित्व मकान के रूप में परिवर्तित किया गया हो या अर्जित किया गया हो, परवर्तन या अर्जन 9 सितम्बर, 1975 से पूर्व हुआ हो।

(iii) मकान का चौहद्दी तथा सीमा (मीटस एण्ड बंउन्ड्स) द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता अथवा, यदि ऐसा विभाज्य है, तो कर्मचारी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य के हिस्से से रहने वाले लायक रिहायशी एकक नहीं बनता है ;

(IV) मकान, सरकारी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य भागीदार अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य, जैसा भी मामला हो, के दखल में है ।

(V) मकान किसी बाहिर वाले को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से किराए पर नहीं दिया गया है ।

(2) वह कर्मचारी जिसकी ड्यूटी प्रचालनात्मक प्रकार की होने के कारण किसी विशेष मकान को दखल में रखना अपेक्षित है ।

(3) वह कर्मचारी जिसे अपने व्यवसायिक तथा अनुरक्षण के प्रकार के विशिष्ट पद के कारण किसी विशेष मकान अथवा स्थान पर रहना आवश्यक है ।

(4) वह कर्मचारी जिसे सरकारी मकान बिना किराया अथवा अन्यथा, उसकी सेवा की एक शर्त के रूप में दिया गया है ।

(5) वह अलाटी जिसके पास अपना मकान है जो आवंटन नियमों के अन्तर्गत उसकी पात्रता के समतुल्य नहीं है और जिसका मकान यदि वह देने को तैयार है, सम्पदा द्वारा पट्टे पर लिया जाता है ।

मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमाँकन

791. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उपकरणों से लैस बड़ी मत्स्य नौकायें प्राय: उथले समुद्र से भी मछली पकड़ती हैं जिससे छोटी मत्स्य नौकाओं के साथ उनकी अस्वस्थ प्रतियोगिता हो जाती है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह उन दो प्रकार की मत्स्य नौकाओं के लिये मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमांकन करें ; और

(ग) यदि हां तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) बड़ी मत्स्य नौकायें प्राय: तट से दूर क्षेत्रों में मछली पकड़ती हैं । तथापि, उन क्षेत्रों में, जहां शिल्पी मछुओं द्वारा परम्परागत रूप से मछली पकड़ते रहे हैं, ऐसी मत्स्य नौकाओं के परिचालन के कुछ उदाहरण सामने आये हैं ।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र सरकार ने, केन्द्रीय सरकार से बड़ी और छोटी मत्स्य नौकाओं के बीच मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमांकन करने लिये समुचित कानून बनाने का अनुरोध किया है । इस मामले पर अन्य समुद्रीय राज्यों आदि के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में चावल और गेहूं का रक्षित भण्डार

792. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उड़ीसा में चावल और गेहूं का कितना आरक्षित भण्डार बनाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): अखिल भारतीय आधार पर, खाद्यान्नों का बफर स्टाक रखा जाता है । तथापि, अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय

खाद्य निगम के पास उड़ीसा में केन्द्रीय खाते में लगभग 19 हजार मीटरी टन चावल और 58 हजार मीटरी टन गेहूं का स्टाक था। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास 1-11-75 को लगभग 37 हजार मीटरी टन चावल और 13 हजार मीटरी टन गेहूं का स्टाक था।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग के लिए प्रस्ताव

793. **श्री पी० गंगादेव:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भिन्न एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या उपरोक्त नये आयोग के माध्यम से अध्यापकों के विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख): कोई भी ऐसा प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Rise in prices of Primary Sohool Books and Stationery

794. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the prices of primary school books and stationery have registered considerable increase;

(b) the causes for the increase; and

(c) steps proposed to be taken for checking this rise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) One of the major components in the price of a text or a note book is the cost of paper. Following the shortage of paper, the prices of various varieties of cultural paper had gone up very high towards the end of 1973 and early 1974 and this had its impact on the prices of text books and stationery.

(c) In order that the students may get text-books and exercise books at reasoanable rates, the Government of India have arranged to allocate white printing paper annually for the educational sector at a concessional rate of Rs. 2,750/- per tonne ex-mill as against the market price of between Rs. 5,000/- and Rs. 6,000/- per tonne prevailing at that time. During 1974-75 (June 1974-June 1975), 1·34 lakh tonnes of paper was allocated to State Governments and Union Territory Administrations for various educational purposes, such as, text-books, exercise books, school examinations and university examinations including correspondence courses. Of this, 49,877 tonnes was allotted for school text-books. In accordance with the 20-point programme of the Hon'ble Prime Minister, fresh impetus given to measures to ensure that text books and stationery are supplied at reasonable prices to all school, college and university students.

Since July 1975 a further quantity of 72,489 tonnes of paper has been allotted for these purposes including 32,944 tonnes for school text books. According to the available information these arrangements have not only helped in arresting rise in prices but also in stabilising prices at 1973 level in a number of States and even reduction in prices in some cases.

चावल की फसल काटने का प्रयोग

795. **श्री के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचित और वर्षा के पानी से सिंचाई किये जाने वाले चावल के खेतों से चावल की उपज का पता लगाने के लिये चावल की फसल की कटाई के अलग-अलग प्रयोग किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो चावल की कुल उपज का अनुमान कैसे लगाया जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि धान का नमूना कहीं से भी किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से लिया जाता है । यह नमूना सिंचित और बारा दोनों ही क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है ।

Transfer of Refugees from Mana Camp

796. **Dr. Laxminarayan Pandiya** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the refugees from Bangladesh kept in Mana Camp have been transferred to different places;

(b) if so, the number of refugees transferred; and

(c) the number of refugees or displaced persons in Mana Camp at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) Yes, Sir. The new migrants from former East iPakistan (not from Bangladesh) at present lodged in Mana Group of Transit Centres are beng moved to rehabilitation sites/work site /karmi shibirs from time to time as per programme finalised by the Department of Rehabilitaion.

(b) The information for the period 1-4-1975 to 8-1-1976 is given in the attached statement.

(e)

	Families	Persons
Agriculturist	4682	20914
Non-agriculturist	2385	10435
Permanent Liability	614	2558
Total	7681	33907

Statement

Dispersal of Families from Mana From 1-4-1975 to 8-1-1976

Name of State/Place	1975-76 Agriculturist (1-4-1975 to 8-1-1976)	Non-agriculturist
Andhra Pradesh	290	..
Maharashtra	202	..
Madhya Pradesh	338	177
Karnataka	50	..
Dandakaranya Project	2764	57
Tawa work site	998	..
Dolaria Work site	633	..
Uttar Pradesh	..	53
TOTAL	5275	287
GRAND TOTAL	5562	

Shortage of Fodder and Grass

797. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether maximum distribution of land in various States and use of grass in different industries have been causing shortage of fooder and pasture land which has adversely affected cattle rearing and

(b) if so, the action taken by Government to remove this difficulty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agrioulture and Irrigation (Shri Prabhudas Parel): (a) No, Sir. Distribution of land in various States has not adversely reflected in the production and availability of fodder or shrinkage of grazing lands in the country. Some grasses/straws are used in the industries but these are mostly non-edible or poor type grasses, use of which is not likely to have significant effect on the availability of fodder.

(b) Nevertheless the Govt. has taken up programmes for development of grasslands, particularly in the arid & semi-arid regions of the country under the D.P.A.P.

Land received and distributed during Bhoodan

798. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agrioulture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the State-wise acreage of land received in Bhoodan each year during the last three years;

(b) whether this land has been allotted; and

(c) if so, State-wise breakup of the land and the number of benefeciaries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c) The necessary infromation is being collected from the State Governments and on the basis of this, a suitable reply will be placed on the Table of the Sabha.

काकोरी शहीद एजूकेशन सोसायटी, शाजहाँपुर, उत्तर प्रदेश

799. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकोरी शहीद एजूकेशन सोसायटी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, द्वारा कितनी शिक्षा संस्थायें चलाई जा रही हैं ;

(ख) केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन शिक्षा संस्थाओं को विभिन्न शीर्षों के अधीन अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या इन अनुदानों को गलत ढंग से खर्च किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता

800. **श्री एच० एन० मुखर्जी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में देहाती क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को कुल कितना ऋण देना है ;

(ख) ग्रामीण लोगों के ऋण समाप्त करने के लिये कितने राज्यों ने उपाय किये हैं ; और

(ग) सरकार का उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने ग्रामीण जनता का ऋण समाप्त करने के लिये कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तीसरे दसवर्षीय अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (1971–72) के अनुसार ग्रामीण गरीबों जिनमें कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, सीमान्त किसान तथा छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है, शामिल हैं, की 30–6–71 को कुल ऋणग्रस्तता 1910 करोड़ रुपये थी ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने छोटे किसानों तथा अन्य से ऋण की वसूली करने पर ऋण स्थगन लागू करने के लिये कार्यवाही की है । इन राज्यों में से असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी कमजोर श्रेणियों के ऋण के पूर्ण छुटकारे के लिये कार्यवाही की है । तमिलनाडु विधान में कुछेक शर्तों के होते हुये कृषकों तथा दूसरों दोनों से ऋण की वसूली पर ऋण स्थगन का प्रावधान है । बिहार ऋण राहत अध्यादेश, 1975 में केवल कुछेक श्रेणियों के लोगों के ऋण के कुल छुटकारे का प्रावधान है । हरियाणा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल विधानों में भी ऋण को घटाने का प्रावधान है ।

भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि सोपानवार तरीके से कमजोर वर्ग की ऋण ग्रस्तता को परिसमाप्त करने के लिये आगे वैधानिक कार्यवाही करें ।

(ग) राज्य सरकारों को कार्यक्रम के सही कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने हैं ।

Scheme to provide Residential Plots to the persons having no Houses of their own

801. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to provide residential plots to the persons having no house of their own in the cities and villages by the end of Fifth Five Year Plan;

(b) percentage of the persons in the cities and villages who have no houses of their own and

(c) the percentage thereof to be covered by the end of the said plan ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) No, Sir.

(b) According to the 1971 population census, 59·1 per cent of the total house holds in the country were having rented accommodation. In addition, the population not staying in houses but living on pavement, etc., in the country was estimated to be 0·36 per cent.

(c) The draft Fifth Five Year Plan does not specify any percentage of house less people to be provided residential plots by the end of the Plan. However, it envisages provision of 4 million house-sites to landless workers in rural areas under the Minimum Needs Programme included in the 20-point Economic Programme announced by the Prime Minister.

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

802. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76 के दिसम्बर के अन्त तक किन-किन अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान हुआ और जिन विवादों का समाधान हुआ उनके नाम क्या हैं;

(ख) ये विवाद कब से चल रहे थे; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके बीच अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं, किन नदियों के जल के विवाद हैं और प्रत्येक की स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). गत तीन वर्षों में निम्नलिखित अन्तर्राज्यीय विवादों को हल किया गया है :—

(1) बेतवा के ऊपर राजघाट बांध का निर्माण।

(2) मध्य प्रदेश में रंगवान उच्च स्तरीय नहर का निर्माण।

(3) उर्मिल नदी के जल का विभाजन।

उपर्युक्त तीनों विवाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित हैं।

(4) सोन नदी पर बानसागर परियोजना का निर्माण।

यह बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित है।

(5) यमुना नदी पर ताजेवाला तथा ओखला पर नए बराजों का निर्माण।

ये हरियाणा-राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित है।

ये जल-विवाद 1969-72 के दौरान उठे थे।

अन्य बड़े विवाद निम्नलिखित नदियों के जल के समुप्रयोजन और विकास से संबंधित हैं :—

(1) गोदावरी

(2) नर्मदा

(3) कावेरी

(4) यमुना

(5) बिहार और पश्चिम बंगाल की नदियां

(6) कृष्णा

इन विवादों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

गोदावरी : यह विवाद 1969 से न्यायनिर्णय के लिए गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के पास है । दिसम्बर, 1975 में पांचों संबंधित राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश; महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार गोदावरी जल के बड़े भाग का बटवारा संबंधित राज्यों के बीच हो गया है । शेष रहे जल के बटवारे का निर्णय न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

गोदावरी बेसिन में नई परियोजनाओं की स्वीकृति इस समझौते के आधार पर दी जायेगी ?

नर्मदा : यह विवाद 1969 से न्यायनिर्णय के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के पास है संबंधित राज्यों नामशः गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हुए समझौते के अनुसार महाराष्ट्र नर्मदा नदी के जल का 0.25 मिलियन एकड़ फुट प्रयोग कर सकता है तथा राजस्थान 28 मिलियन एकड़ फुट में से 0.50 मिलियन एकड़ फुट का प्रयोग कर सकता है जो कि नर्मदा बेसिन के निर्भर योग्य बहाव का 75% है । मार्च, 1975 में सबंधित राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार गुजरात कर्जन, हेरण, रापी तथा सुखी परियोजना का निर्माण कर सकता है तथा मध्य प्रदेश कोलार, विचिया, सुक्ता तथा विचिया-लतिया परियोजनाओं का निर्माण कर सकता है ।

कावेरी : नवम्बर, 1974 और फरवरी, 1975 में केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने संबंधित राज्यों नामशः कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियो के साथ कावेरी जल के प्रयोग तथा विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया था । सितम्बर, 1975 में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की तीनों राज्यों के अधिकारियों के साथ हुए विचार विमर्श के अनुसार, कावेरी जल के प्रयोग से संबंधित कुछ मामलों को अध्ययन किया जा रहा है ।

यमुना : जल की उपलब्धता तथा यमुना-जल के वर्तमान समुपयोजन के संबंध में अध्ययन किए गए हैं तथा इन अध्ययनों की एक-एक प्रति संबंधित सरकारों नामशः हरियाणा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन को भेज दी गई है । उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बिहार और पश्चिम बंगाल की नदियां

केन्द्र सरकार के अनुरोध पर ये मामले दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच विचाराधीन हैं । इसके उपरान्त दोनो राज्यों के मुख्य मंत्री किसी स्वीकार्य हल पर पहुंचने के लिए विभिन्न मामलों पर विचार करेंगे ।

कृष्णा : 1969 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण ने उन मामलों पर जिन्हें उसे निर्दिष्ट किया गया था अपने निर्णय देते हुए अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 में दी थी । भागीदार राज्यों नामशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 में की गई व्यवस्था के अनुसार कुछ स्पष्टीकरण/निर्देशन मांगे हैं । न्यायाधिकरण द्वारा इन मामलो की सुनवाई की जा रही है ।

उथले नलकूप

803. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में कितने विद्युतचालित और कितने डीजल चालित उथले नलकूप और पम्प सेट लगाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 15.78 लाख विद्युत चालित नलकूपों और पम्प सैटों को लगाने का विचार है। अनुबंध में अलग-अलग राज्यो के ब्यौरे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पांचवीं योजना के दौरान 10 लाख अतिरिक्त डीजल चलित उथले नलकूपों और पम्प-सैटों को लगाने का प्रस्ताव है। इन आकड़ों का राज्यवार ब्यौरा निश्चित नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	विद्युत चालित पम्पसैट
1	आन्ध्र प्रदेश	97,070
2	असाम	9,540
3	बिहार	28,620
4	गुजरात	15,500
5	हरियाणा	51,500
6	हिमाचल प्रदेश	990
7	जम्मू कश्मीर	..
8	कर्नाटक	59,880
9	केरल	30,000
10	मध्य प्रदेश	38,160
11	महाराष्ट्र	64,320
12	मणिपुर	..
13	मेघालय	..
14	नागालैंड	..
15	उड़ीसा	47,240
16	पंजाब	39,160
17	राजस्थान	28,620
18	तमिलनाडु	1,43,00 0
19	त्रिपुरा	..
20	उत्तर प्रदेश	1,14,480
21	पश्चिम बंगाल	43,000
	सभी राज्य	8,11,080
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	3,720
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा	7,63,200*
	अखिल भारत	15,78,000**

*तथापि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा धनराशि की व्यवस्था की गई है।

**राज्यवार ब्यौरा नहीं दिया गया है।

पाइलट परियोजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में भूमि का विकास

804. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विभिन्न राज्यों में पाइलट परियोजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रों में भूमि सम्बंधी विकास कार्यों की प्रगति का लेखा-जोखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के 5 राज्यों में भारत सरकार द्वारा चलाई गई 8 प्रायोगिक आदिवासी विकास एजेंसी परियोजनाओं तथा 2 प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजनाओं के अन्तर्गत आदिवासी इलाकों में भूमि के विकास के बारे में अब तक हुई प्रगति 29,480 एकड़ है जो नीचे दी गई है :--

	राज्य का नाम	विकसित/कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)
1	आन्ध्र प्रदेश	2,280
2	बिहार	3,178
3	मध्य प्रदेश	16,463
4	उड़ीसा	6,067
5	राजस्थान	1,492
	योग . .	29,480

गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

805. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र को उन बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़ी हैं ; और

(ख) सम्बन्धित राज्यों के बीच गोदावरी जल के बारे में हुए समझौते को देखते हुए इन परियोजनाओं की मंजूरी कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से अभी तक गोदावरी बेसिन को 12 बृहत् तथा 35 मध्यम परियोजनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । इन परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है । हाल में हुए गोदावरी समझौते की रोशनी में इन परियोजनाओं की अद्यतन अनुमानित लागत तथा यथावश्यक संशोधित प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई करने हेतु इन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा रही है ।

विवरण

गोदावरी बेसिन में महाराष्ट्र राज्य की परियोजनाएं

(12 बृहत् + 35 मध्यम)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम (जिला)
	क--(वृहत्)
1.	अपरवर्धा (अमरावती और नागपुर)
2.	अपरपेन गंगा (परभानी)
3.	भंजरा (मीर)
4.	पेंच सिंचाई (नागपुर)
5.	लोअर पेन गंगा (ननदेव)
6.	अपर परावरा (अहमदनगर)
7.	लोअर बूचना (परभानी)
8.	जयकबाडी-2
9.	बाबन थाडी
10.	नंदुर माधमेश्वर (नासिक)
11.	लोअर तिरना (लिफ्ट) (ओसमानाबाद)
12.	लोअर गोदावरी (इश्तापुरी लिफ्ट (ननदेव)
	ख- मध्यम
1.	कल्याण गिरजा (औरंगाबाद)
2.	दरसबाडी (नासिक)
3.	भोजपुर (नासिक)
4.	करदखेद (ननदेव)
5.	धमना (औरंगाबाद)
6.	डोढगांव (भीर)
7.	करपारा (परभानी)
8.	तीरू (ओसमानाबाद)
9.	नगौव पातुसिल (धोर)
10.	मसोली (परभानी)
11.	तवर्जा (औसमानाबाद)

12. पेठबादज (ननवेद)

13. भाटी (ओसमानाबाद)

14. एराका (अहमदनगर)

15. वोरना (भीर)

16. महालिंगी (नानदेव)

17. बोर (वर्धा)

18. चेनानदी (चन्द्रपुर)

19. गिरजा (औरंगाबाद)

20. अम्बदी (औरंगाबाद)

21. कुंडालिका (भीर)

22. रंगपुर ताल (भंडारा)

23. लवनसरद (चन्द्रपुर)

24. सरस्वती (भीर)

25. मकरचोकरा (नागपुर)

26. वर्ना बांध की क्षमता के लिए अतिरिक्त जपमार्ग (नासिक)

27. तकनोमान मंडल (अहमदनगर)

28. लैंडी (नामदेव)

29. लाहुको (औरंगाबाद)

30. पोथरा (बर्धा)

31. सोनाल ताल (नानदेव)

32. तालनी ताल (नानदेव)

33. लोजरपुस (नानदेव)

34. अबंदी (नासिक)

35. काली सरार(भंडारा)

उर्वरकों का आवंटन और उपयोग

806. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक फ़ालतू हो गये हैं और गत वर्ष तथा इस मौसम के लिये आवंटित मात्रा का अनेक राज्यों में उपयोग नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उर्वरकों की मांग, सप्लाई की गई वास्तविक मात्रा और वास्तविक उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा ख). विभिन्न राज्यों को 1975 (फरवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक के उर्वरक पूर्ति वर्ष) में उर्वरकों की निर्धारित मात्रा, राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और राज्यों के वितरकों द्वारा पूरी नहीं उठाई गयी थी। यह आयातित उर्वरकों और देशी उत्पादन के लिए कच्चे माल के भावों में भारी वृद्धि होने के कारण हुआ। जुलाई, 1975 और दिसम्बर, 1975 में भावों में कमी और मौसम के अनुकूल होने के कारण रबी, 1975-76 (अगस्त, 1975 से जनवरी, 1976 तक की पूर्ति अवधि) में बिक्री की स्थिति में सुधार हुआ है।

देश में पर्याप्त मार्गस्थ स्टाक रखने और विश्व की मंडियों में सौदे करते समय अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से उर्वरकों का पर्याप्त बफ़र स्टाक बनाए रखने की आवश्यकता है और इसे देखते हुए देश में उर्वरकों का कुल स्टाक बहुत अधिक नहीं है।

(ग) (1) कृषि विज्ञान की दृष्टि से उर्वरकों की कुल आवश्यकता, (2) पूर्ति और (3) विभिन्न राज्यों द्वारा फ़रवरी, 1975 से जनवरी, 1976 तक के पूर्ति वर्ष में कुल खरीद का विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल टी० 10151/76]

उड़ीसा में मुर्गीपालन के लिए हंगरी से सहायता

807. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में मुर्गीपालन के लिए वित्तीय सहायता/ऋण देने के लिए हंगरी सरकार से कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बाल-मजदूरों के बारे में राष्ट्रीय गोष्ठी

808. **श्री वसंत साठे :**
श्री सरजू पांडे :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों के नियोजन पर हाल ही में हुई राष्ट्रीय गोष्ठी में शिशु शोषण के विरुद्ध अनेक उपाय करने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम):(क) जी, हां ।

(ख) समाज कल्याण विभाग द्वारा स्थापित बालकों के रोजगार से सम्बद्ध कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अन्तिम रिपोर्ट की सरकार तीक्षा कर रही है । इस गोष्ठी द्वारा जिन उपायों की सिफारिश की जाएगी, उन पर कार्यकारी दल विचार करेगा ।

सरकारी क्वार्टरों में जल शुल्क

809. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहां सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से सामान दरों (फ्लैट रेट) पर जल शुल्क लिया जा रहा है यद्यपि वहां जल मीटर लगे हुए हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मीटर रीडिंग के अनुसार जल शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :(क) (i) रामकृष्णपुरम, सेक्टर XII में बहुमंजिले फ्लैट;

(ii) डी० आई० जैड एरिया (गोल मार्किट) में चार-मंजिले फ्लैट; तथा

(ii) भारत सरकार मुद्रणालय कालोनी, रिंग रोड ।

(ख) उपर्युक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित बहुमंजिले तथा चार मंजिले फ्लैटों में पानी को भूमि स्तर से उपरि टंकी में ले जाया जाता है तथा फिर विभिन्न फ्लैटों में वितरित किया जाता है । नई दिल्ली नगरपालिका उपरि टंकी से विभिन्न मंजिलों के तलों पर अलग अलग फ्लैटों तक बिछाई गई वितरण लाईनों पर जल के मीटरों को लेने तथा प्रत्येक उपभोक्ता को बिल भेजने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले का अनुसरण किया जा रहा है ।

जहां तक भारत सरकार मुद्रणालय कालोनी का सम्बन्ध है, जल के मीटरों को दिल्ली नगर निगम को देने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) जब तक तीन कालोनियों के जल के मीटर नई दिल्ली नगरपालिका/दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं लिये जाते हैं तब तक जल प्रभार मीटर-रीडिंग के अनुसार वसूल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिल्ली में मदर डेरियाँ

810. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में ऐसे स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां मदर डेरियां स्थापित की जा चुकी हैं ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये डेरियां स्थापित करने का काम हो रहा है और यह काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है और ये डेरियां सम्भवतया कब तक चालू हो जायंगी और

(ग) क्या सरकार की इस योजना की जनता ने सराहना की है और यदि हां, तो क्या ऐसी और अधिक डेरियां स्थापित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). पटपड़गंज; दिल्ली में 4 लाख लिटर प्रति दिन की क्षमता वाली मदर नाम की एक डेरी की स्थापना की गई है । (1) संख्या और स्थान जहां काफी मात्रा में बेचने वाले बूथ स्थापित किए गए हैं और (2) स्थानों के नाम जहां निर्माण आदि की प्रगति सहित इनको स्थापित किया जाना था, को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध 1 और 2) । [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 10/52/76] ।

(ग) दूध बेचने की प्रणाली के विषय में उपभोक्ताओं की स्वीकृति का सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी अब तक वितरण की नई प्रणाली का जनता से काफी प्रोत्साहन मिला है । योजना के विस्तार से पूर्व प्रणाली का तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जाएगा ।

पंजाब में गेहूं की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

811. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में इस वर्ष रबी मौसम में गेहूं की खेती गत वर्ष की तुलना . अधिक रकबे में की गई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख). 1975-76 के ौरान कितने क्षेत्र में गेहूं की बुवाई की गई है, इसके अन्तिम अनुमान राज्य सरकार से अभी प्राप्य नहीं हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार बिजली, डीजल आयल और सिंचाई के लिए नहरी पानी की नियमित सप्लाई तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कारणों से पंजाब में इस वर्ष अधिक क्षेत्र में गेहूं की बुवाई किए जाने की सम्भावना है ।

उर्वरकों का जमा होना तथा उनका आयात

812. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के भारी भण्डार जमा हो जाने के परिणामस्वरूप उर्वरक सम्बन्धी आयात नीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) और (ख). किसी विशेष वर्ष के सम्बन्ध में देश के लिए उर्वरकों की आयात सम्बन्धी मांग का हिसाब निकालते समय, भारत सरकार मौजूदा भण्डार और सम्भावित देशज उत्पादन को ध्यान में रखती है। आयातों का उद्देश्य फसल की मांग और देश में उर्वरकों की उपलब्धि के बीच के अन्तर को पूरा करना होता है। इस आधार पर 1976-77 के लिये उर्वरकों की आयात आवश्यकताओं का हिसाब लगाया जा रहा है।

रूमानिया के साथ कृषि तथा सिंचाई संबंधी समझौता

813. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूमानिया के साथ कृषि तथा सिंचाई संबंधी समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) कृषि, खाद्य, उद्योग और जल प्रबन्ध के क्षेत्र में एक तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के करार पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार तथा समाजवादी गणतंत्र, रूमानिया के कृषि, खाद्य, उद्योग और जल-प्रबन्ध मंत्रालय के बीच वर्ष 1975 और 1976 के लिए नई दिल्ली में 11 जून, 1975 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार में कृषि, खाद्य उद्योग, मत्स्यकी भूमि सुधार और जल प्रबन्ध के क्षेत्र में वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के आदान-प्रदान और जानकारी, सामग्री तथा बीज के नमूनों के आदान प्रदान की भी व्यवस्था है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर दोनों तरफ़ का अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय का उत्तरदायित्व वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को भेजने वाले पक्ष पर होगा। भोजन, आवास, आंतरिक परिवहन, जेब खर्च भत्ता और चिकित्सा व्यय अगर कोई हुआ तो, इसका उत्तरदायित्व वैज्ञानिक और विशेषज्ञ प्राप्त करने वाले पक्ष पर होगा।

Non-allotment of land in Delhi to persons having their own houses in the Native States or at any place in India

814. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state whether Government have made laws where-under such persons as own houses in the native State or any place in India shall not be allotted land in Delhi for residential purposes ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : No, Sir. The conditions of eligibility for allotment of D.D.A. plots are as follows:

(i) The individual or his wife/her husband or any of his/her dependent relations including unmarried children does not own in full or in part, on free-hold or lease-hold basis, a residential plot or house in the Union Territory of Delhi.

(ii) The individual has been continuously residing in the Union Territory of Delhi for the last five years; if not, gives a declaration indicating that he intends settling down in Delhi.

राजस्थान नहर के लिए सहायता

815. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पहले आवंटित धन के अलावा वर्ष 1975 में राजस्थान नहर के कार्य में तेजी लाने के लिए कोई अतिरिक्त धन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या राजस्थान नहर के विकास के लिए विश्व ैंक से कोई सहायता प्राप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के उद्देश्य से इस परियोजना के लिए 1975-76 वर्ष की राज्य की वार्षिक योजना में पहले से व्यवस्थित 18.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये के विशे अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत की है और इस कार से कुल परिव्यय 22.5 करोड़ रुपये हो गया । यह अतिरिक्त सहायता इस शर्त पर है कि राज्य सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रचालन खर्चों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए जल दरों में संशोधन करने का पक्का निर्णय करे ।

(ग) और (घ) : इस पर अभी भी विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता

816. **श्री टुना उरांव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये लघु सिंचाई योजना पर कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन दो राज्यों में कौन सी लघु सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी गई है, और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत इन दो राज्यों में कुल कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु सिंचाई के लिए स्वीकृत परिव्यय और इन राज्यों में वास्तव में व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

(रुपये करोड़ों में)

	स्वीकृत व्यय	व्यय की गई राशि
पश्चिम बंगाल	30.34	29.51
महाराष्ट्र	70.00	80.28

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो राज्यों में लघु सिंचाई के लिए अस्थायी स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र व्यय निम्न प्रकार है :—

	(रुपये करोड़ में)
पश्चिम बंगाल	36.07
महाराष्ट्र	120.30

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो राज्यों में लघु सिंचाई से अतिरिक्त क्षेत्र को सम्भवतः लाभ होगा जो निम्न प्रकार से है :—

	(लाख हैक्टार)
पश्चिम बंगाल	5.00
महाराष्ट्र	3.50

पश्चिम बंगाल में धान के मूल्यों में गिरावट

817. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री रानेन सेन :
क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में धान के मूल्य तेजी से गिर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) शरद्कालीन धान की फसल की अच्छी सम्भावनाओं और मंडी में भारी आमद के कारण चालू मौसम के दौरान पश्चिमी बंगाल में धान के थोक मूल्य, 1974–75 की उसी अवधि के दौरान चल रहे मूल्यों की तुलना में आमतौर पर कम चलते रहे हैं। तथापि, अधिप्राप्ति मूल्य के मुकाबले में ये मूल्य अधिकांशतः अधिक चल रहे हैं।

बाढ़ राहत के लिए राज्यों को सहायता

818. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दलों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिये राज्यों को सहायता देने की सिफारिश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अलग-अलग कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) केन्द्रीय दलों ने बिहार, उड़ीसा, उतर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को अग्रिम योजना सहायता की सिफारिश की है।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत राशि नीचे दी गई है :—

बिहार	9.75 करोड़ रुपये
उड़ीसा	7.55 ,, ,,
उतर प्रदेश	6.20 ,, ,,
राजस्थान	2.50 ,, ,,

गुजरात को अग्रिम योजना सहायता देने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, कृषि आदानों के लिए अल्पावधि फसल ऋण इन राज्यों को स्वीकार किये गये हैं। स्वीकृति राशि इस प्रकार है :—

बिहार	19.00 करोड़ रुपये
उड़ीसा	7.00 ,, ,,
उत्तर प्रदेश	9.75 ,, ,,
राजस्थान	8.25 ,, ,,
गुजरात	9.00 ,, ,,

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में दूध की डेरी

819. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में एक दूध की डेरी स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना कब मंजूर की गई थी ;

(ग) कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है, मूलतः कितनी राशि की मंजूरी दी गई थी और उसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या था और पुनरीक्षित अनुमान तथा पुनरीक्षित कार्यक्रम क्या है ; और

(घ) डेरी सम्भवतया कब तक तैयार हो जायेगी और उसका काम सम्भवतया कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) प्रादेशिक सहकारी डेरी संघ, उत्तर प्रदेश जिन्हें योजना का क्रियान्वयन करना है, फैजाबाद में भूमि को अधिकार में ले लिया है। भूमि को समतल बनाया गया है और इस स्थान पर नलकूप के बोरिंग संबंधी कार्य भी पूरा होने वाला है। भवन निर्माण के लिए विस्तृत नक्शे तैयार कर लिये गये हैं और शीघ्र ही निविदा आमंत्रित किए जा रहे हैं। निर्माण संबंधी कार्य के लिए आवश्यक कर्मचारी पहले ही तैनात किए गए हैं, जो इस स्थान पर परियोजना के विकास संबंधी कार्य की देख-रेख करते हैं। मशीनरी की खरीद के लिए विशिष्टतायें भी तैयार कर ली गई हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 मार्च, 1974 को परियोजना को मंजूरी दी थी।

(ग) प्रतिदिन 20,000 लिटर दूध का संचलन करने के लिए एक तरल दुग्ध संयंत्र की स्थापना करने संबंधी योजना के लिए प्रथम चरण में 60 लाख रु० की धन राशि खर्च करने का अनुमान है मूलतः 45 लाख रुपए का अनुमान था और भूमि को कब्जे में लेने की तारीख से 2 वर्ष में कार्य पूरा करने का कार्यक्रम था। संशोधित अनुमान 60 लाख रुपये का है और दिसम्बर, 1977 तक इस परियोजना के पूरे होने की संभावना है।

(घ) जून 1977 तक डेरी भवन के पूरा होने की संभावना है, उसके पश्चात, मशीनरी लगाने संबंधी कार्य आरम्भ किया जाएगा और दिसम्बर, 1977 तक डेरी अपना कार्य करना आरम्भ कर देगी।

INTEGRATED SCHEME FOR FLOOD CONTROL

820. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared an integrated scheme for flood control in the various States of the country ;

(b) if so, the broad outlines thereof ; and

(c) the expenditure likely to be incurred on the said scheme and the time to be taken in its execution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) Flood control forms part of the State plans and as such the planning and implementation of the flood protection schemes are the responsibility of the State Governments. The comprehensive plans for the flood prone areas in the various States are being prepared by concerned State Governments. For the more flood prone river basins, special organisations have been set up for the preparation of these plans. These organisations are the Brahmaputra Flood Control Commission set up by the Government of Assam and the North Bengal Flood Control Commission by the Government of West Bengal. The Centre has set up the Ganga Flood Control Commission for preparing the comprehensive plan of flood control in the Ganga basin. An overall plan of flood control in he country and its likely cost will be available when the comprehensive plans are finalised by the States and the special organisations.

(b) & (c) : Do not arise.

SCHEME FOR PROVIDING HOUSES TO HARIJAN AND ADIVASI AGRICULTURAL LUBOUR

821. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a scheme for providing houses to Harijan and adivasi agricultural labour ;

(b) if so, the sailent features there of ;

(c) whether Government have allocated funds to the State Governments for this prupose and

(d) if so, the State-wise break-up thereof ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) & (b) : The Ministry of Works and Housing have not introduced any housing scheme exclusively for the benefit of Harijans and Adivasi agricultural labour. However, a scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas was introduced in October, 1971. This is one of the Minimum Needs Programme of Government and is also included in the 20-Point Economic Programme announced by the Prime Minister. The scheme provides for allotment of developed house-sites, free of cost, to landless families in rural areas, priority being given to Blocks with sizeable concentrations of landless Scheduled Castes and Scheduled Tribes workers. In the implementation of the scheme, segregation of families belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is to be avoided and such families are to be suitably interspersed alongwith the other families On house-sites so provided, the workers are expected to build houses/huts out of their own resources or with such assistance as the State Governments and other voluntary agencies might be able to provide. Persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including Adivasis) are also expected to derive considerable benefits from various other Social Housing Schemes introuced by this Ministry in View of their poor economic condition.

Specific housing schemes have been introudced by the Ministry of Home Affairs for the welfare of Backward Classes, including Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These schemes are new in the State Sector.

(c) & (d) : As no specific schemes have been formulated by the Ministry of Works and Housing for providing houses to Harijans and Adiviasi Agricultural Labour, no separate funds are allocated to the State Government for this purpose. As regards the housing schemes of the Ministry of Home Affairs, a statement giving the required information is attached (Placed in Library see L/T. to 10153/76)

सरकारी कालोनियों की सुविधायें

822. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली की सरकारी कालोनियों में अधिक और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : सरकारी कालोनियों में पहले से ही उपलब्ध सुख-सुविधाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता का सरकार मूल्यांकन कर रही है ताकि यह देखा जाए कि इनमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं । तब तक, सरकारी कालोनियों में सड़कों, पार्कों, शौचालयों, पेशाबघरों, नालियों, सार्वजनिक नलों तथा सामान्य सफाई की दशा सुधारने तथा जलपूर्ति, सीवर लाइनों और नालियों में सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

गंदी बस्तियों को हटाने संबंधी राष्ट्रीय नीति

823. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र को गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति अपनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बागमती नदी परियोजना

824. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की बागमती नदी परियोजना के निष्पादन में धीमी प्रगति के कारण क्या हैं और

(ख) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) इस परियोजना के मूल रूप से परिकल्पित ले-आउट और डिजाइन को नदी मार्ग में अकस्मात परिवर्तन हो जाने के कारण पूर्णतः बदलना पड़ा था। इस स्कीम में एक बराज, दोनों तटों पर नहरों का निर्माण करना तथा नहर प्रणाली की सुरक्षा के लिए बाढ़ तटबंधों का निर्माण करना ताकि कपास क्षेत्रको बाढ़ों से दूर रखा जा सके, शामिल है । बाढ़ सुरक्षा तटबंधों पर कार्य पहले आरम्भ किया गया है। इस उपाय से नदी की गति स्थिति पर निगरानी रखने के लिए समय मिलेगा तथा इसने कमानगत क्षेत्र सुरक्षित भी होगा ।

(ख) बराज के चढ़ाऊ बंधों (अफलक्स) पर कार्य पांचवीं योजना अवधि के दौरान पूर्ण होने की संभावना है । बहरहाल, अभी तक राज्य सरकार द्वारा बराज तथा नहर प्रणाली के निर्माण का कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ।

हटायी गयी झुग्गी झोंपड़ियों के हाई स्कूल के विद्यार्थियों की समस्या

825. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाई स्कूल के उन विद्यार्थियों की समस्या की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली में हटायी गई झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विशेषतया उनके वर्तमान निवासों के आसपास के स्कूलों में उनके दाखिले के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने, सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त उच्चतर और मिडिल स्कूलों के प्रधानों को, ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक दाखिला संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं ।

बिहार में क्षेत्र विकास प्राधिकरण

826. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा, विशेष रूप से बिहार राज्य में, की गई प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजन के दौरान देश में कमांड क्षेत्र के विकास के लिये 51 सिंचाई परियोजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया है। 37 सिंचाई परियोजना कमांड क्षेत्रों के लिये अब तक 28 कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किये जा चुके हैं। सर्वेक्षण, अन्वेषण, डिजायन, फार्म योजनाओं को तैयार करने एवं क्षेत्र विकास कार्यों का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है और ये कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार अब तक की गई प्रगति नीचे दी जा रही है :—

(1) मुद्रा सर्वेक्षण . . .	11.04 लाख हैक्टार
(2) स्थलाकृति सम्बन्धी सर्वेक्षण . .	7.46 लाख हैक्टार
(3) फार्म योजनाओं को तैयार करना	3.24 लाख हैक्टार
(4) खेतों की नालियों का निर्माण . .	37,772 किलो मीटर
(5) भूमि को आकार देना तथा उसे समतल करना (कृषकों के प्रयास से)	91,153 हैक्टार
(6) भूमि को आकार देना तथा उसको समतल बनाना (सरकारी प्रयास से) . . .	1,70,490 हैक्टार

(7) नलकूप, बेध कुएं, खोदे जाने वाले कुएं और बम्बू बोरिंग 46,901

जहां तक बिहार राज्य का संबंध है, राज्य में चार कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (कोसी गण्डक, सोन और किउल-बदुआ–चन्दन) बनाये गये हैं। प्रथम तीन कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण नवम्बर, 1973 और अंतिम मई, 1975 में बनाये गये। प्रत्येक कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण में पांचवीं योजना के लिये कार्यकारी कार्यक्रम तैयार किया है।

वर्ष 1974–75 तक मुद्रा सर्वेक्षण के अन्तर्गत 12000 हैक्टार और स्थलाकृति संबंधी सर्वेक्षण के अन्तर्गत 6600 हैक्टार क्षेत्र लिया गया है। चालू वर्ष के दौरान मुद्रा तथा स्थलाकृति संबंधी सर्वेक्षणों के अन्तर्गत 50,000 हैक्टार क्षेत्र लाने का विचार है। कृषि पुनर्वित्त निगम को ऋण हेतु प्रस्तुत करने के लिये लगभग 15,000 हैक्टार की फार्म योजनाएं तैयार की गई हैं। 3400 हैक्टार में क्षेत्र विकास कार्य पूरा हो चुका है और आगे कार्य जारी है। खेतों की नालियों का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया गया है। भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग के लिये एक विशेष अभियान प्रारम्भ कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में कई उथले और गहरे नलकूपों का कार्य प्रारम्भ हो गया है। रबी की सिंचाई भी तीव्र की गई है एवं विस्तार क्रियाकलाप भी तीव्र किये जा रहे हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि अनुसंधान संस्थान

827. **श्री राजदेव सिंह :** (क) क्या देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विभिन्न विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन करने तथा क्षेत्र की विभिन्न राज्यों के लिये एक युक्तिसंगत उत्पादन नीति बनाने में सहायता करने हेतु कोई कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है ; और

(ख) क्या अनुसंधान केन्द्र क्षेत्र में अधिकांशतः प्रचलित खेती की झूम प्रणाली के आर्थिक रूप से लाभप्रद तथा पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त विकल्पों को सुदृढ बनाने को उच्चतम प्राथमिकता देंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। पांचवीं योजना के दौरान 180 लाख रुपये की कुल लागत से एक कृषि अनुसंधान कम्प्लैक्स (संस्थान) की जिसका मुख्यालय शिलांग में है तथा केन्द्र अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मणिपुर में है, स्थापना की गयी है।

(ख) झूम खेती के स्थान पर अन्य अनेक वैकल्पिक फसल प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है।

राज्यों को आवास के लिये वित्तीय सहायता

828. **श्री शंकरराव सावन्त** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को आवास योजनाओं के उद्देश्य के लिये वर्ष 1974–75 और 1975–76 (दिसम्बर, 1975 के अन्त तक) के दौरान ऋणों और राजसहायता के रूप में कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) इस सहायता राशि में से (एक) निर्धनों के लिये मकानों (दो) गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये आवास योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) तथा (ख): बागान कर्मचारियों के लिए सहायता-प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए, जोकि केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, राज्य सरकारों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	ऋण	आर्थिक सहायता	कुल
1974–75 . . .	46.00	34.00	80.00
1975–76 . . . (दिसम्बर, 1975 तक)	40.00	40.00	80.00

अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं, जिनमें गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना शामिल हैं, राज्य क्षेत्र में हैं तथा इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिये सम्मिलित रूप में दिए गए 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' में से, जो किसी योजना विशेष, परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होते हैं, किया जाता है। सम्पूर्ण केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उद्देश्य, जो आवास योजनाओं के लिए दी गई थी, गरीब लोगों के लिए गृह प्रबन्ध करना है।

शरणार्थी पुनर्वास के सम्बन्ध में अध्ययन दल की सिफारिशें

829. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी:** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अरुणचन्द्र गुहा की अध्यक्षता में शरणार्थी पुनर्वास अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों के क्रियान्वयन की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) पुनर्वास विभाग से सम्बन्धित समीक्षा समिति की 16 रिपोर्टों में से 7 रिपोर्टों (जैसा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है) में समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा लगभग मान लिया गया है और आवश्यक निधि मंजूर कर दी गई है। समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पांचवीं योजना के प्रस्तावों को तैयार करते समय राज्य सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया था और यह विचार दृष्टि में रखा गया कि विस्थापित व्यक्तियों को राज्य के सामान्य सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के साथ मिलाया जाना चाहिये और पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या को राज्य की पंचवर्षीय योजना के अंश के रूप में हल किया जाना चाहिए। फलतः राज्य सरकार से समीक्षा समिति की शेष रिपोर्टों में वर्णित सिफारिशों पर इसी आधार पर विचार करने को कहा गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत सात रिपोर्टों के विवरण जिन पर सरकार द्वारा कार्यवाही के लिये विचार किया गया ।

क्रम सं०	समीक्षा समिति की रिपोर्टों के विवरण
1	असरफाबाद भूतपूर्व शिविर स्थलों तथा घुमक्कड़ गृहों में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर अन्तरिम रिपोर्ट ।
2	पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व शिविर स्थलों पर रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।
3	बागजोला भूतपूर्व शिविर स्थलों पर रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।
4	पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं।
5	विस्थापित महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।
6	पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा अधिगृहीत भूमियों पर अनधिकृत रूप से रह रहे पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।
	पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का मालिकाना अधिकार देना तथा टाइप ऋणों की माफी ।

मूंगफली की फसल

830. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूंगफली की फसल बहुत अच्छी हुई है;

(ख) क्या सरकार को मूंगफली के भाव गिरने का पता है, और

(ग) यदि हां, तो मूंगफली के मूल्य को समर्थन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) (क) विभिन्न राज्यों से वर्ष 1975-76 की मूंगफली की फसल के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं । तथापि, उपलब्ध संकेतों के अनुसार 1975-76 के दौरान देश में मूंगफली की फसल का कुल उत्पादन 1974-75 के 49.9 लाख मीटरी टन के स्तर से काफी अधिक होने की आशा है ।

(ख) और (ग) मूंगफली की कीमतों में, जो देशी उत्पादन की कमी के कारण पिछले वर्षों में असामान्य रूप से अधिक ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थीं, हाल के महीनों में गिरावट आई है । मूल्यों में यह गिरावट, कीमतों में असामान्य वृद्धि होने से पहले की स्थिति तक आ गई है । सरकार मूल्य स्थिति पर काफी निगाह रख रही है ।

गन्नों की पिराई

831. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्नों की पिराई अक्तूबर, 1974 की तुलना में अक्तूबर, 1975 में बहुत कम हुई थी;

(ख) क्या चालू चीनी मौसम में इसके बाद के महीनों में इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : चालू मौसम में अक्तूबर से सितम्बर के दौरान पिछले मौसम की उसी अवधि की तुलना में पेरे गए गन्ने की माला इस प्रकार है :—

अक्तूबर, 1975	—	435,000 मीटरी टन
(अक्तूबर, 1974)	—	(784,000 मीटरी टन)
नवम्बर, 1975	—	2706,000 मीटरी टन
(नवम्बर, 1974)	—	(4106,000 मीटरी टन)
दिसम्बर, 1975	—	5524,000 मीटरी टन
(दिसम्बर, 1974)	—	(5647,000 मीटरी टन)

प्रत्येक वर्ष में 22 वीं तारीख तक

(ग) : अक्तूबर और नवम्बर, 1975 के दौरान, 1974 की उसी अवधि की तुलना में गन्ने की पेराई में जो प्रत्यक्ष कमी हुई है वह मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से कम फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन कार्य करने के बजह से है :—

1. 1975–76 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट न मिलना,
2. उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार वर्षा होने के कारण, गन्ने के पकने में देरी होना, और
3. सूखे की स्थिति के कारण तमिल नाडु में प्रत्याशित कम अवधि का होना ।

विश्वविद्यालयों का बन्द होना

832. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री विश्वविद्यालयों के बन्द होने के सम्बन्ध में 5 मई, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 880 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : 5–5–1975 को उत्तर दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 880 के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :

(क) सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। 74 विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त हो गई है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है जो संदर्भाधीन अवधि के दौरान बन्द रखे गये।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले पर उचित ध्यान दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो, पिछले कुछ महीनों के दौरान छात्रों अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कोई भी विश्वविद्यालय बन्द नहीं रहा। (ग्रन्थालय में रख गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 10154/76)

पंचायत राज संस्थान

833. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में पंचायतों की स्थापना की रजत जयन्ती मनाने के लिए एक संयोजक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना क्या है और समिति द्वारा अब तक किये गये कार्य का सार-वृत्त क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) व (ख) अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने मई, 1975 में पंचायतों की रजत जयन्ती मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की थी। 8–5–1975 को परिषद द्वारा आयोजित बैठक में, जिसमें कई राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों ने भाग लिया था, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई राज्य मंत्री, श्री शाह नवाज़ खां को सर्व सम्मति से राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष चुना गया था। सभी पंचायती राज मंत्रियों, राज्यों की पंचायत परिषदों के अध्यक्षों, अखिल भारतीय पंचायत परिषद की कार्यकारणी समिति के सदस्यों, ग्राम विकास में लगे अनेक अखिल भारतीय स्वयंसेवी संगठनों, संसद सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों और जनसेवी व्यक्तियों जिन्होंने पंचायती राज आन्दोलन में रुचि दिखाई है, को राष्ट्रीय समिति में आमन्त्रित किया गया था। राष्ट्रीय समिति ने एक संचालन समिति नियुक्त की है और जिसके अध्यक्ष श्री शाह नवाज़ खां, केन्द्रीय कृषि और सिंचाई राज्य मंत्री और सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री लाल सिंह त्यागी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय पंचायत परिषद
2. श्री जगन्नाथ पहाड़िया, उप मंत्री, संचार
3. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद, उप मंत्री, ऊर्जा
4. श्री ए० के० एम० इशहाक, उप मंत्री, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
5. श्री डी० पी० यादव, उप मंत्री, शिक्षा

6. श्री धर्मवीर सिंह, उप मंत्री, सूचना तथा प्रसारण
7. श्री वी० सिवारमण, सदस्य, योजना आयोग
8. श्री एल० लक्ष्मण दास, पंचायत मंत्री, आंध्र प्रदेश
9. श्री एस० एस० रंधावा, पंचायत मंत्री, पंजाब
10. श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायत मंत्री, उत्तर प्रदेश
11. श्री मानक लाल गांधी, पंचायत मंत्री, गुजरात
12. श्री अजीज इमाम, संसद् सदस्य, महासचिव तथा प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, पंचायती राज सैल
13. श्री बी० एन० भार्गव, संसद सदस्य, संयोजक, पंचायती राज सम्बन्धी कांग्रेस, संसदीय फोरम
14. श्रीमती अजीजा इमाम, संसद् सदस्या
15. श्री मोहन सिंह, संसद् सदस्य
16. श्री बी० एस० मूर्ति, संसद् सदस्य
17. श्रीमती देशपांडे (सर्वोदय)
18. श्री सी० एस० नाटु, सदस्य, कार्यकारणी समिति अखिल भारतीय पंचायत परिषद्
19. श्री जी० एल० पुरी, संयोजक

संचालन समिति की पहली बैठक 29–7–1975 को केन्द्रीय कृषि और सिंचाई राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में की गई सिफारिशों/टीका टिप्पणियां राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थीं।

राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक अक्तूबर, 1975 में हुई थी। उस बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए थे :—

1(क) सरकारी रिकार्ड में कुछ भी रिकार्ड किया जाए, पंचायत अपने क्षेत्र में प्रत्येक परिवार की वास्तविक कुल जोतों से परिचित हैं। पंचायतों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे ऐसे परिवारों के नामों को उपयुक्त प्राधिकारी के ध्यान में लायें जिनके पास उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है।

(ख) पंचायतें भूमिहीन कृषि श्रमिकों में अधिक जरूरतमंदों को फालतू भूमि के उचित आवंटन में भी सक्रिय रूप से सहायता करेंगी।

2. पंचायतों का यह कार्य होगा कि वे कम से कम कृषि मजदूरी के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

3. पंचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कमजोर वर्गों के निमित्त लाभलघु किसान विकास एजेंसी / सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक, सूखा ग्रस्त तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि जसी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक रूप से उन्हें पहुंचे।

4. पंचायतों को भूमिहीनों को आवास खंडों के आवंटन के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि आवास खंड मुख्य आबादी देह के समीप आवंटित किये जाते हैं ।

5. पंचायतें भूमिहीन कृषि श्रमिक को निजी रोजगार उपलब्ध करने के लिए उचित कार्यक्रम चलायेंगी ।

6. पंचायती राज संस्थाएं बद्ध-मजदूरी को समाप्त करने के लिए सांविधिक उपबंधों के प्रभावशाली कार्यान्वियन में स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेंगी और दासता से मुक्त मजदूर के लिए वैकल्पिक अवसर तथा उचित सुविधाएं खोजने के लिए भी उपाय करेंगी ।

7. प्रत्येक पंचायत को अखिल भारतीय पंचायत परिषद् और राज्य परिषद् को मजबूत बनाने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 5 रुपए का योगदान देना चाहिए ।

8. पंचायतें अबादी, शिक्षा तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगी ।

Opening Of Branches Of State Food Corporation in U.P.

834. **Shri Hari Singh :** Will the **Minister of Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Government propose to open very soon branches of State Food Corporation (controlled by the State Government) in each district of the State ; and

(b) if so, the time by which the said branches would start functioning in each district under that scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Inadequate Supply Of Sugarcane to Mills

835. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the supply of sugarcane to sugar mills in the country is not adequate to meet their daily demand during the current season ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Argiculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No such report has been received. According to first estimate, the cane area is 5.7% more this season than the corresponding estimate last season. In some areas in Tamil Nadu particularly, the availability has however suffered due to drought.

(b) Does not arise.

अल्पकालीन शरद ऋतु वाले क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन

836. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों में जहां शरद ऋतु अल्पकालीन होती है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार ने यदि कोई कदम उठाने का विचार किया है, तो वे क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) बिहार, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों में जहां शरद ऋतु था, समय के लिये होती है, गेहूँ की कम समय में तैयार होने वाली किस्म की खेती का प्रचार करने के अतरिक्त, इन राज्यों में गेहूँ का उत्पादन बढाने के लिये उठाये गये अन्य कदमों में सामुदायिक नसरिया तैयार करके और नहर के पानी की सप्लाई के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण द्वारा चावल के अग्रेती अतिरोपण के लिये किसानों को शिक्षा देना शामिल है ताकि खेतों को गेहूं की खेती के लिए जल्दी-खाली कराया जा सके और गेहूँ की सयम पर बुवाई की, जा सके।

(ख) सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम में, उन किसानों को जिनके पास प्रतिरोपण करने के लिए अपनी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जो सयम पर चावल की अधिक उपज देने वाली उपमुक्त किस्मों की पौद की सप्लाई करने के लिये सरकारी फार्मों पर और किसानों के खेतों पर सामुदायिक नरसरियों की स्थापना करने की व्यवस्था है । परिणामस्वरूप, चावल की फसल की अग्रेती कटाई की गई थी और गेहूं और अन्य रबी की फसलों की बुवाई के लिये काफी बड़ा क्षेत्र खाली हो गया था।

देशपर्यन्त गेहूं का समान वसूली मूल्य

837. **चौधरी नीतिराज सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में शरद ऋतु अल्पकालीन होने के कारण गेहूं की प्रति हैक्टेयर उपज कम होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार देशपर्यन्त गेहूं वसूली का एक समान मूल्य क्यों देतीहै ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों में सर्दी का मौसम अपेक्षाकृत कम रहता है और कम पैदावार होने का यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अब कम अवधि की अधिक उपज देने वाली किस्में उपलब्ध हैं जो कि इन राज्यों में ठीक सिद्ध हुई हैं। इन किस्मों को वहां इस्तेमाल किया जा रहा है ।

(ख) कृषि मूल्य आयोग उत्पादन-लागत सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर की सिफारिश करता है ।

दिल्ली के स्कूलों में प्रशिक्षित विज्ञान-अध्यापकों की कमी

838. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद भी, विज्ञान विषयों को पढाने के लिए प्रशिक्षित विज्ञान-अध्यापकों की भारी कमी है, जिनका पढाया जाना छठी क्लास से आगे अनिवार्य कर दिया गया है ;

(ख) क्या छठी क्लास के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की निर्धारित (भौतिकी रसायन, जीव विज्ञान, की) पुस्तकें, काफी कठिन हैं और दुरुह भाषा में लिखी गई हैं, जिनसे ग्यारह वर्ष की आयु के किशोर छात्रों के मस्तिष्क पर भारी बोझ पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो पुस्तकों को इस आयु के छात्रों के लिए रोचक और सुबोध बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित विज्ञान-शिक्षकों की कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है ।

(ख) विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिए यूनेस्को सहायता परियोजना के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की विज्ञान की पुस्तकें मूल रूप से अंग्रेजी तथा हिन्दी में तैयार की गई थी तथा आरम्भ में 1966—1969 में प्रायोगिक केन्द्र परियोजना के तौर पर इसका चुने हुए स्कूलों में परीक्षण किया गया था । उसके बाद कठिनाई संकल्पना के मूल्य तथा छात्रों की भाषा से संबंधित कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इनमें परिशोधन कर दिया गया था । उसके बाद, इन पुस्तकों को दिल्ली, प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया था और अपने स्कूलों के लिए उनका अनुवाद करा लिया गया था। ये पुस्तकें न तो कठिन ही हैं और न ही किलष्ट भाषा में लिखीं गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा बेसिन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल सप्लाई की योजना

839. **डा० के० एल० राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या गंगा बेसिन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल सप्लाई करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार समस्त गंगा बेसिन के लिए ग्रेविटी' और उठाऊ सिंचाई-दोनों के लिए व्यापाक योजना बनाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) :

(क) और (ख) : गंगा बेसिन में काफी बड़ी संख्या में स्कीमों को हाथ में लिया गया है, उनमे से कुछ सुखाग्रस्त क्षेत्रों को जल व्यवस्था के लिए भी है ।

गगा बेसिन के जल संसाधनों के समेकित रूप में विकास करने के लिए एक वृहत योजना (मास्टर प्लान), जिसमें इस बेसिन में जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल की व्यवस्था करना शामिल है, तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Guidelines to States for Supply of Rationed Sugar in Villages.

840. Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation :** be pleased to state :

(a) whether a sizable number of villages does not get rationed sugar while full quota thereof is lifted at district Level ;

(b) if so, whether Government have issued guidelines to States for solving this problem; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) to (c) : The Central Government allots monthly quotas of levy sugar to the Statcjects for distribution to domestic consumers through controlled charnels. The scale and modes of distribution within the States has been left to the discretion of the state Governments, subject

to a general guideline that no individual should get more than I kg. per month and no famil y less than 1 kg. per month. The State Governments have beem advised from time to time to streamline and tighten the arrangements for distribution of levy sugar so as to plug all loopholes. The State Governments were also informed in July last of the recommendations made by the Estimates Committee in this connection in its 71st Report and requested to take action accordingly, especially in rural areas.

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैविक-गैस संयंत्रों की कीमत

841. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैविक-गैस संयंत्रों की कीमत काफी अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो कीमत में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). एक परिवार के लिए उपयुक्त 3 धन मीटर (100 घन फीट) क्षमता के गोबर गैस संयंत्र की लागत 3015 रुपए है। इस आकार के संयंत्र से 2,000 रुपए के मूल्य के 0.56 मीटरी टन वनस्पति पोषक तत्व और लगभग 2,300 रुपए के मूल्य के 1760 लिटर मिट्टी के तेल के बराबर 1,100 घन मीटर जलाने की गैस सालाना उपलब्ध की जा सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र की लागत काफी अधिक नहीं समझी गई है और इसे ऐसे किसान खरीद सकते हैं जिनके पास संयंत्र के लिए पर्याप्त गोबर पैदा करने के लिए कम से कम 4 मवेशी हों। तथापि, भारत सरकार किसानों को प्रोत्साहन के रूप में संयंत्रों की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत तक एक गोबर गैस संयंत्र के लिए राज सहायता दे रही है। शेष लागत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है।

गुजरात में तूफान

842. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में सोराष्ट्र के तूफान पीड़ित जनता की हालत में सुधार करने के लिए सरकार ने गुजरात को कोई विशेष अथवा आपात धनराशि आंवटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). गुजरात सरकार को वित्तीय वर्ष 1975-76 में समुद्री तूफान से राहत के लिए योजना की अग्रिम सहायता के तौर पर 4.15 करोड़ रुपए की राशि नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए आंवटित को गई है।

	(करोड़ रुपए में)
(1) संचार लाइनों को फिर से चालू करना तथा राज्य बिजली बोर्ड का प्रतिष्ठापन	3.50
(2) गोदामों के निर्माण और छोटे पत्तनो के लिए कर्णनावों तथा नौकाओं को बदलने के लिए	0.40
(3) सिंचाई निर्माण-कार्यों सड़कों और पुलों के लिए	0.25
योग	4.15

राज्य की योजना के लिए उसके संसाधनों का जायजा लेते समय राज्य सरकार द्वारा समुद्री तूफान के कारण किए जाने वाले गैर-विकास संबधी खर्चे को भी ध्यान में रखा गया है ।

Removal of Shopkeepers in Delhi

843. **Shri B.S.Chowhan:**
Shri Mukhtiar Singh Malik:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the areas in Delhi from which small shopkeepers were removed during the last six months;

(b) whether they have been provided alternative sites and financial assistance for earning their livelihood; and

(c) if so, the time by which all of them would be provided assistance?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary affairs (Shri K. Raghuramaiah):

(a) A statement is enclosed.

(b) & (c) The bona fide and eligible shopkeepers have been allotted/offered alternative sites. No financial assistance has been given.

Statement

S. No.	Areas in Delhi from which small shopkeeper removed during last six months
1	Connaught place.
2	Fruit and Vegetable Market.
3	Jama Masjid Complex.
4	Motia Khan Complex.
5	Kabar Mandi Complex.
6	Lakar Mandi Complex.
7	Industries.
8	Cycle market Complex.
9	Unauthorised colonies & public lands in different parts of Delhi.
10	G.T. Road from Barafkhana to Rana Partap Bagh, Kamla Nagar, Mall Road, Kashmere Gate & Mori Gate.
11	Sewa Nagar, Indira Market (R.K. Puram), C.B. Gupta Market, INA R.K. Puram Sectors V & VI, Mool Chamd Hospital, Kalkaji Mod, Sriniwaspuri, Green Park (Mehrauli Road).
12	Opposite New Delhi Railway Station, Old Rohtak Road, Chander Shekhar Azad Road, Andha Mughal, Chitra Gupta Road, Multani Dhanda, Gaushala Marg, Chuna Mandi, Nehru Bazar, Jhandewalan Extension,
13	Shahdara Zone Ward No. 37, 38, 39, 40, 41, and 42.
14	Rural Area Najafgarh, Nangloi, Narela, Qutab Garh.
15	Tilak Nagar, Moti Nager, Hari Nagar, General Store, (Rohtak Road), Ram Pura Moar, Vishal Enclave, Ashok Nagar & Prem Nagar.
16	Karolbagh Area.
17	Chhatta Shekh Manglu, Dr. Sen Marg, Fountain Dewan HallRoad, Bazar Gulian, Explande Road, Parade Ground Corner, Children Park Commercial Market, Link House, Indra Prastha Road, Thompson Road, Rouse Avenue, U.G.C.Lane, Anguri Bagh, Ansari Road, Subhash Marg, Andha Murgi Market, Fish Market, Urdu Bazar, Matia Mahal.

माल्पे, कर्नाटक में मत्स्य पत्तन

844. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निदेशक, मत्स्य पत्तनों का पूंजीनिवेश पूर्व सर्वेक्षण बंगलौर द्वारा की गई तकनीकी समीक्षा के आधार पर माल्पे मत्स्य, पत्तनों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) माल्पे खाड़ी पत्तन में कार्य किस स्थिति में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) माल्पे में 217 लाख रुपए को अनुमानति लागत से मत्स्य पत्तन का निर्माण करने के लिए मई, 1975 में स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

(ख) माल्पे को गहन समुद्र मत्स्य पत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 23 बड़ीं नौकायें और 256 छोटी यंत्रीकृत नावें समा सकें । पत्तन पर उत्तरने के घाट और 633 मीटर तक को जैटंटी, नौकाओं की मरम्मत के लिए स्लिपवे, नीलामी हाल और अन्य संबंधित सुविधायें होगीं ।

(ग) राज्य सरकार ने परियोजना के निष्पाद हेतु, एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है और बदोबस्त से भूमि को खाली कराने, निर्मार्ण कार्य के दौरान मत्स्य नावों के लिए उतारनें को वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था और समुद्रीय कार्यों के लिए निविदायें आंमन्त्रित करने जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए हैं । तथापि, अब अनुमान लगाया गया है कि परियोजना को निर्माण लागत स्वीकृत राशि से काफी अधिक हो गयी और राज्य सरकार से संशोधित स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है । संशोधित स्वीकृति के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की जा रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष

845. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के क्या परिणाम निकले ;

(ख) इस बर्ष के दौरान सरकार ने क्या-क्या कार्यवाहियां की और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या अनूवर्ती कार्यवाही की है और क्या करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). इस वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के आधार पर हो परिणाम आंके जा सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में हमारे प्रयत्न महिलाओं के कार्य और अधिकारों की जानकारी देने तथा उन पर ध्यान दिलाने की दिशा में थे ताकि पुरुषों और स्त्रियों को उन मनो-

वृत्तियों, विश्वासों तथा अंध विश्वासों से छुटकारा दिलाया जा सके जो प्रगति के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। इस उद्देश्य के अनुसरण में निम्नलिखित कदम उठाए गए :-

(1) महिलाओं के कार्य और अधिकारों के बारे में जानकारी देना तथा उनकी प्रगति के मार्ग में आने वाली मनोवृत्तियों और विश्वासों में परिवर्तनों प्रोत्साहन देना :

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का विशेष समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए आकाशवाणी, टेलीविजनस्टेलाइट इन्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट तथा प्रेस जैसे जन संचार साधनों का विस्तृत उपयोग किया गया था।

(ख) 16 जनवरी, 1975 को समस्त देश में अखिल भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था।

(ग) फरवरी, 1975 में एक विशेष स्मृति डाक टिकट जारी किया गया था।

(घ) भारतीय महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनेक प्रकाशन निकाले गए।

(ङ) महिलाओं के संबंध में पांच वृत्त चित्र तैयार करने के लिए काम शुरु किया गया।

(च) शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में ऊंचे दर्जे की दक्षता प्राप्त करने के लिए महिलाओं में उत्साह उत्पन्न करने हेतु नवम्बर, 1975 में नई दिल्ली में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया।

(छ) भारतीय महिलाओं के इमेज को दर्शाने के लिए दिसम्बर, 1975 में नई दिल्ली में फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र प्रचार एककों ने बहुत से गांवों में महिलाओं के संबंध में अनेक वृत्तचित्रों का प्रदर्शन किया।

(ज) महिलाओं की विशेष समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निबन्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(झ) महिलाओं के कल्याण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में पूरे वर्ष के दौरान केन्द्रीय और समाज समाज कल्याण बोर्डों, शिक्षा संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनेक सेमिनारों और गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

(2) **विधायी उपाय**

(क) 26 सितम्बर, 1975 के समान वेतन अध्यादेश द्वारा समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों को समान वेतन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(ख) दहेज प्रथा पर और प्रतिबंध लगाने के लिए दहेज निषेध से संबंधित उपबन्धों में संशोधन करने के वास्ते कुछ राज्य सरकारों ने कार्रवाई की है।

(ग) जहां तक शिशु केन्द्रों की व्यवस्था करने का संबंध है, नौकरी पेशा माताओं के हितों की रक्षा करने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 तथा बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत और कार्रवाई की गई है।

(3) महिलाओं के कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम

चालू कार्यक्रमों (जिसकी सूची अनुबंध में दी गई है) के अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनायें मंजूर/उदार की गई।

(क) प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता

इस योजना में 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और हाइजिन खाद्य और पोषाहार, गृह प्रबंध और बच्चों की देखभाल, नागरिक शिक्षा तथा व्यवसायिक और कार्यात्मिक दस्तकारियों के प्रशिक्षण के बारे में अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था है, जिसके लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत व्यवस्थित संगठन और ढांचे का उपयोग किया जाएगा। इसमें चुने हुए शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को लाभ पहुंचेगा।

(ख) समेकित बाल विकास सेवाएं

इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें अनुपूरक पोषाहार, रोग-प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य की जांच तथा निदेशक सुविधायें शामिल होंगी। इस के अतिरिक्त परियोजना क्षेत्रों में सब प्रौढ़ महिलाओं को पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जाएगी। चुने हुए शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ता होंगे।

(ग) नौकरी पेशा महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण

इस प्रकार के होस्टलों का निर्माण करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के तरीके में इस वर्ष के दौरान संशोधन कर दिया गया, जिससे सरकारी सहायता की मात्रा को निर्माण के खर्च के 60 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में नौकरी पेशा महिलाओं को लाभ पहुंचेगा।

(घ) असंगठित क्षेत्र में नौकरी पेशा स्त्रियों के बच्चों के लिए शिशु केन्द्रों की व्यवस्था

इस योजना से शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी पेशा महिलाओं को लाभ पहुंचता है। ऐसे शिशु केन्द्रों की व्यवस्था करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को अनुमोदित मदों पर हुए खर्च के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) अन्य लम्बे अर्से के उपाय

(क) मनोवृत्तियों को बदलना अत्यन्त आवश्यक, पेचीदा तथा चालू रहने वाला काम है जिसे बहुत छोटी आयु से ही मानसिक शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि हमारे स्कूल किस प्रकार बच्चों के दिमागों को प्रशिक्षित करें कि वे महिलाओं और पुरुषों को बराबर के साझीदार समझें।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सफाई सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने तथा पीने के पानी की और अधिक व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें सम्भावनाओं का पता लगा रही हैं ।

(ग) विज्ञान और टैक्नोलौजी विभाग को ऐसे आसान तरीकों की सम्भावनाओं के संबंध में अनुसंधान करने के लिए कहा गया है जिनसे ग्रामीण गृहिणियों के घरेलू काम जल्दी और आसानी से हो सकें ।

(ग) भारत सरकार महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार कर रही है, जिसमें वे निदेशक सिद्धांत दिए होंगे, जिनके अनुसार भविष्य में महिलाओं के कल्याण के लिए उपाय किए जाने हैं ।

विवरण

महिलाओं के कल्याण के लिए देश में चल रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रौढ़ महिलाओं के लिए रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धित शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम ।

2. महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम ।

3. शहरी इलाकों में नौकरी पेशा महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण / विस्तार हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने को योजना ।

4. परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम ।

5. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वंयसेवी संगठनों को सामान्य सहायक अनुदान ।

6. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ।

7. सहायक महिला कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण ।

8. महिला मंडलों को प्रोत्साहन पुरस्कार ।

9. महिला मंडलों का विकास ।

10. वंशानुगत दाइयों को प्रशिक्षण ।

11. टैटानस से बचाव हेतु गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण की विशेष योजना ।

12. आयरन और घेलिक एसिड प्रदान करके महिलाओं को पोषाहार सम्बन्धी रक्तक्षीणता से बचाना ।

13. डाक्टरी और नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना ।

14. महिला शिल्प प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान ।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना

846. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा बेसिन के बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग स्थापित किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार धन के अभाव के कारण अब तक विलम्बित पड़ी अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बाढ़ नियंत्रण को राज्य की योजनाओं से निकालने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना तैयार करने और संबंधित राज्य सरकारों की एजेंसी के द्वारा समन्वित ढंग से इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है ।

(ख) जी नहीं, ।

देश में और अधिक सरकारी मुद्रणालयों की स्थापना

847. **श्री बसन्त साठे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम की बढ़ती हुई मात्रा को देखते हुए सरकार का विचार पांचवी योजना के दौरान देश में कुछ और सरकारी मुद्रणालय स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों की मुख्य रूपरेखा अर्थात् प्रस्तावित अनुमानित परिव्यय, रोजगार क्षमता, निश्चित किये गये / किये जाने वाले स्थानों आदि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इन एककों को अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने पर विचार करेगी ; और

(घ) इन एककों की स्थापना संबंधी मुख्य मार्ग-दर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) 4 फार्म प्रेसों को लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जिनमें 500 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है । इनमें रोजगार की क्षमता लगभग 800 व्यक्तियों की होगी । स्थानों का निर्धारण प्रस्तावों का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा ।

(ग) इन प्रेसों के लिए स्थानों का निर्धारण मुख्यतया तकनीकी-आर्थिक कारणों के आधार पर किया जाएगा ।

(घ) भूमि, जल तथा विद्युत् ; कुशलता प्राप्त मानव शक्ति, कच्चा सामान ; परिवहन की सुविधाओं की उपलब्धता और क्षेत्रों की आवश्यकताएं ।

ग्राम्य पेय जल सप्लाई कार्यक्रम

848. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ग्राम्य पेय जल सप्लाई कार्यक्रम को केन्द्र के पास अन्तरित करने को सहमत हो गयी है ; और

(ख) 1974-75 और 1975-76 में इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गयी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान राज्य क्षेत्र में किए गए नियतन की राशि क्रमश: 125 लाख रुपये तथा 90 लाख रुपये थीं।

ग्राम्य क्षेत्रों को पेय जल सप्लाई

849. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में पेय जल सप्लाई की समस्या कितने गांवों में विद्यमान है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : 1972–73 में किये गए मूल्यांकन के अनुसार भारत में, जहां तक पेय जल पूर्ति का सम्बन्ध है, 1.53 लाख समस्या-मूलक ग्राम थे। तब से लेकर लगभग 40,000 समस्या-मूलक ग्राम राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) और त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आ चुके हैं और लगभग 1.13 लाख समस्या-मूलक ग्राम शेष हैं जिनकी समस्या का समाधान अभी भी किया जाना है।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विकसित बाजरा की नई किस्म

850. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सस्य-वैज्ञानिकों ने बाजरा की नई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन किस्मों का खेतों में परीक्षण अन्तिम चरण में है ; और

(ग) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का विचार इन किस्मों को वर्ष 1976 में व्यापक स्तर पर खेती के लिए जारी करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) कुछ आशाजनक किस्मों पर आरंभिक परीक्षण किए जा रहे है।

(ख) एक संश्लेषित एच एस–1 और एच० बी० 13 किस्म आरंभिक प्रयोगों में आशाजनक मालूम पड़ती है।

(ग) हरियाणा तथा दूसरे राज्यों के समन्वित प्रयोगों में तथा मिनीकिट प्रदर्शनो के परिणामों की जांच करने के बाद ही इन किस्मों को बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है। विशेष रूप से, इस बात का बारीकी से अध्ययन किया जाना है कि इन नयी किस्मों की रोमिल फफूद तथा एरगोट जैसी बीमारियो के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी है।

भारत की बायो-गैस प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए 'अंकटाड' का अनुरोध

852. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अंकटाड' ने विश्व के सभी देशों से भारत की बायो-गैस प्रौद्योगिकी का समर्थन करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) :

प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण और विकास में विश्व के सभी देशों के समर्थन के बारे में विचार-विमर्श करते समय 'अंकटाड' सचिवालय ने प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण पर अपनी समिति द्वारा विचार करने के लिए तैयार की गई एक प्रगति रिपोर्ट में ग्रामीण स्तर के बायो-गैस संयंत्रों पर आधारित खाना पकाने के गैस और उन्नत नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए भारत में विकसित प्रौद्योगिकी का हवाला दिया है। अंकटाड सचिवालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी से पूंजीगत लागत, विदेशी विनियम, परिवहन और ऊर्जा में होने वाली निश्चित बचत और इससे होने वाली बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधाओं की चर्चा की है। इस प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के अंतिम परिणाम अंकटाड के कर चौथे सत्र के बाद यथा समय जाने जा सकेंगे।

तमिलनाडु में ग्राम्य-कर्जदारी

854. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडू राज्य में कुल कितनी राशि की ग्राम्य कर्जदारी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अखिल भारत ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (1971–72) के अनुसार, 30–6–1971 को तमिलनाडू में सभी ग्रामीण परिवारों की कुल देयता 447.11 करोड़ रुपये थी।

वनस्पति घी का उत्पादन

855. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी उद्योग ने अक्तूबर-नवम्बर, 1975 में एक लाख टन प्रति मास की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता की तुलना में केवल 37,000 टन का उत्पादन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इस कमी के क्या कारण थे ;

(ग) क्या उत्पादन में इस कमी के कारण वनस्पति घी के मूल्य फिर बढ़ जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो वनस्पति के मूल्यों में और कमी करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अक्तूबर और नवम्बर, 1975 के वनस्पति का उत्पादन क्रमशः लगभग 34,00 मीटरी टन और 40,000 मीटरी टन हुआ था जबकि स्थापित क्षमता लगभग 1 लाख मीटरी टन प्रति मास है।

(ख) से (घ). खासकर जनवरी, 1975 में वनस्पति से नियंत्रण उठा लेने के बाद, इसके उत्पादन का स्तर इसकी मांग के अनुसार हुआ है। न तो वनस्पति के उत्पादन में जान बूझ कर कोई कटौती की गई और नहीं वनस्पति की अनुपलब्धता के बारे में कोई गम्भीर शिकायत थी। वनस्पति के मूल्य मुख्यतः इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तेलों के मूल्यों के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं और इसके मूल्यों में निरन्तर गिरावट आयी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

दिल्ली विकास (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 1975 तथा स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952

निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 2622 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं०एल०टी० 101 37/76]

(2) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 2685 की एक प्रति, जो दिनांक 16 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या सां०आ० 1928 में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10138/76]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियाँ तथा जिला परिषदें (संशोधन) अध्यादेश तथा उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की जमाराशि अध्यादेश

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) क) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदें (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 4 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परस्थितियां स्पष्ट की गई हैं।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की जमारशि (दावा रहित जमा राशि के लिये न्यास) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 36) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 24 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10139/76]

उत्तर प्रदेश भूधृति अधिकतम सीमा निर्धारण अध्यादेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के

खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश भूधृत्ति अधिकतम सीमा निर्धारण (संशोधन)' अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 10 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था की एक प्रति, तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं) सभा पटल पर रखता हूं : [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10140/76]

उत्तर प्रदेश मादकपेय (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश मादकपेय (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 25 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति, तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10141/76]

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन तथा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी 10142/76]

(2) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां० नि० 2353 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 366 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(दो) सा०सां०नि० 2354 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 14 अगस्त, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 365 (ङ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10143/76]

खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता न्यासधारी बोर्ड का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् का वर्ष 1972-73 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10144/76] ।

(2) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता न्यासधारी बोर्ड के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10145/76] ।

(3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1972-73 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(4) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुये बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10146/76] ।

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कृषि विश्वविद्यालयों की अनुदान के लिये पात्रता) नियम, 1975 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2278 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10147/76] ।

राज्य सभा से सन्देश

Messages from Rajya Sabha

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 15 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 16 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में केन्द्रीय और अन्य सोसायटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त

समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 96वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है ।

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक

Payment of Bonus (Amendment) Bill

महासचिव : मैं मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
86वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय--दूर दर्शन--पर प्राक्कलन समिति के 64वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 86वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
177वां प्रतिवेदन

श्री एच० एम० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, अप्रत्यक्ष कर के पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 167वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रेक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

ASSAM SILLIMANITE LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF REFRACTORY PLANT) BILL

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिफ्रेक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उसके सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रिफ्रेक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उससे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग विधेयक, 1976

Appropriation Bill, 1976

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 तथा 3 अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 तथा 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

Appropriation (No. 2) Bill, 1976

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 1974 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 1974 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिये अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि 1974 के मार्च, के 31 व दिन समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पूरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिए उन सेवाओं के लिए अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि 1974 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर खर्च की गयी उन रकमों को पुरा करने के लिये जो उस वर्ष के लिये उन सेवाओं के लिये अनुदित रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुये हैं ।

प्रश्न यह है :—

"खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खंण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेल) विधेयक, 1976

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1976

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महोम्मद शफी कुरैशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मैं विधेयक पुरः-स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपच और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के सदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई भी संशोधन प्राप्त नहीं हुये हैं ।

प्रश्न यह है :—

"खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 तथा आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF VOLUNTARY DISCLOSURE AND WEALTH ORDINANCES, 1975 AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BILL.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 15) का निरनुमोदन करती है ।"

सरकार इस अध्यादेश को जारी करने के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास कर रही है । यह अध्यादेश काले धन और समानान्तर अर्थव्यवस्था को, जो देश में नंगा नाच खेल रही है, समाप्त करने के लिए जारी करना आवश्यक हो गया था । इसका उद्देश्य उपरोक्त होने के कारण हमें इसके तह में जाना होगा ।

देश में 25000 करोड़ रुपये का कालाधन है । यदि ऐसा है तो न प्रकट की गई राशि बहुत अधिक नहीं है । यह केवल 1450 करोड़ रुपये हैं । और विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं । यह कुल प्रचलित मुद्रा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

इस बात का कोई पता नहीं कि अपना धन प्रकट करने वाले लोगों और प्रकट किये धन की राशि को गोपनीय क्यों रखा जा रहा है । सरकार हमें उन लोगों के नाम नहीं बतायेगी और उनसे यह भी नहीं पूछेगी कि उन्होंने यह धन कैसे प्रकट किया । अधिकारियों को छूट दी गई है । इस देश के ईमानदार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा इस प्रकार की गई कार्यवाही अपराध है ।

काला धन प्रकट करने वाले लोगों और प्रकट किये गये धन की राशि को गोपनीय रखा जा रहा है । सरकार हमें उनके नाम भी नहीं बतायेगी और यह भी नहीं बताएगी कि उन्होंने यह धन कैसे प्राप्त किया । इस सम्बन्ध में अधिकारियों को छूट दी गई है । इस देश के ईमानदार लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा इस प्रकार की गई कार्यवाही एक अपराध है ।

सरकार ने अचल सम्पत्ति को अनिवार्यतः अर्जित करने सम्बन्धी कानूनी कार्यवाही अब रोक दी है । सरकार ने अवैध धन का पता लगा लिया है जिससे अचल सम्पत्ति खरीदी गई है । लेकिन सरकार ने बताया है कि यदि उन्होंने स्वेच्छा से अपना धन प्रकट कर दिया तो उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जायेगा । यह कार्यवाही सम्भवतः देश में भ्रष्ट लोगों को, जिनके पास काला धन है, बचाने के लिये है ।

इस देश में फासिस्टवाद के सामाजिक तथा आर्थिक आधार को नष्ट करने के प्रयासों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है । यह सामाजिक आधार इस समानान्तर अर्थव्यवस्था का मूलाधार है । और यदि सरकार इस आधार को तोड़ना चाहती भी है तो इस तरह गिड़गिड़ाने से सफलता नहीं मिलेगी ।

जहां तक घोषित आस्तियों की वर्तमान कीमत पर कर लगाने का सम्बन्ध है, यह कीमत उतनी ही लगाई जायेगी जितनी कि अधिग्रहण के समय थी। अतः सरकार ने यह एक आश्चर्य-जनक उपाय किया है। घोषित आस्तियों का वास्तविक मूल्य क्या था, इसका कोई पता नहीं लगा सकता। इस तरह तो सरकार काला धन बनाने वालों को एक प्रकार का लाइसेंस दे रही है। इससे फिर 198 करोड़ रुपये का काला धन बन जायेगा।

इस योजना की एक और रोचक बात यह है कि छिपी आय प्रकट करने वाले व्यक्ति की प्रकटित आय को चुनौती नहीं दी जा सकती। मान लीजिये किसी व्यक्ति ने 10 रुपये की राशि प्रकट की है तो सरकार उससे कुछ नहीं कहेगी। सरकार उस राशि को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेगी। सरकार की इससे अधिक हास्यास्पद योजना क्या हो सकती है?

जहां तक इस योजना की सफलता का सम्बन्ध है, लोगों ने आपात स्थिति के भय से अपनी आय प्रकट की है। करापवंचकों ने सोचा कि यदि वे अपनी आय प्रकट नहीं करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा और उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे? इसी भय के कारण स्वेच्छा से काला धन प्रकट करने में सहायता मिली है। और इसी भय के कारण काले धन को बाहर निकालने तथा हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन में इस कुरीति को दूर करने के लिये देश के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सरकार ने काले धन रूपी इमारत को गिराने तथा उसकी समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के बजाय समाज को धोखा देने वाले लोगों के सामने घुटने टेक दिये हैं। यही हमारी शिकायत भी है।

श्री इराज्मु द सेकेरा: (मरमागोआ) मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आय और धन स्वेच्छया प्रकटन (संशोधन) अध्यादेश, 1975, (1975 का अध्यादेश संख्या 23) का निरनुमोदन करती है।"

हालांकि सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था से काला धन समाप्त करने की नीति की घोषणा की है फिर भी सरकार इस नीति को कार्यान्वित नहीं करना चाहती। प्रत्यक्ष रूप से यह नौकरशाही की भूल है। आयकर अधिकारियों ने सरकारी सूचना को काफी गम्भीरता से लिया है। सारे देश में काफी संख्या में छापे मारे गये हैं तथा आय कर विभाग ने काले धन की मोटी राशि का पता लगाया है। लेकिन काले धन के कारण जो लोग पकड़े गये हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जो सरकार के मित्र या हितैषी थे। अन्यथा यह बात समझने में कठिनाई होती है कि सरकार ने उनको छोड़ने के प्रयोजन से अकस्मात किस तरह स्वेच्छा प्रकटन योजना बनाई है।

इस विधेयक के उपबन्धों को ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि काले धन की अर्थ-व्यवस्था चलाने वालों तथा सरकार के बीच कुछ सांठगांठ है। एक ओर धारा 139 अथवा 148 के अन्तर्गत विवरणी का भरने वाले को स्वेच्छा या प्रकटन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा जब कि दूसरी ओर विधेयक की धारा 14 में यह उपबन्ध किया गया है कि छापामार कर बरामद की गई धनराशि पर न तो ब्याज ही लगेगा और न ही जुर्माना लगेगा। इससे स्पष्ट है कि सरकार और चोर-बाजारी करने वाले लोगों के बीच किसी तरह की साठगांठ है।

पहले अध्यादेश के द्वारा काले धन वालों को देश के लाखों ईमानदार करदाताओं, जो वर्षों से ईमानदारी से कर देते आये हैं, की तुलना में कई कम कर चुकाने का अवसर प्रदान किया है और इस से भी सन्तुष्ट न होकर सरकार ने एक दूसरा अध्यादेश जारी करके उन्हें और रियायतें दी हैं। अब आयुक्त किसी भी किस्म की जमानत ले सकता है। साथ ही स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सोने को नहीं गिना जायेगा। अतः यह योजना स्पष्टतया इस बात की द्योतक है कि सरकार किसी न किसी तरह करापवंचकों तथा काले धन की अर्थ-व्यवस्था चलाने वालों की सहायता कर रही है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

हाल में करापववंचकों की तलाशियां लेने और उनके शानदार मकानों में छिपे धन का पता लगाने के लिए विशेष सर्वेक्षण दलों के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है। आपात स्थिति की घोषणा के बाद इस तरह की कार्यवाही के कारण अनुशासन की भावना उत्पन्न हुई है और लोगों में सामाजिक जागृति आई है। जिससे ऐसा अनुकूल वातावरण बन गया कि करापवंचकों ने ने अपनी आय और धन को स्वेच्छा से प्रकट कर दिया अतः सरकार ने ऐसे लोगों को नागरिक दायित्व की भावना समझने और सही मार्ग अपनाने के लिए अन्तिम अवसर देनेहेतु स्वेच्छया प्रकटन योजना चालू करने का निर्णय किया है ।

स्वेच्छया प्रकटन योजना 8 अक्तूबर, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक लागू की गई थी। यह योजना काफी सफल सिद्ध हुई है। प्राप्त अन्तिम सूचना के अनुसार पता चला है 2,42,400व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 741.24 करोड़ रुपये की राशि की आय प्रकट की है। प्रकट की गई इस राशि पर 241.14 करोड़ रुपये का आयकर लगा है। जिसमें से 151.58 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। छुपे धन के सम्बन्ध में कुल 13,382 व्यक्तियों ने अपना धन प्रकट किया है जिसमें 812.11 करोड़ रुपये प्रकट किये गए हैं। इस प्रकट किए धन पर 6.91 करोड़ रुपये की राशि धनकर के रूप में निर्धारित की गई है। जिसमें से3.99 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष धन राशि का इस वर्ष मार्च तक भुगतान हो जायेगा और इसके बाद भी जो धन राशि शेष रह जायेगी उसका भुगतान मार्च, 1977 तक हो जायेगा।

स्वेच्छा प्रकटन योजना के द्वारा बहुत सारी छिपी हुई आय तथा सम्पत्ति का पता लगा है और अब इस धन को अर्थ व्यवस्था के लाभार्थ उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकेगा। यह कोई छोटा लाभ नहीं है और यह सरकार के स्वेच्छा प्रकटन योजना चालू करने सम्बन्धी निर्णय को न्यायोचित ठहराता है। सरकार के इस योजना के चालू करने के निर्णय से यह गलत धारणा नहीं होनी चाहिए कि सरकार करापवंचन तथा अन्य आर्थिक अपराधों को समाप्त करने के

निश्चय से पीछे हट रही है। करापवंचकों तथा अन्य अपराधों को दूर करने का अभियान अनवरत तथा दृढ़ निश्चय से किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :—

"कि आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सेकैरा अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री इराज्मुव सेकैरा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को उस पर 15 अप्रैल, 1976 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : यह एक अधूरा विधान है, जिससे केवल उन चोर बाजारी करने वालों को सहायता मिलेगी जो समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे थे। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा श्री चन्द्रप्पन द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

स्वेच्छया प्रकटन योजना का बहुत प्रचार किया जा रहा है किन्तु वास्तव में यह कोई अच्छी योजना नहीं है। यह राशि देश के विभिन्न क्षेत्रों में छापे मारने के परिणामस्वरूप प्रकट हो रही है। यदि सरकार गत कुछ महीनों के दौरान उन घरों, जहां छापे मारे गए थे. तथा उन व्यक्तियों, जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत आय प्रकट की है, की सूची प्रकाशित करे तो यह तथ्य सामने आ जायेगा ।

करापवंचकों की चालबाजियों को समाप्त करने के लिए वांचू समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं लेकिन सरकार ने इन्हें कार्यान्वित नहीं किया वांचू समिति द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपये का करापवंचन होता है। काला धन जमा करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? जब प्रतिपक्षी सदस्यों को मीसा तथा भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत जेल में डाल दिया गया है तो इन काला धन जमाकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? कारण यह है कि वे कांग्रेस को धन देते हैं ...... (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप इसे कैसे प्रमाणित करते हैं ? (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि ये काले धन वाले कांग्रेस को पैसा देते हैं....... इसीलिए आप उनके नाम नहीं बताना चाहते। आप उन्हें हर प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at (three minutes past fourteen of the Clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

आय और धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 तथा आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTIONS RE : DISAPPROVAL OF VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH ORDINANCES, 1975 AND VOLUNTARY DISCLOSURE OF INCOME AND WEALTH BILL—*Contd.*

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : काला धन जमा करने वालों को दिया गया संरक्षण काले धन के विरुद्ध संघर्ष के साथ मजाक है । यदि कोई व्यक्ति कम्पनी के धन का दुर्विनियोजन करता है और उसके बाद स्वेच्छा से धन प्रकट कर देता है तो सरकार उस धन में से कुछ राशि लेकर उसे छोड़ देगी ।

स्वेच्छा प्रकटन योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा काला धन जमा करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है । साप्ताहिक ब्लिट्ज के 10 जनवरी, 1976 के अंक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि सरकार काले धन का 11 प्रतिशत भी इकट्ठा नहीं कर पाई है । तथ्य तो यह है कि प्रकट की गई अधिकांश धनराशि का कर अपवंचकों की सम्पत्ति बन गई है । अब वह काला धन रखने में और अधिक स्वतन्त्र हो गए हैं और हमारी सरकार इस प्रकार से राशि प्रकट करने वाले कर अपवंचकों की इस कार्यवाही को देशभक्ति की संज्ञा दे रही है । आज कर-अपवंचकों का यह नारा बन गया है कि काला धन एकत्रित करो, कांग्रेस दल को दान दे दो और इसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की मुकदमेबाजी से जान छुड़ा लो । अतः इन परिस्थितियों में मैं विधेयक का विरोध करते हुये, श्री चन्द्रप्पन के संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : (बेतुल) : श्री हाल्दर ने यह आरोप लगाया है कि स्वेच्छया प्रकटन योजना के अनुसार बेईमानी तथा कर अपवंचन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है । लोगों को काला धन रखने की स्वतन्त्रता मिल गई है । परन्तु मैं उन्हें यह स्पष्ट कर दूं कि अब समय आ गया है जब कि हमें इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिये । मेरे मित्र श्री इजाज्मुद सेकैरा तथा श्री चन्द्रप्पन ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं कि इस विधेयक को ला कर वित्त मंत्री कर अपवंचकों के सम्मुख नतमस्तक हो गये हैं ।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि ईमानदार लोगों को कर अपवंचकों की तुलना में कुछ अधिक सहूलियतें दी जानी चाहियें । वर्तमान योजना से निस्संदेह उन लोगों को कुछ लाभ हुआ है, जो ईमानदार नहीं थे । परन्तु प्रत्येक स्वेच्छा प्रकटन योजना में ऐसा होता ही है । हमारे समक्ष सब से अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह समझने का प्रयत्न करें कि 1500 करोड़ रुपये की धनराशि से हमारी अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अपने आर्थिक मामलों पर विवाद करते समय हमें किसी प्रकार के वाद को बीच में नहीं लाना चाहिये ।

मेरे मित्र श्री चन्द्रप्पन ने वांचू आयोग के प्रतिवेदन से कुछ ऐसे आंकड़ों को उद्धृत किया जिन्हें सम्भवत: वह स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ पाये थे। काले धन के लक्षण के बारे में लोगों की भिन्न-भिन्न धारणायें हैं। कुछ लोग काले धन का आशय ऐसी मुद्रा से लेते हैं जो रिजर्व बैंक के मुद्रा के साथ साथ चलती है। परन्तु काले धन को आम बोल-चाल की भाषा में 'काला धन' ही कहा जाता है अत: जब हम काले धन की समस्या की बात करते हैं तो वास्तव में वह 'कर अपवंचन' की समस्या ही होती है।

इसका ठीक अन्दाजा लगा पाना कठिन है कि कितना कर अपवंचन किया गया। वांचू आयोग ने इसके लिए जो पद्धति अपनाई थी वह कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी और न ही इसका पता लगाने के लिए कोई विशेष विभाग ही है। अत: हमें वांचू आयोग के आंकड़ों को सशक्त आधार नहीं मान लेना चाहिये। हां, वांचू आयोग ने कर अपवंचन के जो आठ कारण बतलाये हैं वह काफी सशक्त हैं और उस ओर निश्चय ही उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। वांचू समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये ही सरकार ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 1973 का प्रस्तुत किया। विधेयक में कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है। सैकड़ों, हजारों या उससे भी अधिक का कर अपवंचन करने वालों को छः महीने का कठोर कारावास देने की व्यवस्था भी की गई है। अमरीका में कर अपवंचन करने वाले व्यक्ति को सीधे जेल भेज दिया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि कर अपवंचन के सम्बन्ध में अभी तक सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाये गये हैं, स्वेच्छा प्रकटन योजना उन सब में से अधिक सफल कही जा सकती है। सरकार द्वारा निरन्तर इतने छापे मारे जाने के उपरान्त भी, इतनी बड़ी धन राशि का प्रकटन नहीं हो पाया। छापे मार कर लोगों को पकड़ा जा सकता है, उनके दस्तावेज पकड़े जा सकते हैं परन्तु उनकी सारी छिपाई हुई आय का पता लगा, उसके लिये कानूनी रूप से व्यक्ति को दण्डित करना काफी कठिन कार्य है। इतने अधिक छापे मारने के बावजूद भला अब तक हम कितने लोगों को जेल भेज पाये हैं? वर्तमान योजना के परिणाम स्वरूप सरकार काफी कर एकत्रित कर लेगी और यह अब तक किये गये वित्तीय उपायों में से अच्छा उपाय है।

मैं चाहता हूं कि अब हमें स्वेच्छा प्रकटन योजना की मुख्य बातों पर विचार कर लेना चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत जो उपाय किये गये हैं, वह निश्चय ही दूरदर्शिता पर आधारित है। जिन लोगों के यहां छापे मारे जा चुके हैं, उन्हें करों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। उन्हें केवल सजा तथा जुर्मा से छूट दी गई है।

मेरे मित्र श्री सेकैरा सम्भवत: यह समझते हैं कि दस्तावेजों के कब्जे में ले लेने से या छापे मारने से लोगों को जेल भेजा जा सकता है परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं है कि उन्हें कानूनी रूप से दण्डित करने की प्रक्रिया इतनी लम्बी है और मामला किसी न किसी चरण में आकर कमजोर हो जाता है। हमें इन सब पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त अपनी बात कहनी चाहिये। वास्तविकता यह है कि हमारे अधिकांश लोग कर अपवंचन इसलिए करते हैं कि हमारे कराधान विधियां ही ऐसी हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे वित्तीय कानूनों के परिणाम अच्छे निकलें, तो हमें अपने कानूनों को पूर्ण रूप से युक्तिसंगत बनाना होगा। हमें इसके लिए अनुसन्धान सैल बनाना होगा। सही तथा पूर्ण

आंकड़े एकत्रित करने के लिए हमें तंत्र बनाना होगा। सांख्यिकी, आंकड़ा तथा सूचना निदेशालय का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है, उसका पुनर्गठन कर इसके कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता है।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को भी युक्ति-संगत बनाया जाना चाहिये। हमें अपने प्रत्यक्ष करों का उपयोग विषमताओं को समाप्त करने के लिये करना चाहिये हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये राजस्व की अधिक से अधिक बचत किस प्रकार हो सकती है। यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

करों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिये। वांचू समिति ने सुझाव दिया था कि कारोबार पर होने वाले खर्चे पर भी रोक लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारे यहां बड़े-बड़े व्यापार गृह, अपने कारोबार के अनेक ऐसे खर्च दिखाते हैं जो बिल्कुल फजूल होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अतः इन पर रोक लगाई जानी चाहिये।

अगली बात मैं राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दे के बारे में कहना चाहता हूं। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक की प्रवर समिति के सभापति के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि एक समय ऐसा था जब सभी विरोधी दलों ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया था कि राजनीतिक दलों को दिये गये चन्दे पर कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। परन्तु फिर इन लोगों ने अपना पैंतरा बदल लिया और इस पर रोक लगाने की मांग करने लगे। जो लोग अब इसका विरोध करते हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यदि राजनीतिक दल चोरी छिपे रूप से चन्दा लेने के बजाय, सीधे रूप से चन्दा लें तो उससे देश में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न नहीं होगा ? विधि मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति दी जायेगी।

अब मैं उस वर्ग के लोगों को बात करना चाहता हूं जोकि कर-अपवंचन के लिए बहुत बदनाम हैं, और यह लोग हैं फिल्मी कलाकार या उससे सम्बद्ध लोग। यह लोग बड़ी मात्रा में करों की चोरी कर रहे हैं तथा इनके साथ निपटते समय किसी प्रकार की नर्मी नहीं बरती जानी चाहिये। यह ठीक है कि फिल्मी दुनिया के कलाकार अपनी अद्भुत दुनिया में रहते हैं तथा स्वयं को बनाये रखने के लिए उन्हें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। अतः इसके लिए उन्हें 20 प्रतिशत तक की छूट दे दी जानी चाहिये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान विधेयक में सरकार ने प्रवर समिति के इस महत्त्वपूर्ण सिफारिश को नज़रअन्दाज़ कर दिया है कि पूंजी का बाहर निवेश करने पर, ट्रस्ट को आयकर की छूट के अयोग्य ठहराया जाना चाहिये। न्यासों द्वारा अपनी आय के बारे में भारी गोलमाल किया जाता है। उदाहरणार्थ बिड़ला एण्ड कम्पनी को ले ही लीजिये। इन्होंने अनेक सार्वजनिक न्यास चला रखें हैं और उनसे प्राप्त आय को धर्मार्थ कार्यों पर लगाने की अपेक्षा, उसे अन्य कार्यों में लगाया जाता है। अतः न्यासों को राशि निवेश करने में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिये। आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर अपेक्षित ध्यान देंगे।

मैं आशा करता हूं कि आपात स्थिति के लाभों से हम भविष्य में अवश्य लाभान्वित होंगे तथा दलित वर्गों को भी वह सब कुछ प्राप्त होगा जिनसे कि वह इन पिछले वर्षों के दौरान वंचित रहे हैं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : स्वेच्छा प्रकटन योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को अपनी छिपी आय प्रकट करने का अवसर देना है जो अब तक करापवंचन करते रहे हैं । आपातस्थिति के नाम पर कई आश्चर्यजनक काम हुए हैं। जनता को अनुशासन के मार्ग पर लाने के लिए कठोरता बरती जा रही है फिर इसी आपातस्थिति में करापवंचकों और चोरबाजारियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों के साथ यह नरमी कैसी ? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा।

स्वेच्छा प्रकटन योजना कोई नई योजना नहीं है। 1951 में भी एक स्वेच्छा योजना थी जिसका नाम था 'त्यागी योजना' 1955 में भी दो स्वेच्छा योजनायें थीं जिन्हें 'टी० टी० के० योजना' के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त धारा 271(4क) में भी स्वेच्छा प्रकटन की व्यवस्था है।

कई माननीय सदस्यों ने वांचू समिति का उल्लेख किया है । वांचू समिति ने अब या भविष्य में किसी सामान्य प्रकटन योजना को लागू करने के विचार का स्पष्ट विरोध किया था । उसने यह भी बताया था कि ऐसी योजना में ईमानदार करदाता को भी धोखाधड़ी और भ्रष्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं । जब तक युद्धोपरान्त की सी असाधारण स्थिति या राष्ट्रीय संकट नहीं पड़ता ऐसी किसी असाधारण प्रकटन योजना का कोई औचित्य नहीं हैं ।

हाल ही में लोक लेखा समिति ने गत एक दशक के दौरान आयकर विभाग के बारे में अपनी अन्तिम समीक्षा में बताया है कि यदि यह विभाग अपनी सामान्य जिम्मेदारियां और कर्तव्य उचित तरीके से और कार्यकुशलता से निभाता तो करदाता इससे अधिक कर देते और समय के भीतर ही काफी अधिक राशि कर के रूप में प्राप्त होती । अतः स्वेच्छा प्रकटन योजना की सफलता आयकर विभाग के अनुचित और अकुशल कार्य सम्पादन का प्रमाण है ।

इस योजना द्वारा पता लगे धन के बारे में समय-समय पर आंकड़े दिए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 25 दिसम्बर, 1975 को 150 करोड़ रुपये, 28 दिसम्बर 1975 को 300 करोड़ रुपये और 30 दिसम्बर, 1975 को 600 करोड़ रुपये और 31 दिसम्बर, 1975 को 1100 करोड़ रुपये की राशि का पता चल गया था और कुछ दिनों के भीतर 1500 करोड़ रुपये की राशि का पता लग गया था। दो सप्ताहों के भीतर इतनी राशि अर्थ व्यवस्था में आ गई। इसलिए ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा चलन में से इतना धन वापिस ले लेना चाहिए था अन्यथा अर्थ व्यवस्था के बिगड़ने का भय था, लेकिन न तो रिजर्व बैंक ने ही यह राशि वापिस ली और न ही देश में मुद्रास्फीति हुई। मेरा अनुरोध है कि हमें 1500 करोड़ रुपये की राशि का सम्पूर्ण व्यौरा दिया जाना चाहिए कि वास्तव में कितने धन का पता चला है । हमें भय है कि कहीं इस राशि की बार-बार गणना नहीं हुई हो ।

पहली स्वेच्छा प्रकटन योजनाएं कराधान नियमों के अन्तर्गत लागू की गई थी लेकिन इस पर विधेयक पेश किया गया है । वर्तमान विधेयक में प्रकट की जाने वाली राशि की अधिकतम एवं

न्यूनतम अवधि के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वर्तमान विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति 1922 से रखी राशि भी प्रकट कर सकता है और इस बारे में कोई जांच नहीं की जाएगी। तीन वर्गों के अन्तर्गत, अर्थात 25000 रुपये से कम, 25,000 रुपये से अधिक लेकिन 50,000 रुपये से कम और 50,000 रुपये से अधिक, प्रकटन किया गया है और अधिकांश आय प्रकटन प्रथम वर्ग के अन्तर्गत हुआ हैं और कई प्रकटन बेनामी नामों में किए गए हैं। बेनामीदारों के कारण काफी करापवंचन किया जाता रहा है और विभाग को ऐसे करापवंचन को पकड़ने में भी कठिनाई होती है।

वांचू समिति ने यह भी बताया है कि इन तीन प्रकटन योजनाओं से एक ही प्रकार के लोगों ने बार-बार फायदा उठाया है। मैं मंत्री महोदय से उन व्यक्तियों के नाम और उनकी संख्या जानना चाहता हूं जिन्होंने पहली प्रकटन योजनाओं से भी लाभ उठाया है और वर्तमान प्रकटन योजना से भी।

हम यह जानना चाहते हैं कि 31 दिसम्बर, 1975 तक कितना कर एकत्र किया गया और कितनी राशि सरकारी राजकोष में डाली गई। कालेधन को सम्पत्ति, सोने और जेवरात इत्यादि में बदल दिया गया है। अतः, 1500 करोड़ रुपये की राशि के आंकड़े सही नहीं हैं। काले धन को नगद नहीं रखा हुआ है।

वर्तमान योजना ईमानदार करदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। करापवंचन के समय करापवंचकों ने न तो कर और न ही अधिभार और न ही देर से भुगतान करने पर ब्याज दिया और सरकार ने उन्हें वैध रूप से कम दर पर कर देने की रियायत भी प्रदान की है। वर्ष 1974-75 में सबसे उच्च आय वर्ग के लिए कर की दर कम कर दी गई। उदाहरणार्थ एक करदाता जिसकी आय 1 लाख रुपये है उससे 53,559 रुपये कर देना पड़ता था लेकिन यदि वह कुछ देर रुक जाता तो उसे केवल 46,250 रुपये ही कर अदा करना पड़ता। वर्तमान योजना बेइमानों की कद्र करती है। एक ईमानदार करदाता को एक लाख रुपये पर 53,559 रुपये तथा बेइमान करदाता को 46,250 रुपये कर देना पड़ता है। इसके पीछे क्या तर्क है समझ में नहीं आता।

यह भी समझ नहीं आता कि स्वेच्छा प्रकटन योजना के अन्तर्गत कर की किश्तों में अदायगी करने की क्यों अनुमति दी गई है। साथ ही इस प्रकटन योजना के अन्तर्गत विनिमेय अदायगी के बारे में भी अनुदेश जारी किये गये हैं। यह परस्पर विरोधी है। क्या स्वेच्छा प्रकटन योजना को संविधान का स्थायी अंग बना दिया जाएगा ?

समाचार पत्रों में कहा गया है कि वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत प्रकट की गई राशि पर कर न लें मैं इस मामले के औचित्य तथा संवैधानिक के बारे मे जानना चाहता हूं।

आयकर अधिनियम के खण्ड 69क और 69ख में छिपी हुई आय पर कर लगाने की व्यवस्था की गई है और यह आय उसी निर्धारण वर्ष की मानी जाती है किन्तु स्वेच्छा प्रकटन योजना के अन्तर्गत घोषणाकर्ता कर, उपकर तथा ब्याज आदि देने से बच सकता है।

पिछले वर्षों में घोषणाकर्ता ने कर-अपवंचन द्वारा जो राशि अपनी आय के रूप में नहीं दिखाई उसका ब्याज भी अपवंचन की गई राशि से दुगुना हो सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार धन तथा आय में किस प्रकार अन्तर कर रही है। इन दो अध्यादेशों से उन लोगों को फायदा हुआ है जो करअपवंचन करते आ रहे हैं। इस प्रकार सरकार बेइमान लोगों को सहारा दे रही है इन अध्यादेशों से उन चोरबाजारियों को भी लाभ होगा जो भूख से तड़पते हजारों लोगों का शोषण करते हैं।

इसके अतिरिक्त एक और असंगति भी है। आप बेइमान व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हो तथा ईमानदार व्यक्ति को दण्ड दे रहे हो। यदि सोने की घोषणा आयकर और सम्पत्तिकर अधिनियम में कर दी गई है तो घोषणा करने वाले को वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि सोना सीमा शुल्क अथवा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया है तो उसे इस विधेयक के अन्तर्गत इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कोई तर्क नहीं है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह योजना आय और सम्पत्ति का स्वेच्छया प्रकटन न होकर अपितु बेइमान लोगों तथा समाज विरोधी तत्वों के प्रति स्वेच्छया समर्पण है।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत मिली अद्भुत सफलता के लिये मंत्री महोदय तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन बधाई के पात्र हैं। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों का काम तो केवल सरकार की आलोचना करना है और शुरू से ही वह इस नीति पर चल रहे हैं। यदि आलोचना द्वारा उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो वह प्रसन्न हो लें। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला।

इस योजना के कई लाभ हैं। गत दो योजनायें इतनी सफल नहीं रही थीं लेकिन वर्तमान योजना के अन्तर्गत 1600 करोड़ रुपये की राशि प्रकट की गई है और इससे सरकार को 300 करोड़ रुपये कर मिलेगा तथा 50 करोड़ रुपये सरकारी प्रतिभूतियों में पूंजी निवेश करने के लिये मिलेंगे। इस प्रकार 1 वर्ष के अन्दर 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

इस योजना के कई लाभ हैं, घोषित आय को उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे धन बढ़ेगा और राजस्व में आवर्ती लाभ होगा। सरकारी प्रयत्नों तथा गत वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तस्करों को समाप्त करने के कारण यह योजना सफल हुई है। यदि सरकार कड़ी कार्यवाही न करती तो शायद इतनी सफलता न प्राप्त होती। कुछ लोगों ने घबरा कर अपनी आय का स्वेच्छया प्रकटन किया है। यदि योजना की अवधि को दो तीन दिन और बढ़ा दिया जाता तो शायद यह राशि 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती। सरकार को रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि भविष्य में कर-नीति का ठीक पालन किया जाये। कराधान विधि काम करने के लिये प्रोत्साहन देने में सहायक होनी चाहिये। कर इतने अधिक नहीं होने चाहियें कि लोगों को जोखिम उठानी पड़े। कर देने के बाद कुछ बचत भी होनी चाहिये ताकि उसे उत्पादक कार्यों तथा विनियोजन में लगाया जा सके। अच्छा होगा यदि कर की दर ऐसी कर दी जाये जिससे लोगों को कर देने तथा उत्पादक कार्यों के लिये बचत करने का प्रोत्साहन मिले केवल अधिक से अधिक कर लगाने से सहायता नहीं मिलेगी। पिछले कई वर्षों से अधिकाधिक कर लगाये जा रहे हैं। मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि आयकर विभाग को चाहिये कि हर वर्ष लोगों पर अधिक कर लगाकर उन पर बोझा डालने के बजाए नये करदाताओं की खोज करे।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक के पेश करने पर बधाई देता हूं। हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हों किन्तु वर्तमान संदर्भ में मैं उनके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं समझता। इस योजना के द्वारा इतना धन एकत्र हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुरानी स्वेच्छया प्रकटन योजना के अन्तर्गत 80.0 करोड़ रुपये की राशि एकत्र हुई थी इस बार लोगों को ख्याल था कि ज्यादा से ज्यादा 400 करोड़ रुपये की राशि प्रकट होगी परन्तु वास्तव में 1500 करोड़ रुपये का काला धन प्रकट किया गया है। लेकिन जितने धन का पता चला है वह तो समुद्र में बूंद के समान है। वांचू समिति के अनुसार देश में लगभग 20,000 करोड़ रुपये का काला धन है और यह धन नगद मुद्रा के रूप में नहीं है। इस धन को गगनचुम्बी अट्टालिकाओं और जेवरात इत्यादि में बदल दिया गया है। अतः जितनी धनराशि का पता चला है वह कुल काले धन का 1/8वां हिस्सा है।

धारा 16 के अन्तर्गत कहा गया है कि सोना स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जब्त नहीं किया जाएगा और घोषणा करने वाले पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। आप उस सोने का क्या करोगे उस पर आपको कुछ कर प्राप्त होगा लेकिन उसे भी आपने 60 प्रतिशत कम कर दिया है। आप स्वर्ण बांड जारी कर सकते हैं। स्वर्ण बांडों के पिछ अनुभव से निरुत्साहित नहीं होना चाहिये। पिछली बार की स्वेच्छया प्रकटन योजनाओं को भी इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी लेकिन इस बार की स्वेच्छया प्रकटन योजना काफी सफल हुई है। अतः मेरा सुझाव है कि स्वर्ण बांड जारी किये जायें। देश में इतना सोना है कि रिजर्व बैंक को इस उपलब्ध सोने का लाभ उठाने देना चाहिये। उसे स्वर्ण बांड जारी करने दिया जाए।

देश में एक राजघराने के पास 1500 करोड़ रुपये के लगभग जेवरात हैं इन प्राचीन आभूषणों को राष्ट्रीय संग्रालय में रखा जाये क्योंकि विदेशों में ऐसे आभूषणों का मूल्य अत्यधिक है।

कृषि आय का कराधान व्यवस्था को विफल बनाने और उस धन को आस्थगित करने के आधार रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आप 10 एकड़ वाले अथवा 15 एकड़ वाले किसानों को छोड़ दो लेकिन बड़ी जोत वाले किसानों की कृषि आय पर कर क्यों नहीं लगाते।

कराधान पूंजीवादी व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है यदि हम कराधान के बारे में सोचते हैं तो इसका अर्थ है कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं। यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें कराधान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें कराधान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। व्यैक्तिक कर 77 प्रतिशत से घटा कर 57 प्रतिशत किया जाना चाहिए। कराधान की अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत और न्यूनतम सीमा बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये की जानी चाहिए। आज करों में वृद्धि की जा रही है। उत्पाद शुल्क विक्रय कर, आयकर और सड़क कर आदि हैं। जितने अधिक कर लगेंगे, उतना अधिक भ्रष्टाचार होने की सम्भावना है। अतः कराधान एक ही स्थान पर होना चाहिए अर्थात् उत्पादन स्तर पर ही होना चाहिए और व्यापार में वितरण स्तर पर।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिए। लेकिन केवल खाली भूमि पर ही सीमा नहीं लगायी जानी चाहिए। यह केवलमात्र धोखा है। हमें उनके व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने बम्बई और कलकत्ता में काले धन से भूमि खरीद कर गगनचुम्बी बहुमंजिली इमारतें बनाई हैं। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा इस शर्त पर लगाई गई हैं जिससे कि देश में काले धन की वृद्धि को रोकने के प्रयास किये जा सकें।

वास्तव में श्रमिकों को प्रबन्ध-व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें निदेशक मंडल में लिया जाना चाहिए। तभी वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि प्रबन्धक वास्तविक उत्पादन और आय न छिपा सकें।

श्री वयालार रवि (चिर्रयिकिल) : वांचू समिति की रिपोर्ट कोई बाईबल नहीं है। इससे सहमत अथवा असहमत होने का अधिकार सब को है। कुछ आर्थिक कठिनाइयों अथवा परिस्थितियों के ही कारण देश में काला धन बनता है। प्रश्न यह है कि काले धन के सृजन को कैसे रोका जाये और छिपाये गये काले धन को कैसे बाहर निकाला जाये ?

भारतीय अर्थ-व्यवस्था का 50 प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है। काले धन की गणना करते समय हमें अनेक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इस बात का भी कोई पता नहीं है कि लोगों के पास सोने के रूप में कितना काला धन पड़ा है।

इस विधेयक का उद्देश्य काले धन को बाहर निकालना है। हमें सब से पहले काले धन को स्रोत पर ही बंद करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। काले धन का पता लगाने की दिशा में कदम उठाना हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप से विकसित करने हेतु बहुत सी बातों का श्रीगणेश ही है।

प्रश्न यह है कि काले धन को कैसे बंद किया जाये। 90 और 95 प्रतिशत तक कराधान की इतनी अधिक दरों से ही काले धन को प्रोत्साहन मिला है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और कराधान व्यवस्था में तरमीम करने की दृष्टि से कदम उठाने चाहिए। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं और यहां अनेक राजनैतिक दल विद्यमान हैं। कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने में क्या बुराई है? अतः उन्हें इस प्रकार का दान देने के लिए कहा जाना चाहिए।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : जिस अध्यादेश का स्थान यह विधेयक लेगा उसे 8 अक्तूबर, 1975 को जारी किया गया था। इस अध्यादेश की अवधि 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुई और इस बीच आय तथा सम्पत्ति का स्वेच्छिक प्रकटन करने वाले लोगों को कुछ लाभ भी पहुंचेंगे। कुछ कर निर्धारितियों के पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि वे कर जमा कर सकें। इसीलिये समय बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिये उन्हें 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज देना पड़ेगा। यह विधेयक आय प्रकट करने वालों के पक्ष में विवाद समाप्त करने की दिशा में समझौता योजना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

विधेयक के अन्तर्गत अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। कर तुरन्त अदा करना होगा और जो धन निर्धारिती को दिया जायेगा उसका कुछ भाग उसे इस योजना में लगाना होगा।

कर अपवंचन की समस्या से निपटने के लिए यह विधेयक एक दूसरा तरीका है क्योंकि इस समस्या ने देश में बड़ा गम्भीर रूप धारण कर लिया है।

विधेयक के अन्तर्गत तीन प्रकार के लाभ हैं। एक तो सरकार को है क्योंकि उसे छिपा धन प्राप्त हुआ है। दूसरा वर्ग बेईमान करापवंचकों का है जिन्हें दंड और मुकदमे से छूट मिलने वाली है। तीसरा वर्ग कर्मचारी वर्ग का है जिन्हें कि ऐसे करापवंचकों का पता लगाने में असफल रहने के कारण दंड देने के बजाये उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Heavy dose of taxation is the main reason for tax evasion. The factors responsilible for tax evasion should the looked into.

It is surprising that Government has given immunity under this Bill to tax evaders and offenders. They are not required to disclose the sources of income and wealth. I can not appreciate this concession given by Government. Those persons have committed an offence against the community and the country. Their names and also the sources of their income should be disclosed.

Also I could not understand the logic of giving bonus to the Income Tax officials. In fact they are defaulters because, it is under their very nose that such heavy amount of tax has been evaded and Government has been deprived of its rightful revenue.

All the Tax evaders who amassed fantastic wealth and evaded huge amounts of tax should the brought to book.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : सरकार ने आर्थिक संकटों पर काबू पाने के लिये गत दो वर्षों के दौरान अनेक प्रभावशाली उपाय किये हैं।

काले धन पर अंकुश लगाने के लिये हमें अत्याधिक व्यय पर भी कर लगाने चाहिए। अब तक ऐसा न किये जाने के फलस्वरूप खामी रह गयी है जिसे दूर करने के बजाये हम ने आय कर की दर बढ़ा दी है। इससे अल्पावधिक लाभ हुआ है लेकिन हमारी अर्थ-व्यवस्था बुरी तरह से खराब हो गई है। अतः हमारा सुझाव है कि व्यक्तिगत कराधान की दर घटा दी जानी चाहिए। व्यवसायिकों को तंग नहीं किया जाना चाहिए।

कर कानूनों को साधारण बनाना चाहिए। कर सम्बन्धी कानूनों व नियमों में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी परिवर्तनों को याद रखना बहुत कठिन है। धन कर में एक लाख रुपये तक की छूट दी गई है। और यदि किसी के पास 1.10 लाख रुपये हैं तो उसे इसी राशि पर कर देना और जुर्माना भी इसी राशि पर देना पड़ता है तथा उसे दंड भी इसी राशि के अनुसार मिलता है। धन कर के सम्बन्ध में कम आंकड़ों तक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें छोटे लोगों, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और निर्धनों को बढ़ते हुए कराधानों से छूट देनी चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : The Ministry of Finance and Income Tax officers deserve all the congratulations for unearthing black money. They should be encouraged further.

[श्री भागवत झा आज़ाद पीठासीन हुए]
Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair

According to an estimate, gold worth Rs. 25000 crores is locked and hidden in safe vaults in the country. This gold is a dead asset. Government should do some thing to unearth this asset.

People have large quantities of gold with them. They may be asked to make voluntary disclosures of the gold in their possession. They know that after the proclamation of Emergency, Government means business. They would disclose the quantities of gold in their possession voluntarily. People may be asked to invest their gold in gold bonds. Country needs money for its development and defence purposes. The gold so unearthed will be put to a better use for the defence and development of the country. If people do not disclose the quantities of gold with them voluntarily, Government would be left with no alternative but to recover it by conducting raids etc.

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : हमने यह दावा कभी भी नहीं किया कि काले धन का सामना करने के लिये यही एक मात्र तरीका है। कुछ समय तक हमने काले धन को निकालने और आर्थिक अपराधियों को दण्डित करने के लिये कुछ कदम उठाये थे, जिनके परिणामस्वरूप देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें लगा कि हम ऐसी एक योजना लाकर कुछ मात्रा में काला धन निकाल सकते हैं। विभाग के सामने आने वाली कठिनाइयों और वास्तविकता को देखते हुए हमें यह मानना होगा कि इस योजना से काले धन का एक भाग बाहर आया है। आय और धन के रूप में 1500 करोड़ रुपये प्रकट किये गये हैं।

यह पूछा गया है कि क्या हम काले धन की इस राशि को छापे मारकर, जब्त करके और तलाशियां लेकर निकाल सकते थे। 1974-75 में 2000 छापे मारे गये और इनमें 17 करोड़ रुपये की राशि पकड़ी गई। 2,53,000 से अधिक लोगों ने इस योजना का लाभ उठा कर अपनी छिपी आय और धन को प्रकट किया। इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इतने धन का पता लगाने के लिये कितने छापे मारने पड़ते। यह योजना 8 अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक लागू रही। इस अवधि में भी सरकार ने छापे मारना और सम्पत्ति जब्त करना बन्द नहीं किया। योजना के दौरान दो बड़े महत्वपूर्ण छापे मारे गये। सरकार की यह नीति नहीं है कि वह केवल स्वेच्छया प्रकटन को ही अपनायेगी और कोई दूसरी कार्यवाही नहीं करेगी। जो उपाय हम ने आरम्भ किये हैं उन पर अमल होता रहेगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी पद्धति में सुधार की गुंजाइश है। हम इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं। हम एक आदर्श पद्धति अपनाना चाहते हैं। हम सुधार का प्रयत्न करते रहे हैं और अपनी कमियों को दूर करते रहे हैं।

लोगों में यह गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की गई है कि स्वेच्छया आय प्रकटन का लाभ उन्हीं लोगों ने उठाया है जिनके खाते आदि आय कर विभाग ने पकड़े थे। ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने धारा 41 के अन्तर्गत आय प्रकट की है और जिनकी लेखा पुस्तकें आय कर विभाग ने पकड़ी हैं, केवल 4,402 है। आय कर की राशि भी केवल 17 करोड़ रुपये है तथा उन्होंने केवल 35 करोड़ रुपये की आय प्रकट की है। इसलिये यह कहना गलत है कि केवल उन्हीं लोगों ने स्वेच्छा से आय, धन आदि प्रकट किया है जिनके घरों पर छापे पड़े थे और हिसाब की पुस्तकें पकड़ी गई थीं।

1974–75 में आय कर विभाग ने 2029 छापे मारे थे जबकि चालू वर्ष में केवल 1,529 छापे मारे गये। ये छापे अप्रैल से नवम्बर के बीच आठ महीने में मारे गये। इस प्रकार इस वर्ष आय कर विभाग ने अधिक स्थानों पर छापे मारे हैं और उन्हें अधिक धन राशि भी मिलेगी।

यह कहा गया है कि सरकार स्वेच्छा से घोषणा करने वालों के नाम इसलिये नहीं बतायेगी कि वे कांग्रेस दल को चन्दा दे रहे हैं। यह एक मिथ्या आरोप है। नामों की घोषणा न करना इस योजना का ही एक अंग है। चाहे गलत हो या ठीक, हमें इसका पालन करना ही होगा।

विशेष सर्वेक्षण के कारण दो लाख करदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये करदाता अधिकांशत: लेखाकार, इंजीनियर, वकील अथवा कर-परामर्शदाता हैं।

हमें यह ध्यान में रखना होगा कि केवल प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने से कमियों को दूर करना कठिन होगा। कराधान को युक्तिसंगत बनाने की गुंजाइश है लेकिन साथ ही हमें आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जनमत तैयार करना होगा, जिससे कि एक अच्छा वातावरण बन सके और विभाग और करदाता उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें।

यह पूछा गया है कि वित्त मंत्री ने किस प्राधिकार के अन्तर्गत बिक्री कर के बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा है। यह न तो प्राधिकार का प्रश्न है और नही मुख्य मंत्रियों को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा निदेश भेजने का प्रश्न है। हम तो केवल यह कहना चाहते हैं कि जहां तक वर्तमान सिद्धान्ता का प्रश्न हैं, आय कर का 80 प्रतिशत भाग विभाज्य पूल में गया जहां से राज्यों को आवंटन किया जाता हैं। इस प्रकार अधिक राशि प्रकट की जायेगी, आय कर के रूप में अधिक धन प्राप्त होगा और राज्यों को अधिक लाभ होगा। इसलिये हम ने यह अनुरोध किया कि इस योजना को सफल बनाने के लिये वे बिक्री कर वसूल न करें। यह निदेश नहीं, अनुरोध था। वित्त मंत्री के पास प्राधिकार है क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करें। वित्त मंत्री अपने बिचार मुख्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के समक्ष रखने में पूरी तरह सक्षम है और इसमें कोई गलत बात नहीं है।

जहां तक स्वर्ण बांडों के सुझाव का सम्बन्ध है, यह योजना भूतपूर्व वित्त मंत्री ने शुरू की थी। यदि हम इसे पुन: चालू करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना होगा।

यह भी पूछा गया है कि हम शुद्ध सोना रखने पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते। यह प्रतिबन्ध तो पहले से लगा हुआ है और सीमा शुल्क विभाग द्वारा छापा मारने से एक लाभ यह हुआ है कि हम शुद्ध सोना सीधे जब्त कर सकते हैं। न केवल शुद्ध सोने को जब्त किया जाता है बल्कि इसके रखने वालों को दण्डित भी किया जाता है।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि हमने घोषणा करने वालों को सीमाशुल्क अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से मुक्त क्यों रखा है। यह इसलिये किया गया है क्योंकि छिपे धन को स्वर्ण और जेवरात में बदल दिया गया है। अत: जब तक इन अधिनियमों से उनको छूट नहीं दी जाती तब तक हम इस योजना को सफ़ल नहीं बना सकते और सम्बन्धित व्यक्ति छिपा धन प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि यह छुट सभी अवसरो पर नहीं दी जायेगी। उन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों से

मिलकर 1 फ़रवरी, 1976 तक अपने मामले निपटाने होंगे । यह प्रावधान योजना में किया गया है ।

यह योजना काले धन और छिपे धन को बाहर निकालने की दिशा में एक कदम है । यह न तो समर्पण है और न ही समझौता । हमारा विचार था कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाये जिसमें दोषी करदाताओं को सरकार द्वारा पेशकश करने से कुछ लाभ हो । इससे लाभ हुआ अथवा नहीं, इसका निर्णय सभा करेगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह समझा जा रहा है कि देश में 20,000 करोड़ रुपये का काला धन है । इस हिसाब से सरकार की उपलब्धि बहुत कम है । यही नही, इस उपलब्धि के लिए भी सरकार को पूंजीपतियों के समक्ष समर्पण करना पड़ा है ।

यदि सरकार इस समस्या का पूर्ण समाधान चाहती है तो उसे साहस करके वर्तमान मुद्रा का विमुद्रीकरण करना चाहिये । इससे काला धन बाहर आ जायेगा । अन्य देशों का भी यही अनुभव है ।

वांचु आयोग ने कहा है कि धार्मिक तथा धर्मार्थ न्यासों सम्बन्धी कानुनों में परिवर्तन किया जाना चाहिये ताकि वे कुछ छिपा न सकें । इस सिफारिश को मान लिया जाना चाहिये ।

करापवंचन ही काले धन का कारण नहीं है । अधिक मूल्य तथा कम मूल्य के बीजक बना कर भी काला धन इकठ्ठा किया जाता है । ऐसे कदाचारों को समाप्त किया जाना चाहिये ।

यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि जेवरात के मुल्यांकन का क्या आधार होगा । लगता है सम्पत्ति का वर्तमान मूल्यांकन का आधार सम्पित्त का वर्तमान मूल्य नहीं होगा । मुद्दई ने जिस समय जेवरात खरीदने का दावा किया है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

मंत्री महोदय हमें बतायें कि एकाधिकार गृहों ने अपनी आय प्रकट की है विशेषकर कितने बड़े मिल मालिकों ने जैसे जुट मिल मालिक, कपड़ा मिल मालिक आदि ने अपनी आय प्रकट की है । मंत्री महोदय कम से कम ऐसे वर्गों की संख्या बतायें जिन्होंने अपनी आय घोषित की है ।

हम इस उपाय को सरकार द्वारा आपात स्थिति के संदर्भ में उन सामाजिक आर्थिक शक्तियों का सामना करने के लिये अपनाया गया कार्यक्रम समझते हैं जो कि फासिस्टवाद का रूप ग्रहण कर रही थी । सरकार को फासिस्टवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करनी चाहिये थी लेकिन सरकार इसमें असफल रही है इसलिये हम इस योजना का विरोध करते हैं ।

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमागोआ) : आपातस्थिति के बाद जो दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं उन में से एक तो तस्करों से बोनस छीनने के बारे में और दूसरा यह है जिससे जमाखोरों तथा करवंचको को बोनस दिया गया है । क्या देश में समतावादी समाज की स्थापना की सरकार की यही नीति है ?

माननीय मंत्री के अनुसार धारा 14 के अन्तर्गत 55 करोड़ रुपये की आय तथा धन प्रकट किया गया है । विधेयक के खण्ड 14 तथा स्त्रोत न प्रकट करने की छूट देने के प्रावधान से मुझे

पक्का विश्वास हो गया है कि विधेयक काला धन जमा करने वालों को छूट देने के लिए पेश किया गया है ।

सरकार से एक प्रश्न के जरिए उन करदाताओं की सूची मांगी गई जिन्हें 50 लाख रुपये से अधिक की राशि के कर देने बकाया है । प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि इस जानकारी को एकत्र करने का कोई लाभ नहीं है । यह सूची प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन तथा वित्त मंत्री के पास सप्ताह के प्रत्येक दिन होनी चाहिये और यदि यह सूची उनके पास नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि सरकार की बकाया करों की वसूली मे रुचि नहीं है ।

इस कानून के एक उपबन्ध के अनुसार करदाता अपनी आय का प्रकटन बिना उसको स्रोत बताये कर सकता है । सरकार ने इस अवसर पर काले धन को समाप्त करने के साथ-साथ उसके स्रोतों का पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की ताकि वह भविष्य में इन स्रोतों पर निगाह रख सके ।

सदन को शीघ्र ही धारा 14 के अन्तर्गत प्रकट की गई कुल राशि, करदाताओं की संख्या तथा राशि का वर्गीकरण बताया जाये ताकि हमें पता चल सके कि सरकार किन व्यक्तियों को छोड़ना चाहती है ।

राजनीतिक दलों को दान की कटौती के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । राजनीतिक दलों को दान की कटौती किये जाने का मैं स्वागत करता हूं मेरा सुझाव है कि किसी भी कम्पनी को परन्तु राजनीतिक दलों को दान की कटौती की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । यदि लोग राजनीतिक दलों की सहायता करना चाहते हैं तो वे ऐसा व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : मैं अब श्री इराज्मु द सेकैरा द्वारा पेश किया गया संकल्प सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 नवम्बर, 1975 का प्रख्यापित आय तथा धन स्वेच्छया प्रकटन (शोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 23) का निरनुमोदन करती है ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The resolution was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 अक्तुबर, 1975 को प्रख्यापित आय तथा धन स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 15) का निरनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में, 21 विपक्ष में 76

Ayes 21 Noes 76

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Resolution was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक को 15 अप्रैल, 1976 तक उस पर राय जानने हेतु परिचालित किया जाये ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय और धन के स्वेच्छया प्रकटन के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड दो विधेयक में जोड दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़े गये ।

Clauses 4 & 5 Were added to the Bill.

खण्ड 6

श्री इराज्मुद सेकैरा खण्ड 6 पर मेरा एक संशोधन है जिसका अभिप्राय है कि योजना मे आय प्रकटन के बाद कर अदायगी के लिये अवसर दिये जाने की अनुमति दी गई है । उस समय

के लिये वह 12 प्रतिशत ब्याज देगा यदि सरकार यह समझती है कि समय दिया जाना आवश्यक है तो उससे 20 प्रतिशत का बढ़ा हुआ ब्याज लेना चाहिये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : हमने 12 प्रतिशत ब्याज दर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रखी है। यदि यह संशोधन स्वीकार किया जाता है तो स्वेच्छया प्रकटन योजना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 2 Was put and negatived.

सभापति महोदय :: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion Was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खंड 7 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8

श्री दीनेन भट्टाचार्य : खण्ड 8 में यह उपबन्ध किया गया है कि स्वेच्छया प्रकट की गई आय की राशि को करदाता की उस वर्ष की कुल आय में नहीं जोड़ा जाएगा । इस राशि को कर देने के वर्ष की आय में जोड़ा जाना चाहिये । इसलिये खण्ड 8 को यथानुसार संशोधित किया जाये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सुझाव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना में इस बात की व्यवस्था की गई है कि आय इकटठी जोड़ी जायेगी और इसे किसी विशेष वर्ष में शामिल नहीं किया जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 9 & 10 were added to the Bill.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 8 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12

सभापति महोदय : मैं अब खण्ड 12 पर श्री दीनेन भटटाचार्य द्वारा पेश किये गये चार संशोधन संख्या 9, 10, 11 और 12 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9, 10, 11 तथा 12 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments No. 9, 12, 11 and 12 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion adopted.

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खंड 13

सभापति महोदय : इस खण्ड के लिए मेरे ख्याल में कोई संशोधन नहीं है ।

श्री एच० एम० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप राष्ट्रपति से अस्वीकृति मिली है तो अपना निर्णय दें ।

इराज्मु द सेकैरा : आपको किसी खंड को स्थगित करने का अधिकार है। अतः यदि आज राष्ट्रपति ने अस्वीकृति भेज दी है तो इस खण्ड को कल को स्थगित किया जाये ।

सभापति महोदय : स्वीकृति प्राप्त करना सदस्य की जिम्मेदारी है। और जहां तक मेरे अधिकार का प्रश्न है मैं उसका उपयोग बिना पर्याप्त कारणों के नहीं करूंगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

श्री इराज्मु द सेकैरा : खण्ड 3(ii) के अन्तर्गत उन लोगों को स्वेच्छया प्रकटन का लाभ प्राप्त नहीं है जिनसे धारा 139 या 148 के अन्तर्गत विवरण मांगा गया है जब कि धारा 14 के अन्तर्गत जिन लोगों के कागजात पकड़े गये हैं उनसे स्वेच्छया प्रकटन पर जुर्माना या ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। यह 55 करोड़ लोगों पर लागू होता है और आप केवल 4000 की बात कर रहे है। कोई भी आयकर कमिश्नर ऐसी स्थिति में अपने अधिकारों का उपयोग न करने का अधिकार नहीं देना चाहिये। अतः विधेयक में इस सम्बन्ध में संशोधदन किया जाये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वर्तमान उपबन्ध के द्वारा स्थिति के अनुसार स्वविवेक का उपयोग करने का अधिकार आयुक्त को दिया गया है। यह प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है जिससे जनता का सहयोग और अधिक मिल सके। दोनों प्रकार के घोषणाकर्ताओं में यह अन्तर है एक को रियायती दर पर करों का भुगतान करने की सुविधा होगी जब कि दूसरे सामान्य दरों पर भुगतान करेंगे ।

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

"खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

श्री दीनेन भट्टाचार्य : खण्ड 16 में संशोधन कर यह उपबन्ध किया जाए जिससे प्रकट को गई सम्पत्ति सोने रूप में होने पर उसे जब्त किया जा सके।

खण्ड 16 के उप-खण्ड 2 और 4 को निकाल दिया जाये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : अधिकतर छिपा धन सोना और आभूषणों के रूप में है। अतः इस योजना की सफलता के लिये कुछ छूट देनी ही पड़ेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 16 विधेयक मे जोड़ दिया गया।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 से 22 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 17 to 22 were added to the Bill.

अनुसूची

श्री इराज्मु द सेकैरा : अनुसूची के कारण ईमानदार करदाताओं और कर अपवंचकों के बीच बड़ी असमानता हो जाएगी । स्वेच्छया प्रकट की गई अधिकतर आय उस समय की है जब आयकर की दर 95 प्रतिशत थी जब कि अब यह 77 प्रतिशत (साझेदारी में 85 प्रतिशत) है। अनुसूची में आय कर की दर अधिक से अधिक 60 प्रतिशत रखी गई है। इस प्रकार लाभ कर अपवंचकों को ही मिलेगा। 95 प्रतिशत की बजाय अब वे 60 प्रतिशत कर देंगे ।

अनुसूची में संशोधन कर दरों को 25, 40 और 60 प्रतिशत से बढा कर क्रमशः 50, 80 और 99.9 प्रतिशत किया जाये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4 और 5 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुआ।

Amendments No. 3, 4 and 5 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Schedule was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधयेक का **नाम बनें" प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : हम इस तथ्य से आंख नहीं मूंद सकते कि विधेयक के द्वारा दोषियों को पुरस्कृत किया गया है और बेकसूरों को दण्डित । अतः इस विधान के सम्बन्ध में फ़िर से गहराई से विचार किया जाये ।

स्वेच्छया प्रकटन योजना आंशिक रूप में सही, पर कुछ अंशों में खराब । जहां तक इससे सरकार के राजस्व में 200 करोड़ रुपया आना है इसका स्वागत है । परन्तु इससे पूंजीपतियों को आम जनता का गला घोंटने का और अवसर मिल गया है ।

सरकार द्वारा नियुक्त वांचू समिति के अनुसार देश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 20 प्रतिशत काला धन है । इस योजना से उन्हें कितना धन प्राप्त हुआ ? 1951 में श्री महावीर त्यागी के प्रकटन विचार के आधार पर सरकार को 70 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था जो कुल राष्ट्रीय आय का 75 प्रतिशत था, 1965 में 197 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत था तथा अब मैं समझता हूं 2 प्रतिशत से अधिक काला धन नहीं मिला है । अतः इस पर डींग मारने की कोई बात नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : अध्यादेश 5 नवम्बर को जारी किया गया था । मंत्री महोदय ने कहा है कि विधेयक में किसी प्रकार की रद्दोबदल करने से पूरी योजना का उद्देश्य ही विफ़ल हो जायेगा । अर्थात् विधेयक पर चर्चा के समय किसी प्रकार के संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकता । इसका मतलब है कि यह सदन उन पर विचार भी नहीं कर सकता । सरकार इस प्रकार संसद् की कार्रवाई करना चाहती है ?

मंत्री महोदय ने बताया कि 700 करोड़ रुपये की छिपी आय तथा धन प्रकट किया गया है तथा धन कर समेत 250 करोड़ कर इकट्ठा किया गया है । धन कर को घटाने पर यह राशि 250 या 240 करोड़ पये आती है । 55 करोड़ की राशि को वैध करार दे दिया गया है और वह राष्ट्रीय धन में शामिल कर लिया गया है, परन्तु यह नहीं बताया गया कि इस धन का उपयोग किस काम में किया जायेगा ।

हम इस विधेयक को काले धन की समस्या का समाधान करने वाला विधेयक नहीं कह सकते क्योंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में सी बुराइयों को दूर किया जा सके । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना समय-समय पर लागू की जायेगी ।

अतः मंत्री महोदय यह बतायें कि रुपया प्राप्त करने के अलावा इस विधेयक का कोई और उद्देश्य भी है? क्या सरकार की नीति अधिक से अधिक कर इकट्ठा करने की ही है? इन चोर-बाजारियों और पूंजीपतियों को रियायत दे कर 200 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेने पर ही आप फूले नहीं समा रहे हैं। इस स्वेच्छया प्रकटन से वे लोग लाभान्वित होंगे और वे देवता बन जायेंगे। इस बात की गारंटी कहां है? मंत्री महोदय सब से पहले यह बताएं कि इस वैध बने धन का उपयोग कैसे होगा? दूसरे क्या आप इस समस्या को इसी प्रकार भविष्य में भी रियायत देकर हल करना चाहते हैं? क्या सरकार का उद्देश्य मात्र अधिक से अधिक कर इकट्ठा करना ही है?

सरकार के अनुसार इस प्रकार बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने के जैसे मिले इस धन का उपयोग क्या वह सबसे कम आयकर देने वाले लोगों को राहत देने में करेगी? उन्हें राहत दी जाये।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह विधेयक बड़ा सीमित है और यह काले धन को प्रकाश में लाये जाने के उपायों में से एक है। यह एक अलग-थलग उपाय भी नहीं है और यह कहना भी सही नहीं कि सदन को यह नहीं बताया गया कि इस धन का उपयोग किस प्रकार होगा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि आय का 5 प्रतिशत तथा सम्पत्ति का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों मे लगाया जायेगा, जिसको गन्दा बस्तियों की सफ़ाई और अन्य सामाजिक योजनाओं पर खर्च किया जायेगा। देश में कितना काला धन है, मुझे पता नहीं। परन्तु तना सही है कि एक बड़ी राशि देश की अर्थ-व्यवस्था की धारा में आ मिली है। इसका एक बड़ा भाग राज्यों को जायेगा। परन्तु यह बताना कठिन है कि 470 करोड़ पये इस राशि का निवेश कहां किया जायेगा। पर इसका निवेश अर्थपूर्ण कार्यों में ही किया जायेगा।

जहां तक कोई संशोधन स्वीकार न किये जाने का प्रश्न है मैं यह बता दूं यह एक धन विधेयक है और इसमें कोई संशोधन स्वीकार किये जाने का अर्थ है सरकार का त्यागपत्र देना।

Mr. Chairman : The question is : "That the Bill be passed".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 जनवरी, 1976/30 पौष, 1897 (शक) के 11 बजें म० पू० तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, January 20, 1976/ Pausa 30, 1897 (Saka)

GMGIPND-LS-III-2404 (ai) LS -1-6-76-200